खण्ड-278, अंक-6
मंगलवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1891
(12 अगस्त, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 278 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५३५–५६९
प्रश्नोत्तर	५७०–५९४
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	५९४
१९६९–७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य पालन तथा अनुदान संख्या ४६—कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (जारी) ..	५९५–६५१
शिव सहाय इंटर कालेज, गुरगौला, जिला फतेहपुर के छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	६५१
बाढ़ के स बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	६५१
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	६५१–६५५
मथुरा जिले में वायुयान द्वारा चीनी साहित्य गिराने, झांसी के निकट तालबेहट में पैराशूट के अन्दर मशीन मिलने तथा चीन को बिस्कुट सप्लाई करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	६५५–६६२
इलाहाबाद में श्री रामकृष्ण राय की गोली से मृत्यु तथा नगर महापालिका कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	६६२–६७५
नत्थी	६७६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १२ अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०—३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९७

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ़्फ़ार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफ़ाक अहमद, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
अहमदल्ला खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री
(उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री

केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ़ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ़्फ़रनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ़ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपाल, श्री

नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फ़िरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफ़र्लासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ़ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफ़ा कामिल किदवाई, श्री
मेहरवान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ़ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री

राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफ़ीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री

शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवदास श्री
शिवप्रसाद, पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह कुंव (उर्फ़ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ़ छन्नू बाबू)
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्म सिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा, फ़तेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १२ अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बी० टी० सी० के छात्रों का मनोनयन

१—श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा), श्री दीप नरायन बन, (जिला गोंडा), श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती), श्री महेश्वर दत्त सिंह (जिला गोंडा), श्री महादेव प्रसाद (जिला बहराइच), श्री चन्द्रमणिकान्त सिंह (जिला बहराइच), श्री आनन्द सिंह (जिला गोंडा), श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली), श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कृष्ण मगन सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिलेवार कुल कितने बी० टी० सी० के छात्र सरकार द्वारा इस वर्ष मनोनीत किये गये हैं तथा किस आधार पर ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

अब तक कुल १,५६७ बी० टी० सी० के छात्र सरकार द्वारा मनोनीत किये जा चुके हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

मनोनयन प्रायः विशेष स्थितियों, संरक्षणों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किये जाने की नीति है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७६ पर)

श्री शीतला प्रसाद सिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं या वे कौन से संरक्षण हैं जिनके आधार पर मनोनयन किये गये हैं। क्या इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, परिस्थिति क्या है, आयु अधिक है कोई अपाहिज है, अन्धा है, या कोई विधवा है या कोई बेरोजगार है, य परिस्थितियां हैं। अध्यापन में विशेष रुचि हो। संरक्षण हरिजन वर्ग के लिये, अल्प संख्यकों के लिये या महिलाओं के लिये है।

श्री आनन्द सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी मान्यवर ने कहा कि मनोनयन विशेष परिस्थितियों और संरक्षण को ध्यान में रख कर किया गया है। परन्तु व कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं कि गोंडा जिले से ग्यारह और आजमगढ़ से १०२ कैन्डीडेट सेलेक्ट किय गय हैं

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, मनोनयन जिलेवार नहीं किया गया है। हमारे पास जो एप्लीकेशन्स आईं और उसमें दख लिया गया कि किसी माननीय सदस्य की सिफारिश है उसी आधार पर मनोनयन करत चले गय। कई जगहों स बहुतों न अप्लाई ही नहीं किया है।

श्री आनन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा अभी आपने कहा कि सिफारिशें आईं और उस पर हम करत चल गय। तो क्या सारा बी० टी० सी० का सेलेक्शन सिफारिशों पर ही किया गया है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो सूची पेश की है उसमें कितने हरिजन, कितने मुस्लिम और कितनी स्त्रियां हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, इसकी संख्या तो बताना मुश्किल होगा । इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री शीतला प्रसाद सिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि दरख्वास्तें जहां की आई थीं वहीं की की गईं । यह सचना मानकर मरा निवेदन है कि गोंडा जिले से पचासों हरिजनों की दरख्वास्तें आई हैं जो इन्टर फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन थे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, हो सकता है कि आई हों, लेकिन जिलेवार सूचना मेरे पास नहीं है, योग्यता और उम्र देखकर ही मैंने किया है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई कोटा उम्मीदवारों के सम्बन्ध में है और क्या विधान सभा के सदस्यों के लिये कोई न्यूनतम संख्या मुकर्रर कर रखी है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

ऐसा तो कोई कोटा निश्चित नहीं था, लोक सभा के सदस्य भी हैं, राज्य सभा के भी हैं, कितने उच्च अधिकारियों के भी हैं । ऐसा कोई कोटा नहीं बनाया गया था ।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों के अलावा कुछ और लोगों को भी नामजद करने का इरादा है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अभी तो सिफारिश काफी हो गई हैं, कोई इरादा नहीं है ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस जिले में कम कोटा है, कहीं १५०, कहीं २५, कहीं १५, कहीं १० है, क्या इस असंतुलन की दृष्टि से वह यह तय करेंगे कि एक जिले में मिनिमम कम से कम इतनी संख्या अवश्य हो, जहां कम है वहां से कुछ पूरा करेंग ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जितनी संख्या यूनिट्स में जानी है बहुत ज्यादा हो गई तब तो मजबूरी होगी लेकिन अगर कहीं कोई कमी रही तो जरूर देख लेंगे ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

मिर्जापुर शक्षिक दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ इलाका है जहां हरिजन और आदिवासी काफी रहते हैं तो क्या उनकी संख्या में संतुलन लाने के लिये आदिवासी और हरिजन लड़कों को मंत्री जी कुछ प्राथमिकता देंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यदि गुंजायश होगी तो देख लिया जायगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करगे कि आपने जो थर्ड डिवीजनर्स को मनोनीत किया है वह विधायकों की संस्तुति पर किया है, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह सही है कि थर्ड डिवीजनर्स भी हुये हैं और यह एक विशेष परिस्थिति थी जिसमें करना पड़ा, यह बताना तो मुश्किल है कि किन-किन की सिफारिश पर हुआ।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर की बी० टी० सी० संस्था को खत्म किया गया है तो विधायकों की तरफ से कानपुर से कितने उम्मीदवार भेजे जा रहे हैं?

श्री रामजीलाल सहायक—

यूनिट वाइज संख्या तो इसमें नहीं है लेकिन जो जिलेवार सूची बनी है वह तो कहीं न कहीं भेजे ही जायेंगे जिनका कि मनोनयन हुआ है।

रामगंगा नहर, खण्ड फतेहपुर के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच

**२—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि रामगंगा नहर खंड, फतेहपुर के सहायक अभियन्ता (प्रथम) के विरुद्ध भ्रष्टाचार व सरकारी रिकार्ड में गबन आदि के गम्भीर आरोप लगाये गये थे जिसकी विभागीय जांच भी हो चुकी है? यदि हां, तो जांच के परिणाम-स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

शिकायतें मई, १९६९ व जुलाई, १९६९ में प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच चल रही है।

श्री मोहनलाल कपूर—

इन शिकायतों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह इस महीने में आ जायगी, सम्भवतः।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच कब से चल रही है और कितने निर्णय हो चुके हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो शिकायती पत्र आये थे वे सीधे सीधे अधीक्षक अभियन्ता को दिए गये थे। जो हमारे यहां प्रतिलिपि २६ मई को प्राप्त हुयी थी उसको ७ जून को और जो १४ जुलाई को प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी उसको १६ जुलाई को अधीक्षक अभियन्ता के पास भेज दिया गया था।

श्री मोहनलाल कपूर—

यह विभागीय अधिकारियों द्वारा (अधीक्षक अभियन्ता) जब जांच हो चुकी है तब आप किसके द्वारा फिर से जांच करवा रहे हैं ? क्या विभाग के द्वारा ही जांच करवा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अधीक्षक अभियन्ता के द्वारा हो रही है। वे शिकायतें भी उन्हीं के पास आयीं और उन्हीं की एक-एक प्रतिलिपि हमारे यहां आयी थीं, उनको भी हमने जल्दी से जल्दी जांच करके रिपोर्ट देने के लिए उन्हीं के पास भेज दी है।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अधीक्षक अभियन्ता की रिपोर्ट आ जाय उसके बाद हम देखेंगे और जिससे जांच कराने की आवश्यकता होगी जरूर करायी जायगी ।

श्री धर्म सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन शिकायतों की क्या-क्या डिटेल्स हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, बड़े लम्बे हैं, करीब-करीब ८ पेजेज में हैं और सबके पढ़ने में समय लगेगा। मोटी-मोटी ३–४ बातें हैं। एक शिकायत भ्रष्टाचार की है, एक मेजरमेंट बुक में कुछ इन्टरपोलेशन यानी काट-छांट की है, एक जाली मस्टर रोल बनाने की है, एक वर्क आर्डर में गड़बड़ी की है, एक फाल्स टी० ए० बिल बनाने की है और एक ओवरसियर को जान से मार डालने की धमकी की है।

औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये सुविधायें

**३—श्री शिवराज सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़े उद्योगों के विकास के लिये सुविधायें देने की बजट में घोषणा के अनुसार सरकार इन बड़े उद्योगों को किस दर पर बिजली, किस दर पर भूमि और किन-किन शर्तों पर ऋण देना निश्चित किया है और इसके अतिरिक्त और क्या-क्या सुविधायें देने जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

औद्योगीकरण की गति में तीव्रता लाने के लिये राज्य सरकार ने बड़े तथा छोटे उद्योगों के विकास हेतु विद्युत् भूमि तथा ऋण संबंधी निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की है:

विद्युत्—राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा समस्त प्रदेश में समान विद्युत शुल्क की दर प्रचलित है। नवीन औद्योगिक इकाइयों को जिनकी अनुबंधित विद्युत् शक्ति की मांग १०० के० वी० ए० से अधिक है तीन वर्ष तक १५ प्रतिशत की छूट दी जाती है। ऐसे विद्युत् रसायन एवं विद्युत् धातु कर्मक उद्योगों को जिनमें विद्युत् का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है ०.५ पैसे प्रति यूनिट की दर से छूट का प्राविधान है। कुछ विशेष श्रेणी की लघु औद्योगिक इकाइयों को ६ पैसे प्रति यूनिट तक का विद्युत् उपदान किया जाता है।

भमि—औद्योगिक क्षेत्र एक औद्योगिक आस्थान प्रायोजनाओं के अन्तर्गत छोटे तथा बड़े उद्योगपतियों को विकसित भूमि। शैड बिना हानि लाभ के सिद्धान्त पर दी जाती है औद्योगिक क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अब भूमि का कुल मूल्य अलाटमेंट के समय पर वसूल नहीं किया

जाता बल्कि ९ वर्षों में किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दे दी गई है। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यकता होती है भूमि को लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत अर्जन करके उद्योगपतियों को दे दी जाती है।

ऋण– राज्य सरकार उद्योगों के लिये सीधे कोई ऋण नहीं देती है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के माध्यम से उपलब्ध है। निगम द्वारा ऋण प्रदान करने में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है जो आयात की जाने वाली वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती है अथवा निर्यात, सुरक्षा तथा कृषि पर आधारित वस्तुओं का निर्माण करती है। निगम की व्याज की दर रिजर्व बैंक की साधारण ब्याज की दर से ३ प्रतिशत अधिक है। साधारणतया ऋण की वापसी ७ से १२ वर्ष में होती है। ५ लाख रु० तक के ऋण का यथासमय भुगतान कर देने पर छूट की दर १ २ प्रतिशत से बढ़ाकर १ प्रतिशत कर दी गई है। इस धनराशि से ऊपर के ऋणों पर छूट १/२ प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त नई इकाई की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिये वांछित भवन निर्माण तथा मशीनरी को चुंगी कर से मुक्त कर दिया गया है। नये तथा पुराने उद्योगों को कच्चे माल पर तथा नये उद्योगों को निर्मित माल पर सेल्स टैक्स से छूट देने का प्राविधान है। अन्य प्रदेशों की वृहत् इकाइयों तथा लघु इकाइयों की अपेक्षा प्रदेश की इकाइयों को मूल्य वरीयता देने का प्राविधान है।]

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, एक लम्बा-सा उत्तर है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

बहुत लम्बा हो तो मत पढ़िये क्योंकि और लोगों के जो प्रश्न हैं, वे रह जाते हैं। आप खास-खास बातें बता दीजिये।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, बिजली जो बड़े उद्योगों को जिनकी आवश्यकता १०० हार्स पावर से अधिक होती है तो जो साधारण रेट हैं उनसे १५ प्रतिशत कम रेट पर देते हैं। १५ परसेंट तथा की छूट है जो सभी बड़े नय उद्योगों को दी जाती हैं जो कि १०० हार्स पावर बिजली लेते हैं। जो उद्योग एक विशेष रा मैटेरियल लगाते हैं उनको आधा पैसा और छोड़ देते हैं पर यूनिट के हिसाब से। जो छोटे उद्योग हैं जो २० हार्सपावर से कम बिजली लेते हैं उनको ९ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अलग छूट देते हैं जो १७, १८ पैसे हो जाती है। जमीन में हम ऐसा करते हैं कि जमीन ले लेते हैं और उसको किस्तों पर देते हैं नो प्रा फिट नो लास बेसिस पर। १/१० पहले लेते है और शेष को ८ किस्तों में बांट देते हैं। यह सुविधा बड़े तथा छोटे सभी उद्योगों के लिये है। बड़े उद्योग अगर ज्यादा जमीन चाहेंगे तो उनको जमीन एक्वायर कर देंगे मार्केट रेट पर। उनको ऋण यू० पी० फाइनेन्शियल कारपोरेशन देता है अलग-अलग रेट पर। ५० हजार ६ परसेंट पर, १ लाख तक ७ परसेंट पर, १ लाख और ५ लाख के बीच साढे ७ परसेंट पर, ५ लाख से ऊपर ८ परसेंट सूद पर द्योगों को यह कारपोरेशन रुपया देता है और यह नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चलता है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ४–ए और ४–बी में सेल्स टैक्स की छूट दी जाती है। नये उद्योग को कुछ रा-मेटीरियल में छूट दी जाती है।

श्री शिवराज सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बतलायेंगे कि बड़े उद्योगों पर बिजली किस दर पर दी जाती है ?

पूर्व पृष्ठ से [ ] सरकार से प्राप्त लिखित उत्तर।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

बिजली के रेट अब सारे प्रदेश में सब के लिये एक हैं और रेट इस पर डिपेंड करता है कि क्या लोड फैक्टर है, कितनी पावर कोई उद्योग लेता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो रेट फिक्स करता है १०० हार्स पावर से ऊपर वालों को १५ परसेंट छूट दी जाती है। रेट वाली बात आप बिजली वालों से कहिये।

श्री शिवराज सिंह—

बड़े उद्योगों से बिजली का जो रेट लिया जाता है उसका मिनिमम और मेक्जिमम क्या है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह सवाल बिजली वालों से आप पूछ सकते हैं। मुझे यह बतलाया गया है कि यू० पी० भर के लिये बिजली का रेट एक है।

श्री बीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो ६ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सबसिडी आप देते हैं वह प्रदेश की सरकार से अथवा केन्द्रीय सरकार की ओर से दी जाती है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अभी तो हम ही देते हैं।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह ख्याल रखेगी कि भूमि जो वह माकट रेट पर लेती है तो ऐसी भूमि नहीं लेगी जिसमें काश्त होती हो ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

ऐसा निश्चय तो नहीं किया गया है। लेकिन यह जरूर किया है कि कोशिश यह करेंगे कि वह भूमि ली जाय जिसमें काश्त न होती हो और उसकी जांच करवा लेते हैं कि उद्योग वहां चल सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि रिहन्द डैम से बिड़ला के अल्यूमिनियम फैक्टरी को कास्ट प्राइस से कम दर पर बिजली दी जाती है ? यदि हां, तो उस आधार पर और लोगों को भी बिजली देने का विचार सरकार करेगी ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

बिजली वाली बात मेरे से क्यों पूछते हैं ? वह तो पुरानी बात है। मुझसे जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब दे रहा हूं। क्योंकि मैं पहले इस विभाग में था उसके हिसाब से कह सकता हूं कि यह सूचना सही नहीं है।

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि में उपयोग की जानेवाली तथा बड़े-बड़े उद्योगों में उपयोग की जाने वाली बिजली की दर एक है या उसमें अन्तर है ? यदि अन्तर है तो वह क्या है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा———

एक नहीं है। छोटे उद्योगों में बिजली की दरें सस्ती हैं।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि छोटे उद्योगों के लिये भी कर्जा दिया जाता है। तो क्या पावर लूम इंडस्ट्री के लिये भी सरकार कर्जा देने का इरादा रखती है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

मैंने एक, दो पुस्तिका बंटवाई हैं। उसमें है कि यू० पी० फ़ाइनेंशियल कारपोरेशन सब लोन्स देता है। उसके कुछ नियम हैं। उनके अनुसार वह सबको कर्जा देगा जो नये उद्योग लगायेंगे।

श्री शिवराज सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न। मंत्री महोदय से जब कोई प्रश्न किया जाय तो उसका उत्तर वह कुछ भी दे सकते हैं या उन्हें प्रश्न से संगत उत्तर देना चाहिये। मैंने उनसे पूछा था कि कृषि का मुकाबिला करें उद्योग में दी जाने वाली बिजली की दरों से। उन्होंने छोटे और बड़े उद्योगों का मुकाबला कर दिया ? तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो भी जवाब दें वह हम मंजूर करें या उत्तर से संबंधित जवाब हो ?

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि उनकी समझ में नहीं आया। आप प्रश्न दोहरा दें।

श्री शिवराज सिंह---

प्रश्न यह था कि माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग में प्रयोग की जाने वाली बिजली की दरें और कृषि में प्रयोग की जाने वाली बिजली की दरें प्रदेश में एक हैं या उनमें अन्तर है ? यदि अन्तर है, तो वह कितना है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

आप तो मिनिस्टर रह चुके हैं। मुझ से बिजली का सवाल क्यों करते हैं ? वह तो बिजली मंत्री से करना चाहिये। मुझे तो इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

ऋणों के संबंध में तीन प्रकार की सुविधा का उन्होंने जिक्र किया---ऋण, भूमि और बिजली। इसमें से किसी का दुरुपयोग हुआ आपके पास ऐसी कोई शिकायत है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

यह बात सही है कि हमारे पास ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि कुछ लोगों ने उस ऋण का सही उपयोग नहीं किया।

श्री शिवराज सिंह---

मेरा फ़िर व्यवस्था का प्रश्न है। वह इस प्रकार से है कि जब व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत हो तो सदन की तमाम कार्यवाही रोक देनी चाहिये और व्यवस्था के प्रश्न का पहले निपटारा होना चाहिये। दूसरे यह कि जो प्रश्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है वह सरकार को सम्बोधित करके किया जाता है। इसलिये कोई मंत्री क्या यह सहारा ले सकता है कि यह प्रश्न उनसे संबंधित नहीं है ? क्या वह इस प्रकार का सहारा ले कर उत्तर देने से मना कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

वह सूचना मांग सकते हैं। जो प्रश्न मंत्री जी से किया गया था वह इस प्रकार है---क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़े उद्योगों के विकास के लिये सुविधायें देने की बजट में घोषणा के अनुसार सरकार ने इन बड़े उद्योगों को किस दर पर बिजली, किस दर पर भूमि

और किन-किन शर्तों पर ऋण देना निश्चित किया है। और इसके अतिरिक्त और क्या-क्या सुविधायें देने जा रही है ?

यह प्रश्न खासतौर से बड़े उद्योगों के बारे में पूछा गया है। इसमें जो भूमि का सवाल आया है वह बड़े उद्योगों के बारे में ही आया है। इस में जो खेती करते हैं उनको बिजली की दर और उद्योगों की बिजली की दर का प्रश्न नहीं है। इसके सिलसिले में वे इसका उत्तर नहीं दे सकते। आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री शिवराज सिंह---

अगर ऐसा था तो आपने प्रश्न को अस्वीकार कर दिया होता। जब आपने उसकी इजाजत देदी तो माननीय मंत्री जी को उसका उत्तर देना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

अगर मंत्री जी को कोई बात नहीं मालूम है तो मंत्री जी को यह कहना ही पड़ेगा कि उसके लिये उन्हें सूचना की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतायेंगे कि मेरठ जिले में अभी हाल ही में मेरठ से उत्तर-पूरब ४ मील पर ४०० एकड़ उपजाऊ सिंचित जमीन, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मोदी वर्क्स को देदी है, जब कि ४ मील दक्षिण-पूर्व की तरफ़ सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुयी है। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी पुनः इस पर विचार करेंगे कि उपजाऊ जमीन के स्थान पर उसको बंजर जमीन दे दी जाय।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

जैसा सवाल माननीय सदस्य ने अभी किया, यह पालसी से ताल्लुक रखने वाला सवाल था। इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जब कभी ऐसे पालसी संबंधी सवालात पूछे जायं तो हर पार्टी के कम से कम एक एक माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी ने तो उसके बारे में कह दिया कि उनको सूचना ही नहीं है। सूचना की उनको आवश्यकता है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न बी० टी० सी० इकाइयां बन्द करना

**६---श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न बी० टी० सी० इकाइयां ३० जून, १९६९ से बन्द कर दी गई हैं और उनके समस्त एल० टी० ग्रेड के अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके पुनः नियुक्ति पर विचार कर रही है और कब तक इनकी नियुक्ति हो जावेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न बी० टी० सी० इकाइयों में से केवल ३२ इकाइयां १ जुलाई, १९६९ से समाप्त की गई है ? तदनुसार प्रश्नगत इकाइयों हेतु सृजित समस्त अस्थायी पद (जिन में एल० टी० ग्रेड के अध्यापकों की सेवायें भी सम्मिलित हैं) १-७-६९ से समाप्त कर देने के आदेश हो चुके हैं।

शिक्षा निदेशक को यह आदेश दिये गये हैं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न उक्त इकाइयों के बन्द कर देने से जिन शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हों, उन्हें अन्य रिक्त पदों पर रखने की व्यवस्था की जावे ।

शिक्षा निदेशक के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बस्ती के अस्पतालों में पेय जल की अव्यवस्था

**५---श्री मुहम्मद नबी (जिला बस्ती)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सदर अस्पताल, बस्ती तथा जनाना अस्पताल बस्ती में मरीजों को अस्पताल में पानी पीने के लिये एक नल उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इनमे मरीजों आदि के पानी पीने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

पेय जल की सप्लाई हेतु सदर अस्पताल, बस्ती में पांच कुयें व दस हैंड पम्प और वहां के जनाना अस्पताल में एक हैंड पम्प और इस अस्पताल के नव-निर्मित भाग में वाटर सप्लाई कनेक्शन की व्यवस्था है ।

श्री मुहम्मद नबी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन १० हैंड पम्प में से कितने हैंड पम्प डाक्टरों के क्वार्टरों में लगे हैं और कितने अस्पताल की बाउन्ड्री में ?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन, यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर मैंने सिविल सर्जन के टेलीग्राम के आधार पर दे दिया है । माननीय सदस्य चाहेंगे तो वह सूचना भी मंगा ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष---

सूचना की आवश्यकता है, इतना ही कहना काफ़ी था ।

श्री मुहम्मद नबी---

मरीजों के पानी पीने के बारे में प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर नहीं मिला । मेरा प्रश्न है इन १० हैंड पाइप में से कितने डाक्टर के घरों में हैं और कितने अस्पताल की बाउन्ड्री में , मरीजों को पानी पीने के लिये है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

हमारी सूचना के आधार पर तो १० हैंड पाइप मरीजों को पानी पीने के लिये अस्पताल में ही हैं । माननीय सदस्य स्थानीय सदस्य हैं, इसलिये उनके कहने के अनुसार जांच करा ली जायगी कि कितने क्वार्टर्स में लगे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करके दोनों अस्पतालों में नल लगवा देंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जो हैंड पाइप मरीजों के लिये लगाये गये हैं, अगर उनके लिये नहीं लगे हैं तो वह तो अस्पताल में लगेंगे ही ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि दस हैंड पाइप केवल मरीजों के पानी पीने के लिये लगे हैं। लेकिन यह केवल मरीजों के लिये नहीं है तो क्या मंत्री जी गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कह दिया है कि वे जांच करायेंगे।

श्री मैनेजर सिंह---

अभी आपके समक्ष मंत्री जी ने कहा कि जो मेरे पास सूचना है उससे मैं नहीं कह सकता कि हैंड पाइप्स क्वाटर्स में हैं या अस्पताल में हैं तो आपको टोकना चाहिये था कि सवाल स्पष्ट है कि मरीजों को पानी पीने के लिये कितने हैंड पाइप हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको शिक्षक बना कर अपने कमरे में नहीं रखूंगा।

श्री मैनेजर सिंह---

आपके कमरे में जाने की क्या बात है। कमरे में जाने वाले बहुत से लोग हैं। आप उनसे कह दीजिये कि गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

आप मुझे शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आप कृपया बैठें।

श्री मैनेजर सिंह---

शिक्षा नहीं दे सकता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी इसको देखते हुये कि वहां आपरेशन थियेटर में नल नहीं हैं और कुंयें के पानी के कारण सैप्टिक होने का डर रहता है, नल लगवाने की व्यवस्था करेंगे जो म्युनिसिपैलिटी का हो ?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, यह सही है कि बस्ती के मरदाना और जनाना अस्पताल में नल की व्यवस्था नहीं है और यह योजना सरकार के विचाराधीन है कि वहां पर पाइप लाइन्स लगा दी जायं और इसके ऊपर शीघ्र निर्णय करेंगे।

कान्यकुब्ज कन्या इन्टर कालेज, कानपुर की अध्यापिकाओं की मुअत्तली एवं बर्खास्तगी

*६---श्री शम्भूनाथ चौधरी, (जिला बलिया) श्री मोहन लाल कपूर, श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री जगन्नाथ खन्ना (सहारनपुर)---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कान्यकुब्ज कन्या इंटर कालेज, कानपुर के मैनेजर ने कालेज की १७ अध्यापिकाओं को अवैधानिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया है और उनको पांच माह का बकाया वेतन भी नहीं दिया है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

कोई अध्यापिका सेवा मुक्त नहीं की गई। माह मई तक का वेतन दे दिया गया है।

**७—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री मोहन लाल कपूर, श्री नित्यानन्द स्वामी तथा श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त अध्यापिकाओं को बकाया वेतन दिलाने एवं बर्खास्तगी आदेश को रद्द कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सेवामुक्ति संबंधी नोटिस वापिस ले लिया गया है। जून और जुलाई का वेतन शीघ्र ही दे दिया जायेगा।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सेवामुक्त संबंधी नोटिस कब वापस हुआ और मई तक का वेतन कब दिया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, इसमें तारीख नहीं है, सूचना की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि नोटिस क्यों दिये गये और क्यों वापस हुए ?

श्री रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, कारण तो इसमें नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप फिर गलती करते हैं। सूचना की जरूरत है, कहना चाहिये।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्कूल के मैनेजर के द्वारा दो सात से पांच अध्यापिकायें मुअत्तल हैं और बराबर शिकायत करने के बावजूद भी आज तक आर० आई० जी० एस० ने निरीक्षण नहीं किया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, इसकी तो सूचना की आवश्यकता होगी। इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे कि करीब-करीब राज्य भर में अधिकांश स्कूलों में मैनेजरों की यह प्रवृत्ति है—नोटिस देना, फिर वापस लना, इससे बड़ी हानि हो रही है और शिक्षा में त्रुटि हो रही है, तो क्या वह ऐसा आदेश देंगे कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लग सके ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अवश्य प्रबन्ध करूंगा।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि इन १७ अध्यापिकाओं में से कितनी अध्यापिकाएं ऐसी हैं जिनको पांच वर्षों से हर वर्ष नोटिस दिया जाता है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, इसको भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताएंगे कि क्या इनको उसी सेवा में रखा गया है या नयी नियुक्ति की गयी हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जो नोटिस दिया गया था वह वापस कर लिया। उसी सेवा में हैं।

श्री मनोहरलाल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि आडिट आब्जेक्शन को रिमूव करने की वजह से इस स्कूल ने अपनी ग्रान्ट नहीं उठायी है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसकी भी सूचना की आवश्यकता होगी। जाहिर जरूर ऐसा होता है।

श्री दीपनारायण मणि—

क्या माननीय मंत्री मेरी सूचना को सूचना मान कर पता लगायेंगे कि पांच वर्ष से जो अध्यापिकाएं मुअत्तल हैं, अभी तक उनकी पुनः नियुक्ति की कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जो १७ के अलावा हैं ?

श्री रामजी लाल सहायक—

माननीय सदस्य लिख कर दे दें। जरूर उसका इंतजाम करेंगे ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताएंगे कि जिनको नोटिस दिया था उनमें कितने कन्फर्म हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अब, कन्फर्म को तो कोई नोटिस वैसे दी नहीं जाती ।

उपनिदेशक, पशुपालन विभाग के विरुद्ध आरोप

**८—श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि उपनिदेशक, पशुपालन विभाग मुख्यालय जो कुक्कुट आहार उत्पादन केन्द्र पर हुई भारी अनियमितताओं के लिये उत्तर-दायी हैं तथा जिनके विरुद्ध लगाये आरोप शासन के विचाराधीन हैं वे पदोन्नति पर सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ पर नियुक्त किये जा रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

यह सही है कि सम्बन्धित उपनिदेशक पशुपालन के विरुद्ध लगाये हुये आरोप शासन के विचाराधीन हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी सेन्ट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़ के जनरल मैनेजर के पद पर नियुक्ति की संस्तुति की गई है। अभी इस पद पर उनकी नियुक्ति के प्रश्न पर शासन ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

श्री रामसागर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपनिदेशक पशुपालन विभाग के ऊपर कितने और किस प्रकार के आरोप हैं और वह किसके द्वारा लगाये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

उनके ऊपर १५ आरोप हैं और पशुपालन विभाग के डाइरेक्टर ने उन पर आरोप लगाये हैं और शासन को भेजे हैं।

श्री रामसागर—

क्या माननीय मन्त्री जी उन आरोपों को सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यदि संक्षेप में आप कह सकते हैं तो कहें।

डाक्टर सीताराम—

लिस्ट तो बहुत बड़ी है और आप की आज्ञा से खास-खास बातें बता देना चाहता हूं। पहला चार्ज यह है कि डिप्टी डाइरेक्टर ने, जिस फर्म का सब से कम टन्डर था सामान परचेज के बारे में उनको न देकर ज्यादा टेन्डर वाले को दिया। दूसरा चार्ज यह है कि एक फर्म को उन्होंने अनड्यू फेवर दिखाया है। तीसरा यह है कि बिना सामान पाये उन्होंने एमाउन्ट ड्रा कर लिया। चौथे कान्टीजेन्सी बिल में उन्होंने झूठा सार्टीफिकेट दिया। पांचवा चार्ज यह है कि जानवरों को खिलाने के लिए जी० एल० के०, एक प्रकार की खली, को उन्होंने खरीदा, जिसमें गवर्नमेन्ट का काफी लास हुआ।

श्री अध्यक्ष—

बस इतना काफी है, आपने नेचर बता दिया।

श्री रामसागर—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिनके खिलाफ इतने गम्भीर आरोप हैं, उनके खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

चार्जशीट शासन के विचाराधीन है, यह मैंने प्रश्नोत्तर में बताया है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लोकसेवा आयोग के सामने जब यह गये थे तो उस वक्त आयोग को यह चार्ज बता दिये गये थे या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस जांच के दौरान उनको मुअत्तल क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

जब तक चार्जशीट न दे दी जाय, उसका जवाब न आ जाय और सरकार सन्तुष्ट न हो जाय, तब तक उनको मुअत्तल करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसी बीच १७ जनवरी, १९६९ को उन्हें लोकसेवा आयोग से चुन लिया गया था और चार्जशीट १ फरवरी, १९६९ को आई थी। तो गवर्नमन्ट के सामने मसला है कि एक तरफ तो लोकसेवा आयोग की संस्तुति शासन के सामने है १,०००–१,५०० के स्केल में होने के लिए, और उसके थोड़े दिन बाद ही यानी इन्टरव्यु के बाद ही उनके खिलाफ चार्जशीट आई। इस समय शासन के सामने दोनों बातें चल रही हैं, क्योंकि उनको यदि बिना कम्पलीट चार्जशीट लगाये हुए और उनके जवाब की जांच किये बिना मुअत्तल किया जाता है तो वहां शासन के समक्ष कठिन परिस्थिति उत्पन्न होगी कि लोक सेवा आयोग ने जो उन को चुन कर भेजा है उसके बारे में क्या किया जाय ? लेकिन मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग की संस्तुति आने के पश्चात् भी सरकार ने उन्हें

अभी तक नियुक्त नहीं किया है बल्कि एप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट को इस मामले में लिखा है कि इनके बारे में क्या किया जाय जब कि उनके खिलाफ चार्जज हैं और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग ने उनको चुन लिया है।

एक सदस्य

श्री गोविन्द सिंह नेगी तो यहां पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

श्री नेगी अगर यहां पर नहीं हैं तो इसे रहने दिया जाय।

टिहरी-गढ़वाल के काण्डी ग्राम में आबकारी कर्मचारियों द्वारा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार की जांच

**९--श्री गोविन्द सिंह (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ जुलाई, १९६९ को ग्राम काण्डी पट्टी छैजला, परगना जौनपुर, जिला टिहरी गढ़वाल में आबकारी महकमे के एक दल ने ग्रामीण महिलाओं के शीलभंग करने की चेष्टा की, जिससे ग्राम-वासियों और आबकारी विभाग के दल के बीच भयंकर मार-पीट हुई जिसमें कि बहुत से लोगों को चोटें आयीं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

१२-७-१९६९ को ऐसी कोई घटना नहीं हुई। परन्तु दिनांक २८-६-१९६९ को अपरान्हन में आबकारी निरीक्षक, टिहरी-गढ़वाल अपने दल सहित जिले के ग्राम कांडी, पट्टी छजूला, परगना जौनपुर में आबकारी के मुकदमे पकड़ने गया। आबकारी निरीक्षक को यह सूचना थी कि इस ग्राम में अवैध आसवन हो रहा है। ग्राम कांडी में पहुंचने पर आबकारी निरीक्षक ने वहां अवैध आसवन के ५ मुकदमे पकड़े। जब उन केसों की बरामदगी सूची बनाई जाने लगी तो अचानक उक्त ग्रामीणों ने आबकारी दल पर हमला कर मारपीट की और उनको सख्त चोट पहुंचायी। अन्य सामान के अलावा आबकारी निरीक्षक की पिस्तौल व हथकड़ी भी ग्रामीणों ने मारपीट के दौरान छीन ली। आबकारी दल के एक व्यक्ति के मसूरी थाने में सूचना देने पर मसूरी की पुलिस सहायतार्थ गांव में गई और घायल आबकारी कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस देहरादून के सूचित किये जाने पर दिनांक २९-६-१९६९ को सब-इन्सपेक्टर पुलिस, नरेन्द्रनगर मौके पर गये तथा तफ्तीश की। दस अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तथा भारतीय दंड संहिता की धारा १४७/३९५/३३३/३३२/३४२ के अन्तर्गत मुकदमा मेघ सिंह आदि के विरुद्ध कायम हुआ। आबकारी निरीक्षक की पिस्तौल व हथकड़ी भी पकड़े गये व्यक्तियों से बरामद हुई।

जहां तक आबकारी दल द्वारा ग्राम की स्त्रियों के शीलभंग करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उक्त ग्रामवासियों ने प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अथवा पटवारी को रिपोर्ट नहीं की और न न्यायालय में मुकदमा ही दायर किया। जिलाधिकारी टिहरी-गढ़वाल के पास भी इस प्रकार की शिकायत करने उस ग्राम का कोई व्यक्ति अथवा ग्राम प्रधान १-७-१९६९ तक भी नहीं आया। ८-७-१९६९ को कुछ लोग जिलाधिकारी से मिले व आबकारी दल द्वारा स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार की बात की व मौके की जांच की प्रार्थना की।

१४-७-१९६९ को मण्डलायुक्त गढ़वाल डिवीजन उस ग्राम में जांच हेतु गये व वहां अनौपचारिक जांच की। ग्रामवासियों ने आबकारी दल की दबिश की पुष्टि की व कहा कि ग्राम के कुछ घरों से अवैध शराब प्राप्त हुई थी। तीन स्त्रियों ने यथा श्रीमती रोशन देवी, भीमदेई व श्यामदेई ने आबकारी दल के दुर्व्यवहार की शिकायत की व यह भी कहा कि उन्होंने

उनके शीलभंग करने की कोशिश की जिसको उन्होंने रोका। ग्राम की स्त्रियां दुर्व्यवहार में शामिल आबकारी कर्मचारी के नाम अथवा हुलिया नहीं बता पायी।

इस विषय में गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने के आदेश २२ जुलाई, १९६९ को हो चुके हैं। जांच पूरी होने पर मामले में और जानकारी हो सकेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्रार्थमिकता दिये गये प्रश्न]

श्री अध्यक्ष—

तारांकित प्रश्न संख्या १ शायद यह गलती से कल्पनाथ सिंह जी के नाम छप गया है। श्री कल्यान सिंह का नाम होना चाहिये।

अतरौली तहसील में गंगा का कटाव

*१—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत तहसील अतरौली के हारनपुर कलां, लिया नगला, किरतौली तथा आस-पास के अन्य संकट-ग्रस्त ग्रामों को गंगा की प्रबल धारा के कटाव से बचाने के लिये बन्धों के निर्माणार्थ प्रश्नकर्ता का दिनांक १६ अप्रैल, १९६९ का ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों को गंगा के कटाव से बचाने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था तथा ग्रामों के समीप नदी की स्थिति को देखते हुए बांध अथवा ठोकर निर्माण की योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं पाई गई।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हारनपुर कलां, लिया नगला और किरतौली के पास गंगा की धारा का कटाव हो रहा है और उन्होंने यह कहा है कि तकनीकी तथा आर्थिक कारणों से वहां पर बंधियां और ठोकर लगाना उचित नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से तकनीकी और आर्थिक कारण हैं जिनकी वजह से उन तीनों गांवों को सत्यानाश के कगार पर खड़ा किया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तकनीकी कारण यह है कि न बांध से इनकी रक्षा हो सकती है और न ठोकर बनाने से ही इनकी रक्षा हो सकती है। जो नदी का तरीका है और ढंग है वह घूमता है और जिस तरह से वह अपना रास्ता बदलती रहती है उसमें न बन्धी ही उपयोगी होगी और न ठोकर से काम चलेगा। ठोकर अगर बना भी दिये जायं तो उसका परिणाम यह होगा कि इन गांव के बचाने में नदी का दूसरे गांवों पर अटैक हो जायेगा। आर्थिक कारण यह है कि अगर ठोकर बनायेंगे तो उस पर पचास लाख रुपया खर्च होगा और केवल तीन गांवों की सुरक्षा का प्रबन्ध दूसरे तरीको से किया जा सकता है।

श्री हिम्मत सिंह—

मेरा प्रश्न इसी प्रश्न से सम्बन्धित है। क्या माननीय उप मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जिन दूसरे तरीकों का उल्लेख अभी किया जिन से गांवों को बचाया जा सकता है तो उनमें कौन सा तरीका आप के विचाराधीन है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ऐसे स्थान से गांवों को हटा देने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और इसके लिये आदेश हो चुके हैं कि अगर लोग तैयार हों तो उनको सुरक्षित स्थानों पर बसा दिया जाय।

श्री कल्यान सिह--

दूसरे स्थानों पर जिन लोगों को बसाया जायगा क्या उनके लिये सरकार रोजगार और भूमि देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, जब बसाने का काम शुरू होता है तो कोई भूमि की व्यवस्था अगर हो सकती है तो उसको देखा जाता है और जो सरकार मदद कर सकती है वह करती है। मुआवजा देने का उसमें कोई प्रश्न नहीं होता है लेकिन लोगों को बसाने के लिये जो प्रबन्ध हो सकते हैं उनको करने की चेष्टा की जाती है।

श्री कल्यान सिह--

क्या उप मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी जमीन गंगा की धार के कारण कट चुकी है ? जो जमीन कट जाती है उसको वन विभाग ले लेती है तो क्या सरकार इस बात का प्राविधान करेगी कि जिनकी जमीन कट जाती है उन्हीं को उस जमीन को दिलाया जाय जो जमीन गंगा उस पार छोड़ देती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कितनी जमीन कट चुकी है यह अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं।

ग्राम हारनपुर--इस ग्राम का क्षेत्रफ़ल १९३९ के बन्दोबस्त के समय १९५९ एकड़ था। इसमें से १९६५ तक १,१०९ एकड़ क्षेत्रफ़ल गंगा नदी ने काट लिया था। शेष ८५० एकड़ में से अब तक ११७ एकड़ और कट गई है। अब केवल ७३३ एकड़ बाकी रह गया है। इसमें से कृषि योग्य भूमि ६४७ एकड़ तथा शेष आबादी रास्ता गैर मुमकिन (जो काश्त नहीं हो सकता इत्यादि) है।

ग्राम किरतौली--सन् १९३९ के बन्दोबस्त के अनुसार इस ग्राम का क्षेत्रफ़ल ७९७ एकड़ था परन्तु इस समय केवल ५ एकड़ भूमि शेष रह गयी है। जिसमें १ एकड़ भूमि में झोपड़ियां आदि डालकर ग्रामीण रह रहे हैं तथा शेष ४ एकड़ भूमि में कृषि हो रही है।

ग्राम नगला अलियापुर--इस ग्राम का क्षेत्रफ़ल १९३९ के बन्दोबस्त के अनुसार ४२४ एकड़ है जिसमें ३४५ एकड़ भूमि कृषि योग्य है तथा शेष क्षेत्र में आबादी, रास्ता, बन्ध इत्यादि सम्मिलित हैं। इस ग्राम की आबादी दो स्थानों पर स्थित है--

(अ) एक आबादी विभाग द्वारा बनाया हुआ बन्ध मील १६ १/२ जो संलग्न नक्शे में लाल लाइन से दिखाया गया है के आखीर पर स्थित है। इस क्षेत्र की गंगा नदी से कोई नुकसान नहीं है और गंगा नदी आबादी से करीब २ फर्लांग दूरी पर है।

(ब) दूसरी आबादी ग्राम नगला अलिया के क्षेत्र में फतेहपुर गंग मजरा, नगला अलिया के नाम से स्थित है। यह आबादी २ एकड़ भूमि में बसी है। अब तक आबादी को गंगा नदी से कोई हानि नहीं पहुंची परन्तु गंगा नदी के कटाव का किनारा ग्राम से लगभग ५० फ़ीट है। कटाव जारी रहने पर ग्रामवासियों को दूसरे स्थान पर बसना पड़ेगा।

कृषि विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन भुगतान

***२—श्री हर नरायन (जिला पीलीभीत)—**

क्या सरकार को यह ज्ञात कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कृषि विभाग के समस्त कर्मचारियों को राजाज्ञा नवीन वेतन क्रम नं० १ २६२/दस-१४३–१९६५, दिनांक २८ फरवरी, १९६६ के अनुसार वेतन का अवशेष देय धन का भुगतान हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां, सरकार कृषि विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को राजाज्ञा संख्या जी १,२६२/एक्स/१४३/१९६५ दिनांक २८ फ़रवरी, १९६६ के अनुसार नवीन वेतन क्रम में वेतन अथवा अवशेष देय धन के भुगतान के संबंध में स्थिति से अवगत है। फल निदेशालय के अन्तर्गत समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों कथित राजाज्ञा के अनुसार वेतन अथवा देय अवशेष धन का भुगतान किया जा चुका है। कृषि निदेशालय के अन्तर्गत स्वीकृत १० हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी के पदों में से केवल ४२ कर्मचारियों को कथित राजाज्ञा के अनुसार वेतन अथवा अवशेष देय धन का भुगतान बाकी है। प्रासंगिक भुगतान, सेवा पुस्तिकाओं के अभाव, उनके उपलब्ध न होने अथवा अपूर्ण होने, नवीन वेतन क्रम के संबंध में विलम्ब के विकल्प प्राप्त होने तथा कुछ बिलों के महालेखाकार के कार्यालय में सम्परीक्षण हेतु विचाराधीन होने के कारण रुके हैं।

श्री हर नरायन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस-किस जिले में कितने-कितने कर्मचारी हैं जिनको धन नहीं मिला है ?

डाक्टर सीताराम—

वे ४२ इस प्रकार से हैं:—

			संख्या
उप-कृषि निदेशक, आगरा	..	..	१
जिला कृषि अधिकारी, बदायूं	..	..	२
प्रधानाचार्य, कृषि विद्यालय, गोरखपुर	..	..	२
जिला कृषि अधिकारी, फ़तेहपुर	..	..	१२
कृषि रसायनज्ञ, कानपुर	..	..	१
जिला कृषि अधिकारी, बलिया	..	..	१
कृषि उद्यान अधिकारी, चकराता	..	..	१
जिला कृषि अधिकारी, इटावा	..	..	१
जिला कृषि अधिकारी, गोंडा	..	..	९
जिला कृषि अधिकारी, झांसी	..	..	६
जिला कृषि अधिकारी, शहाजहांपुर	..	..	६
	योग	..	४२

श्री हर नरायन—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ४२ कर्मचारियों के अवशेष पाने में जो कमी है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

डाक्टर सीताराम—

इन ४२ में से २२ की सर्विस बुक कम्पलीट हो कर ए० जी० आफिस को चली गई है। और मुझे आशा है वह शीघ्रातिशीघ्र पेमेंट हो जायगा क्योंकि एक साल से ज्यादा अगर पेमेंट

कहीं रुकता है तो उसका प्रिआडिट के लिये जाता है। इसलिये २० कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन देना अभी बाकी है। एडीशनल डाइरेक्टर ने यह आदेश दिया है कि जिलों के अन्दर जिन छोटे कर्मचारियों का वेतन अभी वितरण नहीं किया गया है अगर १५ दिन के अन्दर उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जायगी।

[१२ अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कोटबाग विद्युतीकरण योजना

*१---श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

विधान सभा की बैठक १९ दिसम्बर, १९६७ ई० के प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के संदर्भ में क्या विद्युत् मंत्री महोदय बतायेंगे कि कोटाबाग में जो विद्युत् लाइनों के लिये लोहे के खम्बे विभाग द्वारा गाड़े गये हैं यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

कोटाबाग के विद्युतीकरण हेतु जंगल से होकर जाने वाली विद्युत् लाइन के निर्माण हेतु वन विभाग से जंगल साफ़ करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। जंगल साफ किया जा रहा है उसके पश्चात् तुरन्त ही लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायगा। इस वर्ष के अन्त तक इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

हल्द्वानी तहसील में शारदा विद्युत की लाइन

*२---श्री इन्द्रलाल---

विधान सभा की बैठक दिनांक १९ दिसम्बर, १९६७ के प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या विद्युत् मंत्री बतावेंगे कि संबंधित योजना का कार्य कब से चालू होने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जिला नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी, कालाढूंगी रोड से फ़तेहपुर तक ४.५ मील लम्बी बनने वाली ११ के० वी० लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

श्री इन्द्रलाल---

श्रीमन्, यह प्रश्न ६७ का है और बन विभाग ने विद्युत् को इजाजत देने में इतना समय लगा दिया। जनहित में उस विभाग ने इतना समय लगा दिया तो शासन उसको ऐसा आदेश देगा जिससे भविष्य में वह इस प्रकार के जनहित के कार्य में इतना बिलम्ब न करे और शासन की आज्ञा के अनुसार कार्य करे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

बन का विभाग भी सार्वजनिक हित का है। अगर कोई चीज करनी होती है, बन का कटान होता है तो विभाग उसको देखता है कि कोई दूसरा रास्ता बिना कटान हुये निकल सकता है या नहीं और यह भी देखा जाता है कि जो बहुमूल्य बन है उसकी कटान से हानि न हो। इन सब बातों को दख कर वह काम करता है। अब उन्होंने इजाजत दे दी और वहां पर कार्य शुरू हो गया है और इस वर्ष के अन्त तक इस काम के पूरा हो जान की आशा है।

ऐग्रो-इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा ट्रैक्टरों का वितरण

*३---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के द्वारा दिये गये ट्रैक्टरों की संख्या प्रति कमिश्नरी के अनुसार क्या है और उसके बटवारे का क्या आधार है ?

नोट---तारांकित प्रश्न २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टर सीताराम—

एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा दिये गये ट्रैक्टरों की संख्या प्रति कमिश्नरी के अनुसार निम्न प्रकार है :

		संख्या
(१)	लखनऊ	८४
(२)	फजाबाद	५०
(३)	गोरखपुर	८२
(४)	वाराणसी	३७
(५)	इलाहाबाद	७९
(६)	नैनीताल	८१
(७)	बरली	२११
(८)	झांसी	८८
(९)	मरठ	३२२
(१०)	आगरा	१३७

ट्रैक्टरों का वितरण "प्रथम आया प्रथम पाया" के आधार पर किया जाता है ।

*४—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कौन-कौन से ट्रैक्टर कारपोरेशन द्वारा किसानों को दिये जा रह हैं और दिनांक १ जून, १९६९ तक कितने ट्रैक्टरों की दरखवास्तें आ चुकी हैं ?

डाक्टर सीताराम—

कारपोरेशन द्वारा किसानों को निम्न प्रकार के ट्रैक्टर दिये जा रहे हैं:—

(१) जीटर २०११
(२) डी० टी० १४, बी
(३) बोल्गर टी० एल० ३०
(४) बायलरस रशियन
(५) रूमानियन
(६) जी० डी० आर०आर० एस० ०९
(७) एस्कार्ट ३७

१ जून, १९६९ तक ट्रैक्टरों के लिये कुल १२,१८७ दरखवास्तें आ चुकी हैं ।

फतेहपुर व इलाहाबाद जिले के लिए सिंचाई योजना

*५—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर व इलाहाबाद जिले की कितनी असिंचित या अल्पसिंचित भूमि उत्पादक सिंचाई के रूप में सींचने के लिये सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निश्चय किया है तथा उनका विवरण किस प्रकार है, कितनी भूमि किस क्षत्र की किस योजना से सींची जा सकेगी और योजना की लागत कुल कितनी होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

फतेहपुर व इलाहाबाद जिले के ३,१८,७७६ एकड़ तथा ४,०८,७२८ एकड़ क्षेत्र को सिंचन सुविधा प्रदान करने क लिये जो वृहद, माध्यमिक व लघु सिंचाई योजनायें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है, इसका विवरण †संलग्न सूची में दिया है ।

---

†छापा नहीं गया ।

*६—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूखाग्रस्त जिले कौन-कौन से हैं और उनमें कौन सी सिंचाई योजनायें लागू करके सरकार किसानों को राहत देना चाहती है ? उन योजनाओं की लागत क्या है और कितनी अवधि में उसे पूरा करने का सरकार का इरादा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश के सूखाग्रस्त जिले निम्नलिखित हैं—

मिर्जापुर, इलाहाबाद, वाराणसी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, गांजीपुर व बांदा ।

उपरोक्त सूखाग्रस्त जिलों में सिंचन सुविधा प्रदान करने के लिये प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं का विवरण संलग्न है ।

*७-८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त किये गये ।]

देवरिया जिले में कृषि यंत्रों की सप्लाई

*९—श्री हरिवंश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में कृषि विभाग द्वारा जिले के समस्त विकास क्षेत्रों को कृषि यंत्र की सप्लाई करने हेतु वर्ष १९६५ से १९६८ के बीच कितने रुपये की खरीद की गई थी और वह सप्लाई किस फर्म द्वारा की गई थी ?

*१०—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त फर्म ने ऐसे कृषि यंत्र का भुगतान लिया जिसका उत्पादन उक्त फर्म ने न तो किया था और न सप्लाई किया ? यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नहर गंग के अधिकारियों के विरुद्ध झींझक के पुल पर दी गयी शिकायतें

*११—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २७ जनवरी, १९६९ को नहर गंग डिवीजन इटावा के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर व सहायक अभियन्ता तृतीय खंड, रूरा के भ्रष्टाचार के विषय में चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के दौरे के समय कानपुर जिले के झींझक के पुल पर जनता द्वारा दो प्रार्थना-पत्र दिये गये । यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । इन दोनों प्रार्थना-पत्रों में लिखी बातों की अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच कराई गई । परन्तु इन अधिकारियों क विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

रामगंगा चैनल निर्माण प्रथम खण्ड, कानपुर के असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ जांच

*१२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि रामगंगा चैनल निर्माण खंड, कानपुर द्वितीय के असिस्टेन्ट इंजीनियर, द्वितीय ने ज्योतिस्वरूप ठेकेदार को जो वर्क आर्डर सं० २७/३, दिनांक ५ जुलाई, १९६८ में १२० रु० के रट का दिया था उसे काटकर १२९ रु० करके सरकार के पैसे का गबन किया है । यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह मामला रामगंगा निर्माण खंड द्वितीय, कानपुर से संबंधित न होकर प्रथम खंड से संबंधित है और ठेकेदार का नाम ज्योतिस्वरूप न होकर नर्वदा प्रसाद है। ज्योति स्वरूप उस अधिदर्शक का नाम है जिसके द्वारा यह कार्य कराया गया था। यह सत्य है कि वर्क आडर १२० रुपये के रेट को काटकर १२९ रु० किया गया किन्तु अन्त में ठेकेदार को भुगतान १२० रुपया की दर से ही किया गया था। इस मामले की पूरी जांच कराई जा रही है और यदि दोष सिद्ध हो गया तो संबंधित अधिकारी को उचित दंड दिया जायेगा।

नरैनी क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण

*१३—श्री हरवंश प्रसाद (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले के नरैनी क्षेत्र में स्टेट ट्यूब वैल लिफ्ट इर्रीगेशन आदि सिंचाई हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बांदा जिले के नरैनी क्षेत्र के लिये कई योजनाओं का सर्वेक्षण हो रहा है और वे यदि तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से उचित और संभव प्रतीत हुई तो उनको हाथ में लिया जायगा।

*१४—श्री कृष्ण स्वरूप तथा श्री डूंगर सिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त किया गया।]

गुड़ के दाम गिरना

*१५—श्री रामधारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्रदेश में गुड का दाम बहुत गिर जाने के कारण किसानों को आर्थिक हानि हुई है? यदि हां, तो सरकार भविष्य में उन्हें इससे बचाने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है? वह क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—

गुड़ पर किसी किस्म के आयात निर्यात एवं मूल्य निमन्त्रण नहीं है और उसके दाम बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर हैं। इस समय सरकार के सामने गुड़ के व्यापार पर नियंत्रण लगाने की कोई योजना, जिससे दाम न गिरें, नहीं है। यदि ऐसा प्रस्ताव आया तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा।

*१६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी द्वारा ऋण वितरण

*१७—श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतावेंगे कि १९६७-६८ ई० में जिला नैनीताल समिति, हल्द्वानी को, माइनर इर्रीगेशन का कुल कितना रुपया मिला? इस रुपये में कृषकों को कितना ऋण वितरित किया गया?

डाक्टर सीताराम—

गन्ना विकास समिति हल्द्वानी जिला नैनीताल को वर्ष १९६७-६८ में माईनर इर्रीगेशन का कुल ३,११,०२० रुपया मिला। यह समस्त रुपया कृषकों को ऋण के रूप में वितरित किया गया।

*१८-१९--श्री रामप्यारे--

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कृषि रक्षा उपनिदेशक, ब्रांच लखनऊ में गबन

*२०--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या कृषि मंत्री को पता है कि कृषि विभाग की कृषि रक्षा उपनिदेशक, ब्रांच लखनऊ में गत साल में कई लाख रुपया का गबन हो गया है ? यदि हां, तो क्या स्पेशल आडिट करवाया गया ? यदि हां, तो दोषी कौन-कौन अधिकारी पाये गये ?

डाक्टर सीताराम--

१९६८-६९ में कृषि विभाग की कृषि रक्षा उप निदेशक ब्रांच, लखनऊ में ३,७०८ रु० के गबन होने की सूचना मिली है। इस समय विभागीय आडिट मुख्य लखा अधिकारी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। स्पेशल आडिट कराने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है। मामला पुलिस के सुपुर्द है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही यह बतलाया जा सकता है कि दोषी कौन अधिकारी पाया गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी, नियमावली

*२१--श्री जगन्नाथ खन्ना--

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६४ में जो १९६४ उत्तर प्रदेश उत्पादन मण्डी अधिनियम बनाया गया था और यह अधिनियम १ अगस्त, १९६९ से प्रदेश के बहुत से भागों में लागू होने जा रहा है, उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन मंड़ी नियमावली, १९६५ बनाई गई थी, जो अब उपलब्ध नहीं है, व्यापारियों की सहूलियत के वास्ते उसको प्रकाशित करने का विचार रखती है कि नहीं ? अगर है, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम , १९६४, तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, १९६५, की प्रतियां छपवाई जा चुकी हैं तथा राज्य कृषि विपणन अधिकारी, लखनऊ एवं क्षेत्रीय सहायक कृषि विपणन अधिकारियों के कार्यालयों में विक्रयार्थ उपलब्ध हैं।

बस्ती जल विद्युत खण्ड द्वारा खरीदा गया सामान

*२२--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के जल विद्युत् विभाग ने मार्च, १९६९ में कितने रुपये का सामान खरीदा और उस खरीदे हुये माल का आर्डर कब दिया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बस्ती जल विद्युत् खंड ने मार्च, १९६९ में लगभग ११.२१ लाख रुपये का सामान खरीदा जिसका आर्डर वर्ष १९६७-६८ एवं १९६८-६९ में दिया गया था।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता गंडक योजना का मुख्यावास, लखनऊ

*२३--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि चीफ इंजीनियरिंग गन्डक योजना का हेडक्वार्टर गोरखपुर न हो कर लखनऊ में है ? यदि हां, तो क्यों और चीफ इंजीनियर के लखनऊ रहने तथा

गोरखपुर और पटना आने जाने में हर बार कितना सरकारी धन व्यय होता है और महीने में कितनी बार उन्हें आना जाना पड़ता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सिचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता के अतिरिक्त कई पद अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के हैं और उन्हीं में से एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता गंडक योजना का कार्य भी देखता है। इस कार्य के अतिरिक्त उनके पास फैजाबाद सर्किल की नहरें और बांध तथा शारदा सहायक योजना के अन्तर्गत के निर्माण कार्य भी है। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के कार्यालय का कतिपय कार्य भी उनके जिम्मे है। उनका हेडक्वार्टर लखनऊ में रखने में ही सब से अधिक सुविधा कार्य के दृष्टिकोण से समझी गई है।

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को अपने कार्य के सिलसिले में अक्सर गोरखपुर जाना पड़ता है तथा लखीमपुर खीरी भी जाना पड़ता है। इसका औसत लगभग महीने में एक बार का होगा और एक बार गोरखपुर जाने में औसत खर्चा लगभग १०० रुपये होता है।

पटना जाने का प्रायः कोई विशेष कारण सिचाई विभाग के किसी अधिकारी को नहीं है। गंडक योजना के सिलसिले में यदि कोई विशेष मीटिंग पटना में कभी होती है तो इस संबंध में ही आना जाना होता है। इस वर्ष मार्च, १९६९ से जून, १९६९ तक पटना जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी। जुलाई, १९६९ में गंडक प्रोजेक्ट बोर्ड की मीटिंग पटना में हुई जिसमें अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को भी जाना पड़ा और जिसका व्यय २४० रुपये हुआ।

*२४—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त योजना में लगभग २० इक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और वे सरहद पर न रह कर गोरखपुर और देवरिया रहते हैं ? यदि हां, तो उनके सरहद पर आने जाने में कितना सरकारी धन व्यय होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। इन अधिशासी अभियन्ताओं के मुख्यालय गोरखपुर व देवरिया में है जिनको प्रशासनिक दृष्टि से उचित स्थान समझा गया है। इनमें से ग्यारह का गोरखपुर और ९ का देवरिया मुख्यालय है। एक अधिशासी का अपने क्षेत्र में आने-जाने का औसत मासिक यात्रा व्यय लगभग १३० रुपये है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इनमें से प्रत्येक अधिशासी अभियन्ता का कार्य काफी लम्बे इलाके में फैसला हुआ है क्योंकि गंडक नहर और उसकी शाखाओं के भिन्न-भिन्न टुकड़े प्रत्येक अभियन्ता के चार्ज में है। अतएव काम के एक जगह सीमित न होने के कारण निर्माण कार्य का निरीक्षण स्थान-स्थान पर करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित भूमि अर्जन तथा अन्य कार्यों के सिलसिले में जिला स्तर के अधिकारियों से भी सम्पर्क रखना आवश्यक पड़ता है। अतएव जिले के हेडक्वार्टर पर ही इन अधिकारियों का हेडक्वार्टर रखने में सुविधा है।

*२५—श्री सजीवन लाल—

[५वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया]

*२६—श्री सजीवनलाल—

[११ अगस्त, १९६९ को प्र० सं० १७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

नैनीताल जिले में रामनगर गांव को बिजली न मिलना

*२७--श्री रामधारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा रामनगर, पोस्ट बगवाड़ा, ब्लाक रुद्रपुर, जिला नैनीताल के लगभग २२ (बाइस) ग्रामीणों द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व बिजली लगाने का प्रार्थना-पत्र दिये जाने के बावजूद अब तक उस गांव में बिजली क्यों नहीं लगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

निजी नलकूपों व पम्पिंगसेटों के विद्युतीकरण को अधिक महत्व दिए जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से मौजा रामनगर का विद्युतीकरण सम्भव नहीं हो पाया।

पर्वतीय अंचल में सिंचाई के लिए सुझाव

*२८--श्री नरेन्द्रसिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन प्रदेश के पर्वतीय अंचल के प्रत्येक गांव में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये पनघट डिग्गी अथवा उस स्थान पर जहां गांव की पेय-जल व्यवस्था हो विशालकाय जलाशयों का निर्माण करना चाहता है ? कब तक होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ऐसी कोई परियोजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

चिरई गांव क्षेत्र समिति कार्यालय के कर्मचारियों को चुनाव भत्ता

*२९--श्री राम सागर--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्षेत्र समिति चिरई गांव वाराणसी के कार्यालय में मध्यावधि चुनाव में भाग लेने वाले कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बिल मार्च, १९६९ से किन परिस्थितियों में बगैर भुगतान के पड़ा है ?

डाक्टर सीताराम--

केवल तीन व्यक्तियों को छोड़कर अन्य समस्त कर्मचारियों के बिलों का भुगतान हो चुका है। दो अन्य कर्मचारियों ने अपने बिल १-८-१९६९, को प्रस्तुत किये हैं। इन समस्त शेष बिलों के भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री गोपालदत्त--

[७ अगस्त, १९६९ को प्र० सं० ४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

सिंचन क्षमता

२--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सिंचाई मन्त्री यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि १९५२ के पूर्व प्रदेश में सिंचित तथा असिंचित कृषि का कितना क्षेत्र था और प्रथम तथा द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में क्रमशः प्रदेश में सिंचित तथा असिंचित क्षेत्र कितना-कितना था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रदेश में सम्पूर्ण सिंचित तथा असिंचित कृषि क्षेत्र के आंकड़े सिंचाई विभाग द्वारा एकत्रित नहीं किये जाते हैं। सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में राजकीय सिंचन साधनों द्वारा

उपलब्ध सिंचन क्षमता एवं वास्तविक स्थूल (gross) सिंचित क्षेत्र के आंकड़े संकलित किय जाते हैं जो निम्नलिखित हैं।

	उपलब्ध सिंचन क्षमता (लाख एकड़)	वर्ष	वास्तविक स्थूल सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़)
१—वर्ष १९५२ के पूर्व	७४.९९	१९५०–५१	६६.५७
२—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ..	९२.८३	१९५५–५६	६३.३२
३—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ..	११०.२६	१९६०–६१	८०.०८
४—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ..	१२५.७४	१९६५–६५	१०७.७०

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—

श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है। अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में आखिरी में आज के एजेन्डे पर श्री गोविन्दसिंह नेगी के नाम से एक प्रश्न था। वह हाउस में मौजूद नहीं थे। लेकिन हम उसमें दिलचस्पी रखते थे, हम खड़े हुए और हमने कहा कि हम दिलचस्पी रखते हैं और हमने इस घटना के लिये एक नोटिस दिया था, वह रखा नहीं गया और प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप देखें—"अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न—जब समस्त प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर अभिप्रेत है, पुकारे जा चुके हों, तब अध्यक्ष, यदि समय हो, किसी प्रश्न को पुनः पुकार सकेंगे जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम में वह प्रश्न हो तथा अध्यक्ष किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे यदि वे उनके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों या यदि अन्य कोई सदस्य उस प्रश्न में अभिरुचि रखते हों।" तो जब सब प्रश्न हो जायं तब अन्त में इजाजत दी जाती है। बोरा साहब ने भी यह कहा था और मैंने उनसे भी कहा कि आखिर में ले सकते हैं, बीच में नहीं अगर वह अनुपस्थित हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)—

ठाकुर किशन सिंह का मतलब यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेहरी का और दफ़ा ५१ में भी दिया था, वह ऐक्सेप्ट नहीं हुआ। तो आधा घंटा चर्चा ही उसके लिए रखी जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए रास्ता यह है कि जो उत्तर आप को मिल गया है, अगर उसके ऊपर चर्चा करनी है तो नियम ४९ के मातहत मेरे पास भेज सकते हैं।

अब वित्तीय वर्ष १९६९–७० के आय-व्ययक पर विवाद चलेगा।

१९६९-७० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २२--उपनिवेशन, अनुदान संख्या २३--पशुपालन तथा मत्स्य पालन तथा अनुदान संख्या ४६--कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (क्रमागत)†

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री के अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कृषि हमारे आर्थिक प्रयास का कुरुक्षेत्र है और इसी मैदान में हम जन जन जयनाद सुनेंगे अथवा उनका आर्त-नाद। श्रीमन्, कृषि हमारा राष्ट्रीय उद्योग है अस्तु जब हम कृषि की चर्चा करें तो सामान्य दलगत आवश्यताओं से कुछ तटस्थ तो कर चर्चा करें ताकि हमारे निष्कर्षों में एक राष्ट्रीय संकल्प का ओज और शक्ति उत्पन्न हो सके, और इसमें विरोधी दल के माननीय सदस्यों का सहयोग उतना ही महत्वयपूर्ण है जितना सरकार का। हमको उस सहयोग की अपेक्षा भी है और आशा भी है।

कल जब कृषि के ऊपर चर्चा हो रही थी तो विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने कृषि की प्रगति पर रोष तथा उत्तेजना प्रकट की थी। श्रीमन्, आज अपने साधनों की परिधि में ही हम अपनी योजनायें बना सकते हैं। जब साधन सीमित हैं तो हमको अपनी प्राथमिकताओं का चयन करना पड़ेगा और यह चयन यथार्थ की परिधि में हम कर सकते हैंऔर वही हमने किया है। मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि १६० करोड़ के परिव्यय में हमारी सरकार ने ३० करोड़ ७२ लाख कृषि में, १७ करोड़ मध्यम सिंचाई में और ६४ करोड़ बिजली में रखा अर्थात् ११५ करोड़ ७२ लाख रुपया, १६० करोड़ में से कृषि के सेक्टर में रखा गया है। यह लगभग ७२ प्रतिशत खर्चा होता है। इसके फलस्वरूप १०० लाख एकड़ अधिक उपज बीज के गेहूं से बोयेंग। १६ हजार निजी नलकूपों से सहस्र जल धारा प्रस्फुटित होंगी। १४ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि का सिंचन हो सकेगा तथा १८८ लाख टन खाद्यान्न, ५२ लाख टन गन्ना और २९ लाख टन तिलहन काश्तकार अपने खलिहान में ले आयेगा। यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि मौजूदा सरकार का संकल्प है हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का।

जितना ही उर्वरक, कृषि के साधन, और उन्नत बीजों की आवश्यकता होती है प्रगति के लिए श्रीमन्, उतना ही आवश्यक है समाज में संगठानात्मक सुधार होने की, संस्थागत सुधार होने की। मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षिक एक ऐसे तथ्य की ओर करना चाहता हूं जिसके लिये आर्थिक ग्रन्थों की आवश्यकता नहीं है बल्कि वह इस देश की विशाल धरती पर खिली धूप की तरह अंकित है। जो भूस्वामी खेती पर काम नहीं करता है उसका उत्पादन देख लें और जो अपने मजदूर को गुजारे के लिये देता है उसका उत्पादन देख लीजिये। उस मजदूर के खेत में कोई अधिक उन्नत बीज नहीं लगे, कोई अधिक उर्वरक नहीं पड़ा, कोई विशेष सिंचाई का साधन नहीं उपलब्ध हुआ फ़िर भी उसका उत्पादन अधिक है अर्थात् बिना किसी अधिक पूंजी लागत के उत्पादन बढ़ सकता है इस देश का। यदि हमारे यहां पूंजी की कमी है और कोई गुर हमें ऐसा मिल जाय कि इस प्रदेश के खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा सकें तो क्या उस गुर की अवहेलना कर सकते हैं? श्रीमन्, सब से बड़ा उर्वरक श्रमिक का श्रमकण है। लेकिन श्रमिक अपना श्रमकण तभी बहायेगा जबकि उसको, हर मेहनतकश को, यह विश्वास होगा कि

---

†११ अगस्त, १९६९ की कार्यकाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

उसकी मेहनत का फल उसको मिलेगा। यह तभी हो सकता है जब कि भू सेवक ही भूस्वामी हो। इस दिशा में हमें संस्थागत अर्थात् समाज के संगठन में परिवर्तन लाना होगा जिससे कि श्रम श्रेयष्कर समझा जाय और श्रम से शरम न लगे। इस दिशा में सीलिंग ऐक्ट एक महान् प्रयास रहा लेकिन वह दोहरा मखौल बन कर रह गया। जो भूमिस्वामी था वह आज भी भूमि पर भिन्न-भिन्न नामों से काबिज है। जो जमीन सीलिंग से निकली वह भूमिहीन को नहीं मिल पायी। श्रीमन्, भूमिहीन ऐसा शब्द हो गया जिससे अब डर लगता है। भूमिहीन के पास कुछ और था नहीं केवल नाम था लेकिन अब भूमिहीन शब्द शोषण का एक भयावह शब्द हो गया है। अस्तु हमारा अनुरोध है कि सरकार इस विषय में प्रयास करे और इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि यदि हम यह नियम बना दें कि कोई भी व्यक्ति दूसरे गांव के अन्दर न जमीन खरीद सकता है, न रख सकता है तो इससे एबसेन्टी-लैंड -लार्डिज्म पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा और परिवर्तन आयेगा। साथ ही सीलिंग से जो जमीनें बचा कर रखी गयी हैं उस पर भी एक धक्का पहुंचेगा। ज्यादातर नाम फ़र्जी हैं और बाहर के लोगों के हैं। अगर कोई फ़र्जी रखता भी है तो एक दिन नहीं रख सकेगा और जो ब्लैक मनी बड़े बड़े फ़ार्म में लग रहा है वह नहीं लगेगा। इस तरह से भूमिहीन के लिए गुन्जाइश हो सकेगी। इसलिये जो दूर-दूर के लोग दूसरे गांव में जमीन खरीदते हैं इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय।

एक और गम्भीर परिस्थिति की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और ध्यान आकर्षित हो भी चुका है और वह यह है कि जितनी भी हमारी योजनायें बनी उनसे नीचे के तबके को, छोटे किसानों को जितना लाभ पहुंचना चाहिये था, उतना नहीं पहुंच सका। हमें हर्ष है कि सरकार का ध्यान इस ओर गया है और वह इस समस्या के प्रति सतर्क है। चतुर्थ योजना में इसका उल्लेख भी है। अध्याय १२, पृष्ठ १४७ में सरकार की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह लिखा हुआ है कि, और यह तथ्य स्वीकार किया गया है, "कुछ ऐसे क्षेत्र तथा जन संख्या के ऐसे वर्ग हैं जिन्हें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अधिक लाभ नहीं हुआ है। इस असमानता को दूर करने के लिये कई कार्य किये गये हैं।" इसके लिये हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। सा नों के बराबर बटवारे न होने का एक कारण यह है कि आज जो हमारी गांव की इकाई है वह इकाई नहीं है। एक ओर तो लोगों के पास खेत नहीं है दूसरी ओर सीलिंग के बावजद बड़े-बड़े किसान हैं। एक ओर इन्द्र के ठेकेदार और दूसरी ओर पानी से वंचित इन्सान हैं। एक ओर नये पक्के मकान बन रहे हैं दूसरी ओर हरिजन बस्तियों का अस्तित्व नहीं स्वीकार हो रहा है। यह विषम परिस्थिति है और जब तक यह परिस्थिति रहेगी कोटि कोटि धरती पुत्र जिनके श्रम से यह धरती उर्वरक है वह योजनाओं के महा प्रयास से अछूते रहेंगे। हमारी सरकार इस ओर कदम उठा रही है। जो उधर के माननीय सदस्यों ने कहा उसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि नियोजन की आर्थिक विचार धारा के साथ प्रजातन्त्र का राजनैतिक दर्शन संजोया है। उसकी अपनी कठिनाइयां हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करते हुये भारत ऐसे भाग्यवादी देश में कोटि कोटि के भाग्य का निर्माण करने की मौलिक समस्या है। इस मौलिक समस्या क समाधान की ओर हमारी सरकार अग्रसर हो रही है और इसी कारण जो अनुदान कृषि मन्त्री जी का है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ तैयारी की है। अगर आप की महती कृपा हो जाय और मुझे कुछ फालतू समय दे सकें तो मैं आप का बड़ा कृतज्ञ हूंगा। कल मैंने बड़े गौर से कृषि मंत्री जी का भाषण सुना। हमारे प्रदेश की सौभाग्य से बहुत ही उपजाऊ जमीन रही है सिंचाई के साधनों में निरन्तर वृद्धि की जाती रही। बावजूद इसके अगर चावल की पैदावार प्रति एकड़ पर हम निगाह डालें तो हम देखेंगे कि हमसे अधिक मैसूर और मद्रास मिलेंगे। उसके बाद अगर हम गेहूं के ऊपर निगाह डालें तो पंजाब और हरियाना हमसे अधिक गेहूं प्रति एकड़ पैदा करते हैं। जहां तक गन्ना जिसमें कि हमारे प्रदेश किसी जमाने में सब से आगे थे

मंत्री जी ने बताया कि पिछले वर्ष १७७ क्विंटल प्रति एकड़ पैदा किया है । लेकिन माननीय मन्त्री जी यह भूल जाते हैं कि अपने ही आंकड़े से पहली पंचवर्षीय योजना जब प्रारम्भ हुई तो उसकी समाप्ति पर १६२ क्विंटल प्रति एकड़ गन्ना पैदा हुआ था और फिर दूसरी पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर १६२ से घटकर यह पैदावार १५२ क्विंटल प्रति एकड़ रह गयी और चौथी योजना के प्रारम्भ में और घट कर १४७ क्विंटल प्रति एकड़ रह गयी । अगर मैं हिन्दुस्तान के आंकड़े रखूं तो यह जानकर आपको खुशी होना चाहिये और अपने प्रोग्राम की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए कि आज अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो जो जल्दी पकने वाले गन्ने की वैराइटीज हैं उनका ३५.८० टन प्रति हैक्टर उत्पादन है जब कि उत्तर प्रदेश का १८३.३५ टन प्रति हैक्टर है। अगर महाराष्ट्र के किसान की सब से ज्यादा पैदावर को देखें तो ४७०.०८ टन प्रति हैक्टर है जो १,६०० क्विंटन प्रति एकड़ होता है। इतना महाराष्ट्र के किसान प्रति एकड़ गन्ना पैदा कर रहे हैं। इससे यह जाहिर है कि हमारी प्रति एकड़ पैदावार में विशेष इजाफा नहीं हुआ जब कि तीन योजनायें खत्म हो चुकी हैं। जहां तक खर्च की बात है, पहली योजना में २ करोड़ ४९ लाख ६७ हजार रखा गया था और खर्च हुआ २ करोड़ ७ लाख, दूसरी योजना में ३ करोड़ ८५ लाख रखा गया था और खर्च हुआ ३ करोड़ ४० लाख, तीसरी योजना में ४ करोड़ ४८ लाख २३ हजार रखा गया था और खर्च हुआ ३ करोड़ २७ लाख। इससे यह साफ जाहिर है कि जितना रुपया डेवलपमेन्ट स्कीम के लिये रखा जाता है वह खर्च नहीं हो पाता और लैप्स हो जाता है। जिसका नतीजा यह होता है कि शुगरकेन में प्रति एकड़ जितनी पैदावार बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ पा रही है।

डेवलपमेंट की बात बतायी गयी। उत्तर प्रदेश की प्रति एकड़ पैदावार १७७ क्विन्टल आती है। कुछ इन्टेन्सिव डेलवपमेंट ब्लाक्स, जिन पर आप का विशेष खर्च होता है, वहां प्रति एकड़ पैदावार हुई १७१.५ क्विंटल है यानी विशेष खर्च किया गया और पैदावार ५.५ क्विंटल प्रति एकड़ कम हुई। पिछले वर्षों पश्चिमी यू० पी० में पायरेला का बड़ा प्रकोप था, एरियल स्प्रे भी हुआ, गेहूं की फसल भी उसने नष्ट की । अब की भी १२ लाख एकड़ में पायरेला का अटैक हुआ। एरियल स्प्रे की कोशिश की गई, आपसे भी और भारत सरकार से भी प्रार्थना की लेकिन आपके जरिए से न कराया जा सका और न उनके जरिये से। मेरठ जिले में मुझे देखने का मौका मिला। कांधला आखिरी स्टेशन से जब मैं दिल्ली की तरफ बढ़ा तो मेरठ जिले का कोई खेत ऐसा नहीं था जहां पायरेला न हो। पूरी तरह से फसल नष्ट कर दी और गेहूं की फसल को भी नष्ट करेगा। आपकी तरफ से रोकथाम की चेष्टा नहीं हुई। जहां तक गन्ने की नई किस्म की बात है, सी० ओ० ३१२ एक गरीब-परवर गन्ना था जो प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बहुत बड़ी तादाद में बोया जाता था। आहिस्ता-आहिस्ता वह खराब होता चला गया। किसी रिसर्च स्टेशन की तरफ से कोशिश नहीं की गई कि उसे सुधारा जाय, बीमारी को समाप्त किया जाय। उसमें जो बीमारी थी वह सी० ओ० १,१४८ में जगह कर गई है। अगर आप हाट वाटर ट्रीटमेन्ट और हाट एयर ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जह दे सकें और हर शुगर फैक्टरी पर और रिसर्च फार्म पर कृषकों की सुविधा के लिये, गन्ने की बीमारी को खत्म करने के लिये, स्वस्थ बीज के लिये प्रबन्ध कर सकें और उसके लिये मिल मालिकों से कुछ खर्च करा सकें तो अच्छा हो। प्लान्ट प्रोटेक्शन का जहां तक सवाल है, करीब १ करोड़ रुपये की दवा प्रति वर्ष खरीदा जाती है और जब आंकड़े लिए जाते हैं कि हमारी कृषि सेवा पर कितना व्यय हुआ तो पता चलता है कि १० प्रतिशत से कम, ३ प्रतिशत और १० प्रतिशत के बीच कृषि सेवा पर खर्च होता है। अगर १ करोड़ में से ३०-४० लाख की दवा का इस्तेमाल हुआ और बाकी ६०,७० लाख रुपये की बेकार पड़ी रही तो आउट आफ़ यूज के कारण भी नष्ट हो जाती है। तो किसलिये फिर एक करोड़ रुपये का माल खरीदा जाता है? यह संस्था जो करोड़ों रुपयों का माल मंगवाती है, इसका ९ वर्ष से आडिट नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं हुआ है, जब कि हर सरकारी बिभाग का आडिट होता है। इस विभाग में एक हजार से अधिक कर्मचारियों

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

को रखा गया। आई० टी० आई० से ट्रेनिंग पाये हुये जो लोग थे उनको नहीं रखा गया और केवल ८ दर्जे तक शिक्षा पाये हुये अ ट्रेन्ड लोगों को, सिफारिशों के आधार पर नौकरी दी गयी। इससे सही तौर से न प्लान्ट प्रोटेक्शन हो सकेगा और नहीं किसानों का हित हो सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय कृषि मंत्री जी को इस कृषि सेवा विभाग की ओर भी ध्यान देना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये, श्रीमन्, आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि बम्बई, की एक फर्म से लाखों रुपयों का सामान खरीदा गया। सन् १९६५-६६ में करीब ४९ लाख रुपये का माल खरीदा गया किन्तु १६ लाख का माल आया नहीं। जब उसका आडिट हुआ तब आहिस्ता-आहिस्ता वह माल सप्लाई हो रहा है। मान्यवर, इस विभाग के जो उपनिदेशक महोदय हैं उनके लड़के को इस म्बई फर्म द्वारा ४०० रुपये माहवार की नौकरी दे दी गयी है और इस कारण आंख मींच कर आर्डर्स किये जाते हैं। हेड क्वार्टर पर श्रीमन्, २४ मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं, उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है।

मान्यवर, हमारे कृषि उत्पादन में बीज का बड़ा महत्व है। मैंने एक रिपोर्ट में देखा था कि केन्द्रीय सरकार की एक स्टडी टीम आयी थी और उसने बीज स्टोर आदि को देखा था। उन्होंने कहा था कि ए-क्लास का बीज तो एक्सेप्शन में है, यहां से बी० और सी० क्लास का ही बीज दिया जाता है। अब बी० और सी० क्लास का बीज देकर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मान्यवर, आप देखें कि प्रति वर्ष चौथाई बीज को बदले जाने के लिये कहा गया था, उसके लिये रुपया भी रखा जाता रहा, मगर वह रुपया लैप्स हो गया, बीज नहीं बदला गया। न तो बीज को रिप्लेस किया जाता है और न ही ए-क्लास बीज ही सप्लाई किया जाता है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे १० मिनट का टाइम और दे दिया जाय।

श्रीमन्, तराई के फार्म्स द्वारा पिछले वर्ष ५ रुपये किलो के हिसाब से किसानों को बीज दिया गया था जब कि २ रुपये किलो के हिसाब से उसे पन्त नगर यूनिवर्सिटी देती है। श्रीमन्, बहुत से काश्तकार जो अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते हैं, उन्होंने ४०-४० रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज सप्लायी किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जितने आपके फार्म्स हैं या रिसर्च स्टेशन्स हैं वहां पर आप अच्छे किस्म का बीज बुआयें और काश्तकारों को उन्नत किस्म का बीज ही सप्लाई करें।

भारत सरकार की ओर से श्रीमन्, सीड प्योरिटी ऐक्ट बना। वह ऐक्ट बनने के बाद यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में भी हम अपना ऐक्ट बनायेंगे। ऐक्ट भी बने हुए दो वर्ष हो चुके हैं। क्यों यहां पर अप्लाई नहीं किया गया? क्यों उनके आधार पर नया एक्ट नहीं बनाया। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इम्प्योरिटी को, इस अशुद्धता को, समाप्त करना चाहते हैं तो सीड प्योरिटी ऐक्ट को बनाइये और अपने प्रदेश में लागू करें। जहां तक फर्टिलाईजर की बात है हमारे मित्र शिवराज सिंह जी ने उसकी चर्चा की थी कि दो, चार, छः महीनों में फर्टिलाईजर की कीमत बढ़ा दी जाती है। मैं पेश्तर भी इसे अर्ज कर चुका हूं कि हिन्दुस्तान सबसे गरीब देश माना जाता है और हिन्दुस्तान में बिहार को छोड़कर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गरीब है किन्तु सबसे ज्यादा कीमत उत्तर प्रदेश में ही किसान को फर्टिलाइजर की देनी पड़ती है। इंगलैण्ड कई गुना गेहूं प्रति एकड़ पैदा करता है पर वहां फर्टिलाईजर पर सबसिडी दी जाती है। यहां सबसिडी तो वापिस कर ली गई पर कीमत भी बढ़ा दी गई। जब से मुल्क आजाद हुआ कितने दफे फर्टिलाईजर की कीमतें बढ़ाई गई हैं।

एग्रीकल्चर मशीनरी की यहां सुविधा नहीं है। सिंचाई की भी ऐसी ही हालत है, माननीय सिंचाई मंत्री उपस्थित हैं, पेश्तर इसके मैं कह चुका कि हिन्दुस्तान में जितने सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश में ३.३ फीसदी उपलब्ध हैं। तीन योजनायें समाप्त हो चुकी हैं। योजनायें समाप्त हो जाने के बाद भी ३.३ प्रतिशत सिंचाई के साधन जुटाने में हम समर्थ हुए हैं तो किस प्रकार हम अपने प्रदेश के सिंचाई के साधन बढ़ा सकते हैं। और बगैर सिंचाई के साधनों के इनको हम किस प्रकार एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। इस तरफ विचार करें। इस तरफ

ध्यान जाना चाहिये। जहां तक हमारी पैदावार है, उस तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपने एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीटचूट की बड़ी चर्चा की कि हिन्दुस्तान में सबसे पहली दफा यह रिसर्च इन्स्टीटचूट कानपुर में कायम किया गया है। मैं आपको उसके लिये बधाई देता हूं। लेकिन प्रिंसिपल आपने कौन बनाया ? जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिटायर होने वाला था जिनका यहां पर रिकार्ड भी बहुत आला नहीं समझा गया था उनको प्रिंसिपल बनाया और आपकी जानकारी के लिये मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वे गवर्नमेंट कालेज, कानपुर के प्रिंसिपल की पोस्ट के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर हुए थे लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनको कानपुर डिग्री कालेज के प्रिंसिपल के लिये अनफिट समझा था। जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनफिट समझा उनको रिटायर होने के बाद आपने रिसर्च इन्स्टीटचूट का डायरेक्टर बना दिया, आपने उन्हें फिट बना दिया। जहां आपने एक ऊंचा काम किया था तो उस ऊंचे काम के लिये छांटकर एक डाइरेक्टर रखते तब आप इस प्रदेश की सही सेवा कर सकते थे। यह भी आपके जरिये से बताना चाहता हूं।

इसके अलावा, मान्यवर, मंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की है, न बेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की चर्चा की है। वेयरहाउसेज की स्कीमें किसके मफाद के लिये लागू की गई ? ट्रेडर्स के लिये या काश्तकारों के लिये ? प्रश्न उठा भारत सरकार के सामने कि वेयरहाउसेज स्कीम लागू की जाय क्योंकि फसल के मौके पर काश्तकार की कीमत अनाज की गिर जाती है और बाद में कीमतें ऊंची हो जाती हैं। इसलिये वेयरहाउसेज कायम किये गये थे जिससे कि काश्तकार फसल के टाइम पर अपनी पैदावार वहां रख सके और जब भाव ऊंचे हों तब बेच सकें। मैं माननीय मंत्री जी के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि वे आंकड़े उठाकर देखें कि एक फीसदी या दो फीसदी काश्तकार का अनाज भी वेयरहाउसेज में नहीं है। नब्बे पिचानबे फीसदी वहां ट्रेडर्स का खरीदा हुआ अनाज रक्खा जाता है वेयरहाउसेज में। ये वेयरहाउसेज काश्तकार के लिये हैं या ट्रेडर्स के लिये हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी काश्तकार उससे फायदा उठा सकता है ? जहां तक मार्केटिंग ऐक्ट के लागू करने का सवाल है, सन् १९३७ ई० में आज से तीस बत्तीस साल पेश्तर पंजाब में मंडी कानून लागू किया गया था अ र अब यहां आजादी के बाईस साल हो जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में मंडी-कानून तमाम प्रदेश की मंडियों में लागू नहीं किया गया। किसके मफाद में, मिडिल मैन के मफ द में या काश्तकारों के मफाद में। किसके हित की रक्षा की जा रही है ? किस वजह से डिले की जा रही है ? मुझे अच्छी तरह याद है। उस प्रश्न की चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा। सन् १९६५ ई० में चन्दा हो रहा था तो उस समय श्री बनारसीदास ने मुजफ्फरनगर ट्रेडर्स को आश्वासन दिया था कि हम मंडी का कानून नहीं लगने देंगे आप हमें पैसा दें। आप ने कमेटियों को बदला। संविद सरकार ने नहीं बदला था, एक साल के बजाय तीन तीन साल की कमेटियां बनी हुई हैं, नई नाम जदगियां कर दी जाती हैं। एक साल क्या २ साल और ३ साल में भी कमेटियां का चुनाव नहीं कराया गया केवल नई कमेटियों की नामजदगी पार्टीबन्दी के आधार पर कर दी जाती है। इस तरफ मैं चाहता हूं कि सरकार का और मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये।

खेती की पैदावार के विषय में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। जहां तक कृषि उपज का सम्बन्ध है यहां की जमीन उपजाऊ होते हुये भी और गंगा, जमुना और सरयू आदि नदियों के होते हुये भी हम अभी तक अपनी आवश्यकता के अनुसार पैदावार नहीं बढ़ा सके हैं। कभी गन्ने की उपज बढ़ जाती है, कभी गेहूं की बढ़ जाती है, कभी चावल की बढ़ जाती है लेकिन सब खाद्यान्न की एक संतुलित पैदावार कभी नहीं होती। इसका विशेष कारण यह है कि हम खाद्य वस्तुओं की कीमतों को ठीक रखने में नाकामयाब रहे हैं। जो सामग्री और इनपुट्स या खेती के साधन हैं उनको कीमतें बराबर बढ़ती जाती हैं, उनको बढ़ने से रोका जायगा तभी किसान की पैदावार बढ़ेगी

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

और उसको उपज के ठीक दाम मिल सकेंगे। अभी तक इनपुट्स की कीमतों को रोकने में सरकार असमर्थ रही है और न ही वह किसान को इसकी उपज की सही कीमत दिला सकी है।

थोड़ा-सा ध्यान मैं स्वायल कनजरवेशन की तरफ भी दिलाऊंगा। ऊसर रिक्लेमेशन और स्वायल कनजरवेशन की कोई चर्चा मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं की। आज प्रदेश का भारी क्षेत्र ऊसर में दबा पड़ा है और अगर बढ़ती हुई आबादी और भूमिहीन किसानों के लिये ऐसे ऊसर क्षेत्रों को रिक्लेम करने की ओर ध्यान न दिया गया तो प्रदेश की भारी हानि होगी। उचित स्वायल कनजरवेशन जब तक नहीं किया जायगा तब तक इस प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी के लिये खाद्यान्न आवश्यकता के अनुसार पैदा नहीं किया जा सकता।

जहां तक स्टेट फार्म्स का सम्बन्ध है उन फार्म्स पर हमारे बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और हमारे जो रिसर्च के स्टेशन्स हैं वहां पर काफी पैसा सरकार का खर्च होता है, हमारे कामर्शियल फार्म्स जहां अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट्स भी लगे हैं, चकबन्दी भी है वहां पर इस सब के बावजूद नुक्सान होता है। तो इसका कौन जिम्मेदार है ? हमारे एक्सपर्ट्स की देख-रेख में अच्छा बीज वहां बोया जाता है, वक्त पर बोया जाता है, वक्त से इनसे इंसेक्टीसाइट्स का और पेस्टीसाइट्स का प्रयोग होता है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

अभी मैं बैठा तो नहीं हूं मुझे बैठ तो जाने दो तभी बोलने खड़े होइए। मैं आपसे कह रहा था कि इन कामर्शियल फार्म्स में सारी सुविधायें हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पानी, बीज, कीटनाशक दवाओं का समय से प्रयोग होता है लेकिन फिर भी यह अगर फार्म नुकसान पर रहे हों तो बहुत ही दुख की बात है और यह प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है।

कैटिल ब्रीडिंग के बारे में मैं कहूंगा कि पशुओं की जितनी बड़ी संख्या हमारे सूबे में है उतनी भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है। आजादी से पहले जहां-यहां अंग्रेज थे तो अंग्रेजी हुकूमत भी भैंसों और गायों के लिये नये सांड़ सप्लाई किया करती थी और आज भी वह सप्लाई होते हैं। आज तो उसके अलावा आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेन्टर्स भी बढ़ रहे हैं और कहा जाता है कि एनीमल हस्बेंडरी में बहुत तरक्की हुई है लेकिन अंग्रेजी जमाने से आज २२ साल के बाद भी और तीन योजनाओं के पूरा होने पर भी भैंसों की केवल १४ प्रतिशत आबादी को ही कवर किया है और गायों की भी केवल २१ प्रतिशत आबादी ही कवर हुई है। इस रफ्तार से इस प्रदेश में कैटिल ब्रीडिंग में कितनी प्रगति हुई है इससे आप स्वयं समझ सकते हैं। मेरी दृष्टि से यह प्रगति संतोषजनक नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सन्तोषजनक प्रगति के लिये आप योजना बना कर कार्य आरम्भ करें। इन शब्दों के साथ में कटौती का प्रस्ताव जो श्री शिव राज सिंह यादव ने पेश किया है उसकी ताईद करता हूं।

श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस मसले पर अपने खयालात का इजहार करने का मौका दिया। मैं इस अनुदान का पूरा समर्थन करती हूं क्यों कि गल्ला और कृषि ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे जीवन के हितों की हिफाजत हो सकती है और जिससे हमारे मुल्क की तरक्की का सीधा सम्बन्ध है। हमारी सारी जनता की जिन्दगी का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसलिये मैं इसका समर्थन तो जरूर करती हूं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण किया जिनकी आवाज और तरीके से मुझे यह मालूम हुआ कि यह बड़ा डाइनैमिक, बड़ा जोरदार भाषण है लेकिन मुझे अफसोस है कि बहुत-सी बातों का उन्होंने जिक्र नहीं किया जिनकी इस वक्त सख्त जरूरत है। श्रीमन्, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं और सारे हिन्दुस्तान के वाशिन्दे जानते हैं कि इस वक्त जो लोग गरीब हैं और जो मजदूर हैं, जिनके पास न इल्म है और न समझ है, वे इन सब चीजों से किस प्रकार फायदा उठा सकते हैं। वे गरीब आदमी हैं, रिश्वत दे नहीं सकते हैं, उनके पास आगे बढ़ने

के लिए पैसा है नहीं तो मैं जानना चाहती हूं कि उनके लिये क्या हो रहा है ? मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इन काश्तकारों और किसानों की ओर ले जाना चाहती हूं जिनके पास ३ बीघा, ४ बीघा, ५ बीघा और १०-१० बीघा कच्ची जमीन है। ये वे लोग हैं जो गरीब हैं। मैं नहीं समझ पाती कि किस प्रकार से ये लोग अपने १२ या १३ आदमियों के परिवार को इस जमीन की पैदावार से खिला सकते हैं, और बाजार में बेच सकते हैं। जब इन लोगों की यह हालत है तो किस तरह से वे जाकर ट्रैक्टर ले सकते हैं, कहां से वे बीज हासिल कर सकते हैं और कहां से वे खाद ला सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने स्वायल कन्जर्वेशन भी कराया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गांव में जिनकी ४-४ बीघा जमीन है तो वहां भी मेंड़ बन्दी का सवाल उठा है। हम भी समझते हैं कि जमीन का स्वायल कन्जर्वेशन बहुत जरूरी है लेकिन उसके बाद उनके पास कितनी जमीन रह जाती है। वे क्या पैदा करें, क्या खायें और क्या बेचें। मेरे क्षेत्र में इनकी तादाद करीब-करीब ८० प्रतिशत हैं, दूसरे क्षेत्रों में क्या हालत है, मैं नहीं जानती। जमींदारी एबालिशन के बाद बड़े-बड़े जमींदार चले गये और अच्छा ही हुआ लेकिन जो पुराने जमींदार थे, उनके पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन जो नये जमींदार बन गये है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये भूमि ले ली हैं, छोटे-छोटे काश्तकारों को पैसा देकर और पटवारी को रिश्वत देकर उन्हें अपने अपने नाम करवा लिया है और राज्य कर्मचारियों को रिश्वतें देकर उनसे भी मनवा लिया है। उनके पास १०००-१२०० एकड़ जमीन हो गयी है। मैं बाराबंकी जाती हूं। रास्ते में जितने बड़े-बड़े फार्म पड़ते हैं, वे सब किसी न किसी बड़े आदमी के ही हैं। जो सरकार से मदद मिलती है उसको ३, ४ या ५ बीघे वाला काश्तकार नहीं ले पाता है, बल्कि बड़े-बड़े लोग ही उसका फायदा उठाते हैं।

आज चाहे कलैक्टिव फार्मिंग या कोआपरेटिव फार्मिंग की बात आप करें, मैं नहीं समझती कि कौन-सी चीज उनके लिये मफीद होगी लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं, जिनके साथ बड़े-बड़े वायदे किये गये हैं, उनकी हालत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज जो पैदावार बढ़ाने के साधन हैं उन्हें जो खाते-पीते लोग हैं, जिनके पास ट्रैक्टर हैं, वह ही फायदा उठा पाते हैं। वे ५० मन और १०० मन भी निकाल सकते हैं। यह कोई तारीफ की बात नहीं। तारीफ की बात तो तब है जब यह देखा जाय कि ५ एकड़ से भी उतना ही निकाल पाता है। हजारों मन गल्ला निकाल लें। यह कोई तारीफ की बात नहीं है। अगर विभाग का कर्मचारी यह मझ से कहता है कि उसने ३ बीघा जमीन रखने वाले गरीब किसान की मदद की है और उसमें निकाला गया है ५० मन तब मैं कहूंगी तारीफ इन्तजाम की।

मैं कृषि मंत्री जी से एक बात यह कहूंगी और जिनके कारण हमारी गरीब जनता मरी जा रही है और वह है घूस वगैरह का सवाल। जिस समय फर्टिलाइजर के लिये छोटा किसान जाता है तो उससे पैसा मांगा जाता है। अमीर उसे ले लेते हैं और लेकर ब्लेक कर रहे हैं। फर्टिलाइजर ब्लेक मार्केट में बिक रहा है और गरीब को नहीं मिल रहा है और उसे नहीं मालूम है कि कहां वह जाय। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि दे तो रहे हैं तो क्यों नहीं आता ? मैं कहती हूं कि बी० डी० ओ०, पटवारी किस लिये हैं ? वे क्यों नहीं बतलाते उसको। हमारे जो एम० एल० एज० हैं वे गरीब जनता को बतलायें कि कौन सा फर्टिलाइजर कहां मिलेगा ? क्या यह एम० एल० एज० का काम नहीं है ? अगर इन ३, ५ और ७ बीघा वाले काश्तकारों को मदद होती है आपके विभाग के जरिये तब तो मैं समझूंगी कि हमारा यह बजट कामयाब है और जब यह कामयाब साबित होगा तभी मैं अपने कृषि मंत्री व इस सरकार को बधाई दे सकूंगी और उसी वक्त मैं चैन की नींद सो सकूंगी। वैसे आज परेशानी इस समय

[श्रीमती हमीदा हबीबउल्ला]

सबसे अधिक इन छोटे काश्तकारों को ही है। न उनको फर्टिलाइजर मिल रहा है, न खाद मिल रही है और न ट्रेक्टर मिल रहे हैं। आप इन छोटे काश्तकारों की मदद हर तरह से कीजिये।

बड़े-बड़े काश्तकार यह दिखला देते हैं कि उन्होंने इतना पैदा किया तो कोई वह तारीफ की बात नहीं है। इनाम भी उन्हीं को मिलता है। उनके पास रुपया भी बढ़ता चला जाता है। उस से वह दूसरी इंडस्ट्री खोल लेते हैं इनकम टैक्स को बचाने के लिये। उनकी फिक्र न करके आप उनको रोकथाम कीजिये, उन पर बन्दिश लगाइये। जमींदारी आपने इसलिये हटाई थी कि काश्तकार की मदद हो तो किस तरह से इतने बड़े काश्तकारों, इंडस्ट्रिलिस्टस को आपने इजाजत दे रखी है। उनकी आप रोकथाम कीजिये और छोटे काश्तकार की मदद कीजिये।

श्री सियाराम (जिला एटा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अति आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया जिस पर प्रदेश की सारी उन्नति और अवनति निर्भर है। अगर कृषि के क्षेत्र में थोड़ी भी कमी आ जाती है तो देश के सारे कल कारखाने, उद्योग-धन्धों पर असर पड़ जाता है और हम दूसरे व अन्य प्रदेशों पर निर्भर हो जाते हैं।

हमारा देश और प्रदेश बहत बड़ी घनी आबादी वाला है। यह प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में अधिक आबादी वाला है। जहां सारे देश में आबादी का अनपात ३७० व्यक्ति प्रति वर्ग मील है वहां प्रदेश की आबादी का अनुपात ६४८ व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। इसके भरण पोषण के लिये, साधन जटाने की नितान्त आवश्यकता है। हमारे इस प्रदेश की अधिकतर आबादी देहात में रहती है और देहात में रहने वाली आबादी ८० प्रतिशत है। जिनका पेशा खेती है और उसी पर वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। गांवों में रहने वाले व्यक्ति जो अपना जीवन खेतों पर निर्भर करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। वे खेती में कैसे धन लगाकर उससे अच्छी पैदावार कर सकेंगे। एक तरफ आबादी बढ़ रही है और दूसरी तरफ पैदावार घट रही है। यदि सरकार ने खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये सही यत्न नहीं किये तो हमारी सारी उन्नति बेकार हो जायगी। पैदावार बढ़ाने के लिए केवल खेतिहर भूमि की की पैदावार बढ़ाने से काम नहीं चलेगा बल्कि जो हमारे यहां २७ लाख एकड़ बंजर भूमि पड़ी है उस को भी हमें खेती के योग्य बनाना पड़ेगा। एक तरफ तो हमारे यहां बड़े-बड़े किसान हैं जो अपनी दूसरों से करावाते हैं और दूसरी तरफ वे छोटे-छोटे किसान हैं जिन के पास केवल दो ३-३ एकड़ ही खेती है। लेकिन इन छोटे किसानों के मुकाबले उन बड़े किसानों की पदावार बहत कम है। क्योंकि वह दूसरों के जरिये खेती कराते हैं। जरूरत इस बात की है कि भूमि भमि जोतने वालों को दी जाय। तभी पैदावार बढ़ सकती है।

इस विभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं वे बड़े-बड़े फार्मों पर ही जाते हैं और वहीं पर अन्-संधान करते हैं और सारी सुविधायें उन्हीं को देते हैं। यदि वे सुविधायें छोटे-छोटे किसानों को दी जायं तो पैदावार कहीं ज्यादा बढ़ सकती है।

इसके अलावा जो बीज की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। किसान को समय पर बीज नहीं मिलता है। अगर किसान अपनी जरूरत से ५० फीसदी बीज भी सीड स्टोर्स से पा सकें तो पैदावार बढ़ सकती है। लेकिन जब किसान वहां बीज लेने जाता है तो उसको हैरेस किया जाता है। उसको खराब बीज दे दिया जाता है जिसका असर खेती की पैदावार पर पड़ता है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान होते हुये भी यहां की पदावार कितनी कम है यह मैं १९६७-६८ के आंकड़ों से बताना चाहता हूं। हमारे यहां इस वक्त गेहूं की पैदावार ११.८६ क्विंटल प्रति हेक्टर हुई जब कि हरियाना में १७.३४ क्विंटन प्रति हैक्टर हुई, गुजरात में १२.६७ क्विंटल

प्रति हेक्टर हुई। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे यहां इतनी उपजाऊ जमीन होते हुये भी पैदावार इतनी कम है। सरकार अन्य चीजों पर व्यर्थ में इतना पैसा न खर्च करके यदि खेती पर खर्च करे तो पदावार बहुत कुछ बढ़ सकती है। यह प्रदेश इतना अन्न पदा कर सकता है कि बाहर के देशों को भेजा जा सकता है। १९६७-६८ में चावल की पैदावार उत्तर प्रदेश में ७.३० क्विंटल प्रति हैक्टर, आंध्र में १३.६६ प्रति हैक्टर, हरियाना में १३.२४ क्विंटल प्रति हैक्टर और गुजरात में १२.२० प्रति क्विंटल प्रति हेक्टर हुई। वैसे गुजरात सब से पिछड़ा हुआ माना जाता है, उसके मुकाबले में तो उत्तर प्रदेश में अधिक चावल की पैदावार होनी चाहिये। हमारे प्रदेश में भिन्न प्रकार की जलवायु पायी जाती है और विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न प्रकार की पैदावार हमारे यहां होती है।

यहां पर गन्ने के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब यहां संविद सरकार थी, उस समय गन्ने की पैदावार कम हुई थी। उस सरकार ने गन्ने का रेट १८ रुपया प्रति क्विंटल तय किया था और उस समय चीनी का भाव १.४५ रुपया प्रति किलो था। लेकिन जब कि गन्ने की पैदावार अधिक हुई इस सरकार ने गन्ने का भाव तो गिरा दिया लेकिन चीनी जब कि पहले से ज्यादा हुई उसका भाव १.६२ रुपया और १.६४ रुपया कर दिया है। जब कि गन्ने की पैदावार कम हुई थी और गन्ने का भाव भी ज्यादा था तब तो चीनी का भाव कम था लेकिन अब जब कि गन्ना अधिक पैदा हुआ है और उसका भाव पहले से कम है, चीनी के भाव पहले से अधिक बढ़ा दिया है। चीनी के मूल्य में पहले मूल्य के मुकाबले गिरावट होना चाहिये थी। इससे स्पष्ट है कि सरकार किसानों की पैदावार को घटाना चाहती है और मिल मालिकों को प्रोत्साहन देना चाहती है। जब कि किसानों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता था, उसकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

खेती से संबंधित मजदूरों की हालत बहुत खराब है। वे खेती पर ही जीवन निर्वाह करते हैं। उनको केवल १-२ रुपया मजदूरी ही मिली है। भला इतने कम पैसे में किस प्रकार से उनका गुजारा हो सकता है। जब उन भूमिहीनों को भूमि देने का सवाल आता है तो गांव का प्रधान और पटवारी ऐसे व्यक्ति को भूमि दे देते हैं जिनके पास पहले से ही मौजूद होती है। भूमि बाप के नाम है और बेटे को भूमिहीन बता कर भूमि दे दी जाती है। वास्तविकता यह है कि भूमिहीनों को भूमि नहीं दी जा रही है।

सीलिंग से भी बहुत सी भूमि प्राप्त हुई है वह भी भूमिहीनों को नहीं मिल रही है। हमारे जिले में भी ऐसे लोगों के नाम पट्टे हुये हैं जिनके पास पहले से ही भूमि मौजूद थी। इस प्रकार से प्रदेश का ढांचा बिगड़ता चला जा रहा है। अगर खेती की हालत और खेती करने वालों की हालत को न सुधारा गया तो भविष्य में बड़ा भारी संकट आ सकता है। माननीय मंत्री जी इन बातों पर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपने कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे दूं कि उन्होंने एक प्रगतिशील अनुदान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि अनुदान के माध्यम से हमारे प्रदेश की कृषि की उन्नति बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। श्रीमन्, जो आंकड़े देखने को मिले उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रशासनिक सेवाओं के ऊपर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुबेदारसिंह]

व्यय दिन प्रति दिन बढ़ता चला जा रहा है और कृषि के उत्थान के लिए जो व्यय होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है इसका नतीजा यह है कि हमारी प्रशासनिक सेवाओं पर जो व्यय हो रहा है उतनी दक्षता की प्रशासनिक सेवा हमारे यहां उपलब्ध नहीं है। इसलिये मेरा मंत्री जी से आपके द्वारा यह निवेदन है कि वे इस दिशा में कोई ठोस कदम उठायें और इस तरह की योजना बनायें कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे दक्षता से अपने कर्त्तव्य का पालन करें और जनता से निकटतम सम्पर्क स्थापित करें ताकि जनता को उनकी दक्षता, बुद्धि और तकनीकी सहायता मिल सके

इस समय मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। मेरा निवेदन यह है कि कृषि, बिजली और सिंचाई ये सभी कृषि से संबंधित हैं, इसलिये ये एक ही पोर्टफ़ोलियों में होनी चाहिये। लेकिन इनके एक ही विभाग में न होने से आपस में सामंजस्य नहीं है, कोआर्डीनेशन नहीं है। सिंचाई करने के लिए किसान बिजली के लिए भाग दौड़ करता है और स्वीकृति हो जाने पर भी कनेक्शन मिलने में बहुत देर होती है। आजकल यह महसूस किया जा रहा है कि काश्तकार को अपनी ट्यूबवैल के बिजली मिलने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जिला स्तर पर कठिनाइयां आ रही हैं, उसकी वजह से कृषि की उन्नति गर्त की ओर जा रही है। मेरा निवेदन है कि ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिये कि बिजली, पानी और कृषि में एक कोआर्डीनेशन कायम हो जाय ताकि कृषि की उन्नति हो सके और हमारे किसान सम्पन्न हो सकें और जरूरतें पूरी हो सकें।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के जिन भागों में कृषि की उन्नति हुई है वहां कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं बना है। एक योजना वद्ध कार्यक्रम मंत्री जी के पास होना चाहिये। उन्हें मालूम होना चाहिये कि किस जिले में कितनी कृषि योग्य भूमि है और उसकी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये। कहीं हजारों ट्यूबवैल बिना जरूरत के लगा दिये गये हैं। मैं अपने जिले की भोगांव तहसील की बात कहता हूं कि हमारे यहां तीन हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका कारण यह है कि कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश के लिए जिलेवार एक योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार करें और उसको कार्यान्वित करने के लिए पूरी-पूरी कोशिश करें। आज हजारों की तादाद में हमारे किसान उन्नतिशील औजार और ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं लेकिन ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन हमारी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ है। अगर आज ब्लैकमार्केटिंग में पांच हजार रुपया ज्यादा दे कर कोई ट्रैक्टर खरीदना चाहे तो वह उपलब्ध हो जाता है। मैं पूछता हूं कि ब्लैक मार्केट में ट्रैक्टर कैसे उपलब्ध हो जाता है? ओपेन मार्केट में क्यों नहीं मिलता? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में वह खेती की तरक्की चाहते हैं कि उन्होंने, घिसीपिटी लाइन जो अख्तियार कर रखी है उसको रिओरिएंट करना होगा। तब वे कृषि को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं।

तकावी लोन की दशा और भी खराब है। काश्तकार से दस्तखत करवा लिये जाते हैं और पूरी धनराशि तकावी की नहीं दी जाती है और वसूली के वक्त पूरा रुपया वसूल किया जाता है। सुल्तानपुर ब्लाक में इस तरह की बहुत-सी शिकायतें हैं। मंत्री जी यह जो छोटी-छोटी परेशानियां काश्तकारों को हैं उनकी ओर ध्यान दें और एक विस्तृत योजना बनायें जिससे हमारा कार्यक्रम चल सके। कृषि की दिशा में एक प्रैक्टिकल कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि प्रदेशीय स्तर पर एक कमीशन कायम करवा कर प्रदेश का सर्वे करवाया जाय और जिन बातों की आवश्यकता है मजबूती के साथ उनको कार्यान्वित किया जाय। जो प्रशासन में फैला हुआ भ्रष्टाचार है उस पर कड़ाई से कार्यवाही की जाय। इन सुझावों के साथ मैं इस अनुदान का हार्दिक स्वागत करता हूं और उसका अनुमोदन करता हूं।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिवराजसिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरा इस सरकार पर एक बहुत ही स्पष्ट और गम्भीर आरोप यह है कि यह तथ्यों को छिपा कर हरी क्रांति के विषय में तथा रेकर्ड प्रोडक्शन की बातें करके इस प्रदेश की जनता में खाद्यान्न उत्पन्न करने के विषय में संतोष की भावना उत्पन्न कर रही है। मैं आपकी अनुमति से तीन तथ्य रखना चाहता हूं। इस प्रदेश में खाद्यान्न उत्पन्न करने के विषय में कल जब माननीय कृषि मंत्री जी से पूछा गया कि १९६८-६९ में कितना खाद्यान्न पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं आज वह आंकड़े रखना चाहता हूं। १९६७-६८ में १६६ लाख टन पैदा हुआ था जब कि १९६८-६९ में पैदावार में भारी गिरावट हुई और वह गिर कर केवल १४५ लाख टन रह गयी।

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

जब कोई इनफार्मेशन नहीं है, अभी कोई गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट नहीं है। तो इस तरह गुमराह करना बिलकुल बेकार है।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

मेरा चार्ज है कि कृषि मंत्री और सरकार गुमराह कर रही है। अगर मेरे आंकड़े गलत हैं तो कृषि मंत्री को सही आंकड़े उपस्थित करने चाहिये। वह मार्च और अप्रैल में कटी फसल के प्रथम आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे स्पष्ट नतीजा यही निकाला जायगा कि आप आंकड़ों को छिपाना चाहते हैं। मैं एक-एक फसल के आंकड़े उपस्थित कर सकता हूं लेकिन आश्चर्य है आप नहीं कर सकते हैं। मुख्य फसल में अनाज की गिरावट आयी है। चावल की पैदावार में ३ लाख ५६ हजार क्विंटल की गिरावट है। गेहूं की पैदावार में ९ लाख ३२ हजार टन की कमी हुई।

एक सदस्य---

आप यह बतायें कि आंकड़े इकट्ठा करने के इनके पास साधन क्या हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

जौ की पैदावार में ६ लाख २६ हजार टन की गिरावट हुई। कुल तीनों अनाज में २१ लाख टन की गिरावट हुई। यदि यह आंकड़े गलत हैं तो मंत्री जी सही आंकड़े प्रस्तुत करें। मैं मनुभाई शाह का एक उदाहरण बताना चाहता हूं, आज वह मंत्री नहीं हैं, अब से ४ वर्ष पश्चात् उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न आया है। मेरी बात तो गलत कहने के पूर्व वह देख लें कि जब यह आंकड़े प्रकाशित होंगे तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न पेश किया जायेगा।

पिछले ४ वर्षों में सरकार ने अपना लक्ष्य दो बार गिराया। पहली बार तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में लक्ष्य १७२ लाख टन था, लेकिन उसके बाद ६६-६७ में यानी अगले वर्ष उसे घटाकर १६०.५२ लाख टन कर दिया गया। इसी प्रकार से आप देखें सन् १९६७-६८ में १६६.७३ लाख टन पैदा हुआ और उसकी तुलना में ६८-६९ में घटकर १४५.७३ लाख टन हुआ। तदनुसार वर्ष ६८-६९ का लक्ष्य तो १९३ लाख टन था जिसे आपने ६९-७० में घटाकर १८८.१७ कर दिया। इस प्रकार से आपने २ बार उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)]

लक्ष्य गिराया और गिरने के बावजूद भी कभी आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके । श्रीमन्, जिस तरह से यह स्पष्ट है कि सिवाय एक वर्ष ६७-६८ को छोड़कर कोई भी पैदावार में ऐसी संतोषजनक उन्नति नहीं हुई है जिससे हम कृषि के उत्पादन के विषय में यह भरोसा कर सकें कि हम खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे । तो इस नतीजे पर पहुंचें हैं कि १० वर्ष में सिर्फ़ १० फ़ीसदी पैदावार बढ़ी है जब कि आबादी कहीं ज्यादा बढ़ी है । तो आबादी की रफ्तार के मुताबिक भी हमारी खेती की पैदावार नहीं बढ़ी । इसका कारण क्या है? मेरा विचार में इसका कारण स्पष्ट है अर्थात् सरकार की नीति, कृषि नीति और उसका इम्प्लीमेंटेशन तथा प्रशासन दोनों ही गलत हैं। जब दोनों ही गलत होंगे तो नतीजा कोई ठीक नहीं होगा। आखिर इनकी नीति है क्या ? चौथी पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ ७१ पर उन्होंने नीति को स्पष्ट किया है "तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई कृषि नीति यह थी कि अधिक क्षेत्रों में साधनों के वितरण की अपेक्षा प्रगाढ़ कृषि कार्य-क्रम के माध्यम से कृषि उत्पादन का अधिक क्षमता वाले क्षेत्रों में सम्पूर्ण प्रयास केंद्रित किये जायें"। श्रीमन्, ऐसे कठिन शब्द हैं कि संभव है कि बहुत से हमारे माननीय सदस्य इस भाषा को न समझ पाये हों। सीधी-साधी भाषा में इसका अर्थ यह है कि जो किसान साधन सम्पन्न हैं, जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं उनकी ही सहायता करके खेती की पैदावार बढ़ाई जाये ।

माननीया बेगम साहिबा और इधर के बैठने वाले श्री बी०एस०सिंह ने गरीब किसानों की तरफ़ तवज्जह दिलाई है, ठीक है, लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिये कि जब तक यह नीति सरकार की जो साधन सम्पन्न क्षेत्र हैं, जहां पर पैदावार बढ़ सकती है वहां पर प्रगाढ़ प्रयास किया जाये, सारे एक्सटेंशन के प्रयास उन्हीं लोगों और उन्हीं क्षेत्रों की तरफ़ रहें, जहां पर उनकी संभावनायें अच्छी दिखाई पड़ती हैं, जब तक बेचारे गरीब किसान का कोई लाभ कतई नहीं हो सकता है और न पैदावार ही वास्तव में बढ़ सकती है । यह नीति सरकार की बिलकुल गलत है, सोशल जस्टिस के सिद्धांत के प्रतिकूल है और टेक्निकल दृष्टि से भी अनुचित है। इस संबंध में अपनी राय ही नहीं बताना चाहता हूं। सोशल अनजस्टिस का यह परिणाम है कि जो अच्छे किसान थे उन्होंने उससे (सरकार से) सहायता लेकर अपनी स्थिति को और सुधार लिया है और जो गरीब, कमजोर थे उनकी तरफ उन का कोई ध्यान नहीं गया ।

अब तो स्थिति थोड़ी सुधर गई है, लेकिन इससे पहले कृषि विभाग के यह आदेश थे कि ज्यादा पदावार देने वाली किस्में किसान नहीं बोयेगा तो उसको खाद नहीं दी जायगी। अब आप सोचिये कि यदि कहीं पर दो रुपये किलो ग्राम के दर से खाद सरकारी गोदामों से बेचा जाय तो आप सोच सकते हैं कि कौन उसका उपयोग करेगा। छोटा किसान कैसे बो सकता है । छोटा किसान नहीं बो सकता है क्योंकि उसको उर्वरक नहीं मिलेगी । यह आदेश साल डेढ़ साल पहले के हैं। तो श्रीमन्, इस सरकार की नीति सम्पन्न किसानों को ही और सम्पन्न बनाने की रही है और यह समाजवादी सरकार की नीति है । श्रीमन्, मैं अपनी बात नहीं एक दो बहुत बड़े विदेशी विशेषज्ञों की राय आपके सामने रखना चाहता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा कि वह फर्टिलाइजर न्यूज के दिसम्बर, १९६८ के अंक को मंगा कर इस लेख को कृपा कर जरूर पढ़ लें । मैं समझता हूं कि हरएक कृषि मंत्री को यह लेख जरूर पढ़ना चाहिये। "फार इफैक्टिव डिमांड फार फर्टिलाइजर एंड सैल्फ सफीसियेंसी इन फूड ग्रेन्स इन इंडिया"। यह लेख श्रीमन्, हर्वर्ड यूनिवर्सिटी यू०एस०ए० के दो बहुत बड़े विद्वानों ने भारत के विषय में लिखा है। मैं आपकी अनुमति से श्रीमन्, वह पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसका आप हिन्दी अनुवाद कर दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

श्रीमन्, इसमें लिखा है

"The review of the background data and the analysis as given in this paper leads to the conclusion that self-sufficiency in foodgrains cannot be achieved by participation of cultivators on the high and medium and high responsive lands only. Benefit-cost, relationship, input materials, research and educational policy should aim at increasing the participation of cultivators with the medium and low land response areas. New technology and additional water and other production resources that enable cultivators in these areas to increase production by only ten per cent will result in more foodgrains than the 30 to 40 per cent increase in high response area."

श्रीमन्, इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है। जब तक भारत में केवल उन्हीं जातियों में भारी ऐफ़र्टस होती रहेंगी या प्रयास होते रहेंगे जो अधिक उत्पादन दे सकती हैं तब तक भारत में खाद्यान्न की समस्या सुलझ नहीं सकती है। प्रयत्न यह होना चाहिये कि सभी किसानों के हित के लिए कार्यक्रम चलाया जाय और अगर सारे देश में १० फ़ीसदी पैदावार सब किसानों की बढ़ायी जाये तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन कहीं अधिक होगा बजाय इसके कि थोड़े से किसानों की ३० से ४० फीसदी पैदावार बढ़ायी जाये। श्रीमन्, हमारी नयी नीति या टैकटिक्स यह हैं कि हाई ईल्डिग वैरायटीज पर बल दिया जाय। अगर आप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखें तो कृषि उत्पादन का जितना लक्ष्य रखा गया है उसमें आधे से ज्यादा केवल हाई ईल्डिग वैराइटी का लक्ष्य रखा गया है। हाई ईल्डिग वैराइटीज में श्रीमन्, यह स्थिति है कि पिछले वर्ष ३२ लाख ५३ हजार ऐकड़ में हाई ईल्डिग वैराइटीज के बीज बोये गये हैं जब कि लगभग एक करोड़ ऐकड़ में गेहूं पैदा हुआ है। आज तक तिहाई खेती में गेहूं रखा गया है और बाकी में हाई ईल्डिग वैराइटीज बोयी गयी हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब कभी आप लखनऊ से देवरिया मोटर या रेल से जाते हैं तो निगाह उठा कर देखें तो क्या वह इस बात को मानते हैं कि लखनऊ से लेकर देवरिया तक हर तीन खेत में से एक खेत में हाई ईल्डिग वैराइटीज बोयी गई है? यह आंकड़े गलत हैं लेकिन अगर सही मानकर भी चलें तो स्थिति यह है कि सन् ६७-६८ में वह २१ लाख एकड़ में गेहूं बोया गया था और ६८-६९ में ३३.५३ लाख एकड़ में बोया गया। इस तरह से क्षेत्रफल में तो ५० फीसदी की वृद्धि हुई लेकिन उत्पादन ९ लाख टन घट गया है। इस ज्यादा पैदावार देने के लिये फसल के बीच के पहले कुछ बीज थे जो ३० या ४० मन फी एकड़ पैदावार देने की क्षमता रखते थे लेकिन उस वक्त भी जो क्षमता थी उसकी तुलना में वास्तविक औसत उत्पादन एक तिहाई जो से ज्यादा नहीं हुई। आज अगर क्षमता बढ़ गई है तो वह सारे आंकड़े तैयार नहीं हुये। जो आपत्ति मैं कर रहा था वह इन आंकड़ों की तैयारी के सम्बन्ध में ही थी।

अब मैं कुछ मूल्यों के विषय में कहूंगा। मैं फिर उसी लेख से कुछ उद्धृत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इस वक्त मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि उसमें समय ज्यादा लग जायेगा।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

ठीक है, तो मैं उसे संक्षेप में हिन्दी में ही बतलाये देता हूं। सारे सुधारों का संकेत करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जब एक फर्टिलाइजर के लगाने से ३ रुपये की अतिरिक्त

[श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)]

आमदनी हो तो रासायनिक उर्वरकों का बहुत तेजी से खपत बढ़ जाती है और जब तीन और ढाई के बीच में हो तो मध्यम श्रेणी की खपत होती है और २ से नीचे आने पर खपत कम हो जाती है। अब इस टेस्ट को लिया जाय तो सिवा गेहूं के उर्वरकों का प्रयोग किसान के लिये आकर्षक नहीं है और यही कारण है कि सिर्फ गेहूं को छोड़कर और किसी चीज की पैदावार में वृद्धि नहीं हुई। चूंकि समय बहुत कम है इसलिये एक बात की ओर और ध्यान दिलाकर समाप्त करूंगा।

माननीय शिवराजसिंह जी ने कल एक मूल्य नीति की मांग की थी। मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि जब चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बन रहा था तब उसका एक वर्किंग ग्रूप था। उस ग्रुप ने मूल्यों के विषय में एक सब कमेटी बनाई थी और उसने एक मत से एक राय इस सरकार को दी थी। उसमें कोई असहमति नहीं थी, सर्व सम्मति से वह राय दी गयी थी। मैं जानना चाहूंगा कि वह जो राय दी गयी थी उसका क्या हुआ? अगर वह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता तो किन कारणों से नहीं हो सकता। मेरा यह विश्वास है कि जब तक किसानों के साथ मूल्यों के विषय में इंसाफ नहीं होगा तब तक खाद्यान्नों को पैदावार बढ़ नहीं सकती।

श्रीमन्, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैं कह देना चाहता हूं। उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। वह भी इसी पंचवर्षीय योजना में लिखा हुआ है कि सरकार कृषि, सहकारिता, पंचायत और जितने भी विभाग कृषि से सम्बन्धित हैं उनका समन्वय करने के लिये एक नया विभाग स्थापित करती है। समन्वय, श्रीमन्, बड़ा अच्छा शब्द है लोगों को सुनकर खुशी भी होती है लेकिन उसका व्यावहारिक रूप यह है कि कृषि विभाग के विशेषज्ञों को हर स्तर पर ऐसे लोगों के मातहत कर दिया गया है जिनको कृषि का ज्ञान नहीं है। आज आप राज्य स्तर से लेकर चलें। इस राज्य में कृषि की वृद्धि के लिये कृषि निदेशक जिम्मेदार नहीं है। उसके लिये ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर है। ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर की योग्यता के बारें में संदेह नहीं करता। मैं जो मौजूदा ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर हैं और जो इसके पहले भी थे उनकी इज्जत भी करता हूं लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जहां तक कृषि का सम्बन्ध है उनके न क्रिडेंशल्स और न क्वालिफिकेशंस इस पद पर रहने के योग्य है। क्या ९ करोड़ आबादी वाले सूबे में एक भी व्यक्ति नहीं मिल सकता था जिसका स्वयं कृषि का बैकग्राउन्ड हो और अगर इस प्रदेश में नहीं मिल सका तो क्या सारे हिन्दुस्थान से नहीं लिया जा सकता है जो कृषि से सम्बन्धित रहा हो या कृषक परिवार का हो या कृषि में कोई शिक्षा पाये होता। लेकिन यहां तो कृषि संचालक की नकेल उस ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर के हाथ में दे दी गयी है। मैं इसी बात को थोड़ासा और ऐलैबोरेट कर देना चाहता हूं कि कमिश्नर लेविल पर चलिये। डिप्टी डाइरेक्टर्स ऐग्रीकल्चर की नकेल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के पास है। उनकी क्या शिक्षा है? कहीं परगनाधीश रहे होंगे ५, ४ वर्ष और उसके बाद आइ० ए० एस० हो गये तो वहां भेज दिये गये। और नीचे चलिये तो जिले में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफिसर हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर के साथ में हैं। ५४ जिलों में ५ जिलों ऐसे हैं वहां पर कृषि शिक्षा प्राप्त डी० पी० ओ० नियुक्त किये गये हैं। और नीचे चलिये ब्लाक के स्तर पर वहां कृषि विशेषज्ञ हैं तो उसको ऐसे बी० डी० ओ० के मातहत किया गया है जिसको कृषि का कोई ज्ञान नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस उत्तर प्रदेश में जो ६०० बी० डी० ओ० हैं उनसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाय कि गन्ने के खेत में अगर १२० नाइट्रोजन डालना है तो कितना यूरिया डाला जायगा तो उन ६०० में से ५०० इस परीक्षा में पास नहीं हो पायेंगे। बस मुझे यही आपसे निवेदन करना था।

*श्री तेजपाल (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो ४६॥ करोड़ रुपये का बजट पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और यह इच्छा प्रकट करता हूं कि यह बजट प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए और उस जनसंख्या को देखते हुये जिसमें आज ८६ फीसदी जनता कृषि व्यवसाय करती है, उस व्यवसाय के लोगों की तरक्की के लिये बहुत कम बजट है। यह और अधिक होना चाहिये था। मैं दोनों ओर के सदस्यों की, विपक्ष की ओर इस पक्ष की बातें सुनता रहा। यह निर्विवाद सिद्ध हुआ है कि आजादी के बाद से हमारे प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ी है। यह पैदावार बावजूद मौसम की प्रतिकूलता के और दैवी प्रकोप के बराबर बढ़ी है। इस बात को बाहर के लोगों ने भी माना है कि जब प्रकृति ने हमारा साथ दिया है तो हमारी पैदावार बढ़ी है। गत वर्ष गेहूं की पैदावार में रिकार्ड उत्पादन हुआ है। उसका कारण यही है कि प्रकृति ने हमारा साथ दिया तो पैदावार हमारी अच्छी हुई। जिस वर्ष प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया और प्रतिकूल रही तो हमारी पैदावार गिर गई।

(इस समय १२ बजकर ५३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

प्रकृति की अनुकूलता और प्रतिकूलता के बावजूद और दैवी प्रकोप के बावजूद हमारे प्रदेश की पैदावार आगे बढ़ी है जिससे हमारी पैदावार डयोढ़ी हो गई है यह मानना पड़ेगा। इसलिये हमारे प्रदेश के कृषि के विशेषज्ञ बधाई के पात्र हैं। यह क्रान्ति तभी और अच्छी तरह से सफल हो सकती है जैसा कि विपक्ष के माननीय सदस्य ने बताया कि जब कृषि के उत्पादन में बृद्धि करने के लिये, कृषि योजना को सही रूप से कार्यान्वित करने के लिये हर स्टेज पर कृषि विशेषज्ञ वहां पर रहें न कि आइ ए० एस० जिनको इस पद्धति का बिलकुल ज्ञान नहीं है। वह सही तरह से इसमें मशविरा नहीं दे सकते हैं। अगर विशेषज्ञ इसमें रहेंगे तो कृषि की पैदावार बढ़ेगी और गतिविधि इस दिशा में और अच्छी होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि जिनके पास खेती की इकाई आर्थिक है उनकी पैदावार निश्चय ही बड़ी है। जो आंकड़े हैं उनसे मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशी लोग और सब से बड़ा देश अमेरिका भी इस बात को मानता है कि जो आर्थिक इकाई वाले हैं उनकी पैदावार डयोढ़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि हमारी कृषि की उन्नति हुई है। हमारी कृषि के विशेषज्ञों का अनुसंधान सही दिशा में चल रहा है और उससे हमारी पैदावार बढ़ी है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि इसमें निश्चय ही बड़ी उन्नति हुई है। तो श्रीमन्, मैं यह बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि फिर क्या कारण है कि हमारे आर्थिक इकाइयों वाले किसान की पैदावार न केवल देश में बल्कि प्रदेश में भी नीची है। हमारी कोई पैदावार इतनी ऊंची नहीं है जो अन्य प्रदेशों से मुकाबला कर सके। इसका सीधा-सा लक्षण यह है कि हमारे प्रदेश में ६० से ८० प्रतिशत किसान अलाभकर जोत वाले हैं। जब तक यह स्थिति है तब तक तो हम उन्हें पर्याप्त साधन न जुटा पायेंगे, ताकि माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों के कथनानुसार हम प्रत्येक किसान को कुएं और रहट की व्यवस्था कर सकें। क्या तरीका होगा जिससे हम उनको सिंचाई संपन्न कर सकें। हमारे जनसंघ वाले कहते हैं कि प्रत्येक खेत में नलकूप होना चाहिये। लेकिन क्या हमारे अन्दर इतनी क्षमता है कि हम प्रत्येक खेत के लिये नलकूप लगवा सकें। यह कभी संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब उनकी खेती को सहकारी खेती कर दिया जाय। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है अलाभकर जोतों के लिये जिससे उनकी पैदावार बढ़ायी जासके। यह मूल चीज है और बजाय इसमें प्रगति लाने के विपक्ष के नेता निरंतर यह दुहाई देते हैं कि सहकारी खेती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजपाल]

नाश का कारण बनेगी। दूसरी बात यह है कि हस्बैन्डरी के जानने वाले वैज्ञानिक यह अनुभव करते हैं कि खेती के लिये भी पानी और भोजन का वैसे ही प्रयत्न करना पड़ता है जैसा मनुष्यों के लिये। मुझे खेद है यह निवेदन करते हुए कि कृषि के साथ पानी जो कृषि के लिये आवश्यक है और जबतक कोई लायेजां आफिसर या डिपार्टमेंट खेती की पद्धति के अनुकूल वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर कार्य नहीं करेगा तबतक कृषि की जान जो पानी है उसको हम नहीं जुटा सकेंगे।

तीसरी बात यह है कि कृषि में जहां आपने हर स्कीम में अन्वेषण किये हैं उनके अन्दर इम्प्लीमेंटेशन में जिले-वाइज कुछ न कुछ डिफेक्ट हैं। जिला मथुरा में गरकी के एरिया में यह स्पष्ट है कि या तो गन्ने की फसल बोई जा सकती है या धान लगायें। उसमें भी देखते हैं कि न तो गन्ने की कोई विशेष स्कीम चालू की गयी और न धान के लिये कोई विशेषज्ञ भेजे गये। जब हमारे पानी की ओर जमीन की दशा बदल चुकी है तो उसके मुताबिक आपकी स्कीम चालू होनी चाहिये। गन्ना ही एक ऐसी फसल है जो ऐबनार्मल रेंस को बरदाश्त कर सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि शुगरकेन इंडस्ट्री हमारे मथुरा जिले में स्थापित होनी चाहिये तभी किसान अधिक उन्नति कर सकता है। जहां धान और गन्ने की बात होनी चाहिये वहां संकर ज्वार, संकर मक्का या संकर बाजरा-ऐसे बीज उन जिलों में भेज दिये जाते हैं, जो इलाका अनड्रेंड है, ड्रेनेज का कोई इन्तजाम नहीं है तो कैसे ये बीज वहां कामयाब हो सकते हैं? ये तो तभी होंगे जब ड्रेनेज का प्रबन्ध हो जाय। वैज्ञानिकों के सहयोग के अलावा कृषि की पैदावार का मूल्य मिलना भी एक खास इंसेन्टिव है। एक साल किसान को ४० रुपया मन मिले और दूसरे साल २५ रुपया मन मिले तो वह कभी पैदावार नहीं बढ़ायेगा। इसलिये यह जरूरी है कि किसान को उनकी वस्तु का एक निश्चित मूल्य मिलना चाहिये।

श्रीमन्, सरकार ने मंडी समिति की स्थापना का जो कदम उठाया है वह सराहनीय है। इससे कई फायदे होंगे किसानों को भी और सरकार को भी। सरकार की सेल्स टैक्स की आमदनी बढ़ेगी और किसानों की बहुत-सी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन मेरा एक यह सुझाव है कि जैसा इनका टार्गेट है २५० मंडी से रे प्रदेश में कवर करने का तो वहां ये वेयरहाउस खोलें। सबसे पहले प्रायरिटी पर वेयरहाउस रहना चाहिये। यहीं किसान अपना माल रखे और जब उसे ज्यादा कीमत मिले तब वह उसको बेचे। इससे किसान को वह सारा लाभ होगा जो कि अब तक बीच के लोग उठाते हैं।

श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस सदन के समक्ष कृषि कटौती पर चर्चा करने का मौका प्रदान किया। यह सर्व विदित है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और उसमें से उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर लगभग ७५ फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं। परन्तु अभी तक यह देखा गया है कि सरकार की ओर से हमेशा कृषकों की अवहेलना की गयी है। उत्तर प्रदेश में सन् ५०-५१ में २६१ हैक्टेर एकड़ में ६२.१ हैक्टेर में खेती की गयी। ६५-६६ में १७३ लाख हैक्टेर अर्थात् ६३ प्रतिशत जमीन कृषि में ली गयी। इस प्रकार आंकड़ों से ज्ञात होता है कि केवल ३.९ प्रतिशत ही कृषि में तरक्की हुई है। यदि इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का आंकड़ा रहेगा तो कृषि उन्नति के लिये कम से कम १०० वर्ष लगने चाहिये। उसके साथ-साथ हमारे वित्त मंत्रीजी ने बताया था कि ६९-७० के बजट में १६० करोड़ की योजना की गयी है जिसमें से ३० करोड़ ७२ लाख कृषि तथा सम्बन्धित कार्यों के लिये जैसे पशु पालन, वन, मत्स्य विभाग के लिये रखा गया। इसके साथ-साथ ८० प्रतिशत बिजली की खपत पूंजीपतियों द्वारा होती है। मंत्री महोदय ने ६८ करोड़ रुपया बिजली के लिये रखा है। इन सब चीजों को मिला कर मंत्री जी ने बताया था कि ६०-६५ प्रतिशत किसानों के ऊपर खर्चा

किया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी ने किस हिसाब से इतना बड़ा आंकड़ा किसानों के लिये रख दिया है कि ६० प्रतिशत किसानों के ऊपर खर्च किया जायेगा। आज यह देखा जाता है कि सिंचाई के लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिये। किसानों को अच्छे किस्म की खाद मिलनी चाहिये और अच्छे किस्म का बीज मिलना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह देखा गया है कि किसान को समय से पानी नहीं मिल पाता। नहर में केवल दो बार पानी आ जाता है और यह कहा जाता है कि नहर में पानी अच्छी तरह आया है। एक बार नहर में पानी बोने के समय आता है और दूसरी बार कटने के समय आता है। बीच में पानी नहीं आता जिससे किसानों की फसल सूख जाती है।

जहां तक बिजली का संबंध है किसानों को नलकूप लगाने में बहुत परेशान किया जा रहा है। मैं कृषि मंत्री जी के माध्यम से विद्युत् मंत्री जी से अपनी बात पहुंचाने की आशा करूंगा क्योंकि वह यहां उपस्थित नहीं है और कृषि मंत्री जी उपस्थित हैं। जब किसान बोरिंग करवा लेता है और सर्टीफिकेट वगैरह जमा कर देता है तब भी एक-एक साल और दो-दो साल उसको कनेक्शन नहीं मिलता है। अगर १०० या २०० रुपये दे देते हैं तो कनेक्शन तुरन्त मिल जाता है। ऐसी दो, तीन चीजें मेरे सामने आईं और मैंने जाकर इंसपेक्टर से कहा। वह लोगों से कहते हैं कि आप मेरी शिकायत करिये और बिजली लोड आपको तभी मिलेगा जब मेरी इच्छा होगी। लोड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने की जिम्मेदारी है और उनको यह देखना चाहिये कि किसान इसके लिये परेशान न हो। आशा है कृषि मंत्री जी विद्युत् मंत्री जी से संपर्क स्थापित करेंगे और एक समय निर्धारित करा देंगे कि जब सब काम कम्प्लीट हो जाय तो इतने समय के अन्दर लोड जरूर मिल जाना चाहिये तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा और किसानों की परेशानी दूर हो सकेगी। राजस्व मंत्री जी ने घोषणा की है कि दो महीने के अन्दर दाखिल खारिज हो जायगा। अगर ऐसा हो सका तो तहसील के अन्दर भ्रष्टाचार का जरिया खत्म हो जायगा। अगर दो महीने के अन्दर दाखिल खारिज नहीं हुआ और अधिकारियों से जवाब तलब किया गया तो फिर भ्रष्टाचार नहीं रह सकता है। इस तरह से बेईमानों और भ्रष्टाचारी अफसरों से बचने के लिये बिजली के मामले में भी जब सब चीजें कम्पलीट हो जायं तो दो महीने का या चार महीने का लोड देने के लिये समय निर्धारित कर दिया जाना चाहिये।

जहां नदियों में कुण्ड है वहां लिफ्ट इर्रीगेशन की व्यवस्था होनी चाहिये। आज किसानों को जो पानी मिलता है वह चार-चार सौ मील दूरी से आता है। कहीं पानी आता है और कहीं पानी नहीं आता है। किसी-किसी ब्रान्च में पानी पहुंचता ही नहीं और किसानों के खेत बेकार हो जाते हैं। जब तक सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होती है तब तक किसानों की तरक्की होना असम्भव है।

खाद के बारे में कहना चाहता हूं कि अमोनिया सल्फेट के बारे में कहा जाता है कि यह ज्यादा लाभप्रद है लेकिन ५० रु० बोरी के एवज में किसानों से ९० रु० और ८० रु० बोरी के दाम लिए जाते हैं अमोनिया सल्फेट के। इसी आरोप में इलाहाबाद जिले के मऊ आइमा ब्लाक के बी० डी० ओ० पकडे गये हैं। लोग दरखास्तें देते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है। यहां सदन में देखते हैं कि जब किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत किया करते हैं तो मंत्री लोग यह कहते हैं कि जांच की जायगी या यह कह देते हैं कि किसान झूठ कहते हैं। जब ८० परसेन्ट किसान परेशान होकर दरखवास्त देते हैं तो उनकी सुनाई नहीं की जाती। हमारे एक एम० एल० ए० साहब ने कहा कि पहले उनके खेत में पैदावार नहीं होती थी लेकिन पारसाल उन्होंने डेढ़ हजार की बिक्री की, दो हजार की बिक्री की। हम एम० एल० ए० हैं और मंत्री हैं तो हमको तो बी० डी० ओ० घर पर खाद पहुंचा देगा। हमको तो सभी सहूलियत मिल जायंगी लेकिन जो गरीब किसान है उसकी सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि जब हम लोग किसी पद

[श्री राम पूजन पटेल]

पर पहुंच जाते हैं तो सुख और आराम की गद्दी पाकर उन किसानों की परेशानियों को भूल जाते हैं। इसलिये मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो किसान के यहां गल्ला पैदा होता है उस समय उसका दाम गिरा दिया जाता है और जब वही गल्ला व्यापारी के यहां पहुंच जाता है तो दाम बढ़ जाता है, इसपर प्रतिबन्ध लगना चाहिये। दाम बांधो नीति को अपनाकर किसान को प्रोत्साहन दिया जाय, उससे देश की तरक्की हो सकेगी।

श्री ब्रजराजसिंह (जिला हमीरपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया। मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं लगातार सन् ६२ से यह देख रहा हूं कि हर माननीय मंत्री का ध्यान उन क्षेत्रों की तरफ ही है जहां तरक्की बहुत पहले से हो चुकी है। किसी का भी ध्यान बुन्देलखंड की तरफ नहीं है जहां का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मेरा यह कहना है कि जितना ध्यान तरक्की हुए क्षेत्रों पर दिया जाता है यदि उतना बुन्देलखण्ड पर दिया जाय तो उत्तर प्रदेश की खाद्य समस्या को अकेला बुन्देलखंड हल कर सकता है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। खेती का क्षेत्र हर पूर्वी इलाके में १.५ एकड़ प्रति व्यक्ति, मध्य क्षेत्र में २.१ एकड़ प्रति व्यक्ति, और बुन्देलखंड में ४.७ एकड़ प्रति व्यक्ति पड़ता है। लेकिन वहां पर कोई सुविधाएं किसानों को उपलब्ध नहीं हैं, प्राकृतिक रूप से जो गल्ला पैदा हो सकता है वही होता है। अगर पश्चिमी इलाकों में दिये जाने वाले साधन बुन्देलखंड में दिये जायं तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिये खाद्य सामग्री अकेला बुन्देलखंड पैदा कर सकता है। बुन्देलखड में जमीन का क्षेत्रफल बहुत अधिक है लेकिन खेती के अच्छे साधनों का कोई प्रबन्ध नहीं है। पूर्वी इलाके में ३०.९ प्रतिशत, मध्य क्षेत्र में २४.७ प्रतिशत और बुन्देलखंड में केवल १० प्रतिशत खेती के सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। तो उस क्षेत्र की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। श्रीमन्, मैं एक आंकड़ा और देना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है। पूर्वी इलाके में ९९ रु० मध्य क्षेत्र में १४९ रु०, बुन्देलखंड में १३४ रु० और पश्चिमी इलाके में १७८ रु० है। बुन्देलखंड की गरीबी दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। भारतवर्ष स्वतंत्र होने के बाद भी बुन्देलखंड के किसानों को कोई सुविधा नहीं दी गई है, बल्कि उपेक्षा की गई है। जो योजनाएं बाद को आनी चाहिये थीं वह बुन्देलखंड में पहले रख दी गई हैं और पहले आने वाली बाद में पता नहीं रखी जायं या नहीं। वहां सबसे पहले सिंचाई और बिजली का काम होना चाहिये था। वहां ५ हार्सपावर का इंजन सिंचाई के लिये दिया गया है, जिसकी तकावी किसानों को दी जाती है, और पानी का कोई साधन नहीं है। किसानों को इंजिन खरीदने के लिये तकावी दी जाती है और उन्होंने इंजनों को खरीद कर अपने घरों में डाल रखा है क्योंकि वे ५ हार्स पावर के इंजिन हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं कि वे गहरे कुओं से पानी खींच सकें। यदि उनको बिजली के मोटर दिला दिये जायं तो उनका काम चल सकता है। यह ५ हार्स पावर के इंजिन जो उन लोगों को दिलवाये गये हैं वे किसी काम के नहीं हैं और बेकार पड़े हुये हैं।

इसके अलावा जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां पर भी आपके बी० डी० ओ० द्वारा खाद जबरदस्ती दी जा रही है। तकावी में से खाद का रुपया काट लिया जाता है। जब पानी नहीं होगा तो खाद किस काम आयेगी। न बिजली का कोई साधन है, न पानी का कोई साधन है, मगर खाद दे दी जाती है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

संविद के जमाने में एक भूसंरक्षण योजना चली थी। उसके अनुसार छोटे-छोटे खेतों में मिट्टी डालने की योजना चलायी गयी थी। यह योजना बिलकुल बेकार साबित हुई है क्योंकि बरसात में वह मिट्टी बह जाती है। इसकी जगह बड़े-बड़े बांध ही बनाने चाहिए। बुन्देलखंड में जो बड़े-बड़े बांध बनाये गये हैं उनसे जनता का बड़ा लाभ हुआ है। जिस समय

फसल बोई हुई होती है, उस समय भूसंरक्षण वाले खेतों में मिट्टी डालने के लिये पहुंचते हैं। इससे फसल को भी बड़ा नुकसान होता है। हमने सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

एक बात मैं चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। चकबन्दी बुरी नहीं है, मगर आप हमारे यहां पहले जो और जरूरत की चीजें हैं जैसे पानी का प्रबन्ध है, बिजली है, यह सब तो दीजिये। जहां खेतों को पानी नहीं मिलेगा, वहां आपको चकबन्दी क्या करेगी। बुन्देलखंड में २९ गांव में चकबन्दी की योजना बनी। मैं जब राजस्व मंत्री जी से मिला और मैंने शिकायत की तो वह केवल १३ गांवों में कर दी गयी। मैं पूछता हूं कि क्या पूरे बुन्देलखंड में १३ ही गांव चकबन्दी के काबिल थे। अगर आपको चकबन्दी करनी है तो पूरे बुन्देलखंड में कीजिये। वरना इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

मान्यवर, हमारे बुन्देलखंड में आज तक कोई भी ऐसी योजना नहीं दी गयी जिससे वहां का वास्तविक विकास हो सके। चाहे संविद की सरकार रही, चाहे हमारी सरकार रही, किसी ने भी हमारे बुन्देलखंड की ओर ध्यान नहीं दिया। संविद सरकार ने हमारे यहां से लेवी द्वारा जो सख्तियां कीं और जिस तरह से गल्ला वसूली की उससे किसानों को बड़ी तकलीफें हुईं। फिर भी जो गल्ला लेवी का वसूल किया गया, उसकी हालत यह है कि वह आज स्टोर्स में पड़ा हुआ सड़ रहा है। इस समय इस बात पर ध्यान न दिया जाये कि किस जिले का कौन मंत्री है, बल्कि जो जिले पिछड़े हुये हैं, जहां आज तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, वहां पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। जब सबसे पिछड़े हुये इलाके तरक्की करेंगे तभी प्रदेश की तरक्की होगी। जहां पैदावार आलरेडी बढ़ गई है, वहां ध्यान देने से फायदा नहीं होगा, फायदा तो तब होगा जब जहां पैदावार नहीं होती है, वहां पर पैदावार होने लगे, वहां की समस्या को आप हल करें।

बुन्देलखंड में मछली विभाग के पास एक हजार एकड़ में तालाब हैं। उनका आज सही उपयोग नहीं हो रहा है। उनको यदि गहरा करा दिया जाय तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ है? वे गर्मियों में सूख जाते हैं और इस तरह हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी रह जाती है। मैं समझता हूं कि बुन्देलखंड से ज्यादा तालाब कहीं नहीं होंगे। अगर कृषि मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे तो बहुत तरक्की हो सकती है। वहां ट्रेक्टर की व्यवस्था विशेष रूप से की जाय क्योंकि एक एक खेत वहां पर एक एक सौ डेढ़ डेढ़ सौ दो दो सौ बीघा का है। वहां पर पैदावार श्रीमन् इसलिए है कि जमीन ज्यादा जोतते हैं न कि इसलिए कि पैदावार ज्यादा बढ़ी है। ट्रेक्टर्स के होने से खेती ज्यादा बढ़ सकेगी और प्रान्त की खाद्य समस्या हल हो सकेगी। इन सब बातों को देखते हुए मैं अपने भाषण को खत्म करता हूं और माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह बेकार की योजनाओं को वहां खत्म कर के सिंचाई की व्यवस्था करें।

श्री मोतीलाल (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आज पहली बार आपने हमें सदन में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय कृषि मंत्री के प्रस्ताव के विरोध में और माननीय शिवराज सिंह के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है और सभी पुस्तकों में भी है कि भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश भी वैसे ही कृषि प्रधान प्रदेश है परन्तु देखा यह गया है कि यहां आज़ादी के बाईस वर्षों में कृषि की उपेक्षा अधिक हुई है कृषि की संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। थोड़ी बहुत जो योजनायें हैं वे लागू तो हुई लेकिन बराबर यह देखा गया कि हर पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त रुपया अलाटमेन्ट होने के बावजूद भी, उसमें से काफी हिस्सा लैप्स हो गया, और योजनाओं पर खर्च

[श्री मोतीलाल]

नहीं हुआ। साथ ही साथ जो धनराशि हमारी योजनाओं पर खर्च करने के लिये नियत की गई थी उसमें अधिकांश धनराशि का दुरुपयोग हुआ तथा वह गलत ढंग से खर्च की गई। जो वास्तविक किसान है और जो खेती करने वाले लोग हैं उनके पास तक वह धनराशि नहीं पहुंच पाई/परिणाम स्वरूप कृषि की उन्नति नहीं हो पाती। इसी तरह से हम देखते हैं कि इन सारी योजनाओं के बावजूद बाईस साल के बाद भी हर किस्म को खेती के क्षेत्र में प्रति एकड़ कितनी पैदावार हुई तो हम पाते हैं कि हम पिछड़े जा रहे हैं। गेहूं को ले लीजिये। पंजाब में जितनी प्रति एकड़ पैदावार हैं उससे हम आधी ही पैदावार अपने यहां करते हैं। यानी हमारी से दुगुनी पैदावार पंजाब में है। उसी तरह चावल में मैसूर, गन्ने में महाराष्ट्र, और आलू में बिहार हमसे ज्यादा प्रति एकड़ पैदा करते है। इसी तरह से और दूसरे ढंग से देख लें कि हमारे यहां पूरी आबादी के ८५ प्रतिशत लोग खेती में लगे हैं। फिर भी हम आज तक अन्न के मामले में आत्म निर्भर नहीं हो पाये हैं। बराबर हमे बाहर का मुंह देखना पड़ रहा है। पंजाब से हम गेहूं लेते हैं चावल हम बंगाल और आसाम से मंगाते हैं और अमरीका से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत गेहूं मंगाते हैं। बाईस साल के अन्दर हमने चालीस अरब रुपये का गल्ला पी० एल० ४८० के अन्तर्गत अमरीका से मंगाया है और अगर वही रुपया हम कृषि विकास पर खर्च करते तो हम अपनी कृषि की स्थिति को सुदृढ़ कर लेते।

दूसरी शर्म की बात यह है कि भारत कृषि प्रधान देश है और जहां ८०-८५ प्रतिशत लोग खेती के उद्योग में लगे हुए हैं तब भी हम गल्ला ऐसे देश से मंगाते हैं जहां सौ में से पांच या सात लोग खेती करते हैं। हम इनकी परियोजनाओं या अन्य योजनाओं की आलोचना नहीं कर रहे हैं लेकिन बाईस साल में हमारा क्या प्रगति हुई। दुनिया के और राष्ट्र हमसे ज्यादा बढ़ गये लेकिन हमारे यहां क्या किया गया। अगर कोई मिनिस्टर बाहर गया तो उस देश की बची-खुची चीजें ही मिल गई चाहे कृषि के रूप में चाहे जो ब्लाकों की जो जीपें हैं वे मिल गई जो वहां की बची हुई थीं जिनका वहां पर कोई उपयोग नहीं था वे हमारे मंत्रियों को कर्ज के रूप में दे दी गई। और स्वदेश वापस आने पर उसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है। हमारे यहां की पुरानी परिपाटी तो यह थी कि यदि कोई सम्मानित व्यक्ति मजबूरन कर्ज लेता भी था तो वह बतलाता नहीं था और उसको छिपाता था लेकिन हमारी यह सरकार और केन्द्र की सरकार कर्ज लेने में बड़ा गर्व करती है और उसको तमाम पेपर्स में निकलवाती है। माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने अभी हाल में ही कहा कि जो ज्यादा कर्ज लेता है वही आज कल धनी माना जाता है। हमें मालूम है कि जो लोग, जो मंत्री आज विभागों को चलाते हैं उनको अपने अपने विभागों की कोई जानकारी नहीं होती है और यही दशा खेती के विषय में है जिनको कृषि का ज्ञान नहीं है उनके सुपुर्द यह कार्य कर दिया जाता है और इसी कारण से हमारी योजनायें भी असफल हो जाती हैं। सरकार के मंत्रियों को ही जब अपने विभागों की जानकारी न होगी तो काम कैसे ठीक हो सकता है। आपको मालूम होगा कि भारत सरकार के कृषि मंत्री पाटिल साहब थे एक बार रूस के प्रधान मंत्री भारत आने पर उनसे खरीफ़ और रबी के बारे में पूछा तो उनको मालूम नहीं था कि खरीफ और रबी क्या होती है उनको यह भी नहीं मालूम था कि रबी में क्या अनाज पैदा होते हैं और खरीफ में क्या पैदा होते हैं। यह सब आप एक जमाने में पेपर्स में पढ़ चुके होंगे। यह योजनायें असफल इसी कारण से हुई हैं कि मर्ज तो कुछ था और इलाज कुछ और हुआ, फोड़ा कहीं पर था और आपरेशन अन्यत्र किया गया व इन्जेक्शन कहीं लगाये गये। हमारे यहां जो रुपया कृषि योजनाओं पर और दूसरी योजनाओं पर व्यय हुआ है वह बुरी तरह बरबाद हुआ है। हमें सोचना होगा कि हमारी खेती की क्यों अवनति हुई तथा क्यों उसमें प्रगति नहीं हुई है और क्यों हम अन्य राष्ट्रों के मुकाबले में और दूसरे राज्यों के मुकाबले में कृषि विकास में पीछे रह गये।

हमारी भूमि व्यवस्था भी बिलकुल गलत और डिफेक्टिव रही है। कोई क्रान्तिकारी व जनोपयोगी परिवर्तन हमारी भूमि व्यवस्था के सुधार में नहीं हुआ, जो भूमि व्यवस्था यहां पहले से चली आ रही थी। वह ऐसी पूंजी वादी भूमि व्यवस्था थी, जिसकी वजह से तानाशाही द्वारा अपने पास में जमीन ज्यादा रख कर शासन करने की प्रगति से व शोषण की मनोवृत्ति

से सत्ता बनाये रखी जाती थी। २२ साल तक ढिढ़ोरा पीटा जाता रहा कि समाजवाद लाया जा रहा है और योजनाओं के द्वारा भूमि सुधार और कृषि का विकास किया जायगा लेकिन २२ साल के अन्दर जमींदारी हटने पर भी कोई वास्तविक फायदा किसानों को नहीं हुआ। अगर हम आंख खोल कर देखें तो ज्यादातर जमीन उनके पास है जो खेती करना और हल जोतना पाप समझते हैं, काम स्वयं करना गुनाह समझते हैं, वह भूमि पर अपनी मनोपाली समझते हैं। वह किसानों को लालच देकर सोने की तरह जमीन पैसा लेकर देते हैं और उससे अपना ऐशो आराम करते हैं। इस सूबे में कई ऐसी जातियां भी हैं जो हल जोतना पाप समझती हैं लेकिन जमीन उनके पास बहुत है ऐसे लोग कांग्रेस, बी० के० डी०, जन संघ, सोसलिस्ट तथा कम्युनिस्ट आदि सभी दल में हैं इस तरह के लोग जो गांव में जमीन पर कब्जा किये है वह बहुत ही गलत परम्परा है और यह विभाग की पुरानी खराबी हमारें अन्दर चली आ रही है। ऐसे लोगों को अपने पास कोई अधिकार जमीन रखने का नहीं है और सरकार को भूमि सुधार कानून इस तरह से बनाना चाहिए जिसके द्वारा मेहनत करने वाले खेतिहर लोगों को जमीने मिलें। एक अमरीकन नें यहां की कृषि सहकारिता को देख कर कहा कि भारतीय लोग कोआपरेटिव्ज के बारे में इतने लंबे समय में भी कुछ नहीं किये और आज यहां सहकारिता आन्दोलन उनके ही हांथ में है जो कैपिटलिस्ट है और जो सहकारिता के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे लोग प्रदेश के प्रत्येक साधन पर अपना कब्जा बनाये रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों को हम बहकाये रहें। मेरा सुझाव है कि आप इस तरह का कानून लायें जिस से जो लोग अपने हाथ हल चलाये, ट्रेक्टर चलाये, फ़ार्म्स पर स्वयं काम करें और केवल दूसरों से ही खेती न करायें उन्हीं को भूमि मिले, कृषि भूमि का स्वामित्व किसी की बपौती नहीं है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह ऐसा विधेयक यहां लायें कि जो वास्तव में कृषि कार्य करना चाहते हैं उन्हीं को जमीन दी जाय और अन्य लोगों को स्वामित्व का कोई अधिकार न रहे।

इस तरह से लगान के रेट्स का मामला भी बड़ा डिफेक्टिव है। जिन के पास २-५ एकड़ जमीन है उस पर २०-२५ रुपया प्रति एकड़ की दर से शिकमी लगान पड़ता है लेकिन जिनके पास १०० और ५०० एकड़ जमीन है उनको ४ आना प्रति एकड़ की दर से ही लगान पड़ता है। आप आंकड़े देखेंगें तो इस बात का पता चलेगा कि अधिक जमीन रखने वालों पर लगान कम है। जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं है, अधिकार नहीं, खेती के साधन नहीं है उनसे आप कैसे आशा कर सकते हैं कि खेती की तरक्की वह करें।

दूसरा निवेदन पानी के सम्बन्ध में है। खेती की पैदावार न बढ़ने का कारण यह है कि इस सरकार की पानी की कोई नीति ही नहीं है। खेती करने वालों को चाहिये पानी, परन्तु उसका प्रबन्ध किसान नहीं कर पाते हैं। आज हमारे यहां कृषि में ८६० लाख एकड़ भूमि है। उसमें से ५२३ लाख एकड़ भूमि खेती करने योग्य है और ४३० लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर २ फसलें उगायी जा सकती हैं। और १३० लाख एकड़ वह भूमि है जिसमें दो फसलों से अधिक फसलें पैदा हो सकती हैं। जहां तक वर्षा का सम्बन्ध है यह केवल ८० सेंटीमीटर होती है। पहले हमारे सिंचाई के लिये वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिये गांवों में तालाब और पोखर खुदवाते थे लेकिन यह सरकार उनकी ओर भी कोई ध्यान नहीं देती है। इसरायल अभी हाल में ही आजाद हुआ। वहां पर रेगिस्तान का इलाका था लेकिन आज वहां पर सारे देश में सारे खेतों को पानी देने की व्यवस्था कर दी गयी है। परन्तु हमारे नेता जो आजादी के पहले कहते थे कि स्वतंत्र होने पर देश में घी तथा दूध की नदी बहेगी, परिणाम उसके विपरीत हुआ। आज हमें पानी पीने के लिये नहीं मिलता, सिंचाई के लिये पानी की बात तो दूर रही। अभी हाल में मिर्जापुर में ५ रुपया बाल्टी पानी मिला।

(लाल बत्ती होने पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और बक्त दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निवेदन करूं कि आज दस मिनट से ज्यादा समय किसी माननीय सदस्य को नहीं मिलेगा अतः आप कृपया बैठें।

श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस ग्रान्ट के संबंध में बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, कृषि मंत्री द्वारा जो अनुदान उपस्थिति किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां की जनता ७५ प्रतिशत कृषि पर ही निर्भर है लेकिन यहां पर सिंचाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जब तक यहां सिंचाई के समुन्नत साधन नहीं होंगे, कृषि की पैदावार नहीं बढ़ सकती है।

श्रीमन्, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस जिले में सरकार की ओर से सिंचाई की व्यवस्था का कोई प्रबंध नहीं है और न वहां पर कोई स्टेट ट्यूबवेल ही है। उस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य है या इस सरकार की २० वर्ष की लापरवाही का नतीजा है कि उस क्षेत्र में न कोई ट्यूबवैल है और न सिंचाई के विकास की कोई योजना ही है। फतेहपुर में खागा तहसील है। उसके उत्तर और पूर्व में ऊसर भूमि है लेकिन हमारी सरकार की ओर से जमीन को बदलने और सिंचाई की व्यवस्था करने की कोई चेष्टा नहीं है। अगर जमीन बदल जाय तो उपजाऊ हो सकती है।

दूसरे श्रीमन्, कृषकों को उन्नतशील बीज उस समय दिया जाता है जबकि वे लोग अपनी फसलें बो चुकते हैं जिससे वे किसान इन उन्नतशील बीजों से कोई फायदा नहीं उठा पाते हैं और उसके अनुसार अपने खेतों को भी तैयार नहीं कर पाते हैं। अगर ये उन्नतिशील बीज, बीज भंडारों से पहले मिल जाया करें और किसानों को इसकी सूचना मिल जाय तो उस से किसान अपने खेतों को तैयार कर सकें और समय से बीज बो सकें। दूसरे जो खाद का वितरण होता है वह भी उनको समय से नहीं मिल पाता है जिसके कारण वे इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं।

एक बात मुझे यह निवेदन करनी है कि हमारे प्रदेश का मुख्य उद्योग कृषि है। कृषि की उन्नति के लिये जानवरों को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है ताकि वे जानवर खेत में मेहनत कर सकें, पैदावार को बढ़ा सकें और उससे फिर हम लाभ उठा सकेंगे।

हमें उन्नतिशील औजारों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। बड़े बड़े काश्तकारों को तो वे उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन छोटे काश्तकारों को वे सुलभ नहीं हो पाते हैं। ब्लाक स्तर पर छोटे काश्तकारों को उन्नतिशील औजार दिलाये जायं ताकि उनसे वे लाभ उठा सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें।

मैं अपने क्षेत्र की बात बतलाऊं कि ८ मील लम्बी लाइन बिछी है बिजली की और उसमें २५, ३० ट्यूबवेल लगे हुए हैं। वहां के काश्तकार बड़े खुश हाल हैं। लेकिन जहां पर यह लाइन बिछी नहीं है वहां पर काश्तकार के सामने बेकारी की समस्या है, उसे काम नहीं मिलता। आपस में लड़ाई-झगड़ा रहता है और उनका समय नष्ट होता है। इसलिये सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिये लाइन बिछाई जाय ताकि काश्तकार खेत में मेहनत करके पैदावार बढ़ा सके और उससे लाभ उठा सके।

कल उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि गुप्ता जी किसान के बेटे नहीं हैं, वे पूंजीपतियों के हिमायती हैं। उनको कृषि का कोई ज्ञान नहीं है। आपके माध्यम से मैं उनको बतला दूं कि किसान के बेटे चौधरी चरणसिंह जी की जब सरकार थी तो किसानों के लिये उन्होंने यह काम किया कि बिजली के खम्भे पहले कांग्रेस के रिजीम में जो ४ फर्लांग तक मुफ्त में लगाये जाते थे उन्होंने उसे घटा कर एक फर्लांग कर दिया जिससे किसानों को जो पहले सिंचाई की सुविधा होती थी वह नहीं मिल सकी। हमारी सरकार ने किसानों के ऊपर से ४ आने का लगान माफ किया लेकिन चौधरी चरण सिंह ने भूमि भवन कर हटाया जो बड़े व्यापारियों अथवा पूंजीपतियों पर

पड़ता था। चौधरी साहब जो किसानों के नेता बनते हैं उन्होंने इस प्रकार किसानों की जड़ काटी और माननीय गुप्ता जी जो बनिये के बेटे हैं उन्होंने किसानों को बढ़ावा दिया। जो किसानों के लिये लोन, तकावी की व्यवस्था थी पहले उस पर किसानों को छूट दी जाती थी लेकिन चौधरी साहब ने उस छूट को बन्द कर दिया।

एक बात मैं अपनी सरकार से अवश्य कहूंगा कि लोन वगैरह की जो व्यवस्था सरकार ने कर रखी है उससे बड़े-बड़े काश्तकार तथा पूंजीपति ही लाभ उठा पाते हैं। मेरा निवेदन है कि जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनको सिंचाई के लिये लोन दिया जाय, पंपिंग सेट्स आदि लगाने के लिये और वह रकम उनको एक मुश्त दी जाय ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके। बी०डी०ओ० उस लोन को तीन दफ़ा में देते हैं जिससे उनको बहुत दौड़ना पड़ता है। इसमें उसको काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर जब वह रकम मिलती है तो समय से नहीं मिल पाती है। अगर वह समय के अन्दर पंपिंग सेट न लगा सकें अथवा कुवां न बनवा सकें तो फिर वह रकम उससे एक मुश्त वसूल कर ली जाय।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने माननीय नेता के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं एक किसान हूं और मैं जानता हूं कि किसान कितनी परेशानी उठाने के बाद फ़सल को तैयार कर पाता है। सर्दियों में जब जाड़ा पड़ता है तब वह पानी में रह कर अपनी फ़सल को तैयार करता है। इसी तरह गर्मियों में वह कड़ी धूप में हल चलाता है। इसके अलावा उसकी फ़सल के कितने शत्रु हैं यह भी मैं बता देना चाहता हूं। जितने भी अधिकारी, पुलिस और पटवारी इत्यादि हैं वे किसान को खाये जाते हैं। इसके अलावा अल्प सिंचाई योजना के संबंध में भूमि बन्धक बैंक से जो पैसा किसान को मिलता है उसमें किसान को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है यह कोई किसान ही अनुभव कर सकता है। किसान होने के नाते मैं जानता हूं। जब अपना ट्यूबवेल लगाने के लिये वह हाइडल विभाग में प्रार्थना-पत्र देता है तो वहां का हर आदमी उसे परेशान करता है और उससे रिश्वत ली जाती है। इस संबंध में कितनी धांधलेबाजी होती है इसकी मिसाल मैं आप को बताऊं। मेरे क्षेत्र में एक मौजा खेबर में १९६७ में दो ट्यूबवेलों की मंजूरी तथा एग्रीमेन्ट हो चुकी थी लेकिन आज दो साल के बाद भी हाइडल विभाग वहां लाइन नहीं खींच पाया है। इस संबंध में मैंने चीफ़ इंजीनियर साहब को एक प्रार्थना-पत्र भी दिया लेकिन आजतक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह बड़े अफ़सोस की बात है कि ऐग्रीमेंट के दो साल बाद भी लाइन नहीं खिंच पायी। ऐसी हालत में किसान कैसे खेती में तरक्की कर सकता है?

बीजों के संबंध में मुझे यह कहना है कि सरकार ने बहुत से बीज निकाले हैं। इनमें से कुछ बीज ऐसे हैं जो सही माने में नहीं आते हैं। मिसाल के लिये संकर मक्का को ही लीजिये, गंगानगर १, २ और ३। इस क्षेत्र में यह मक्का बिल्कुल असफ़ल रही है। फिर भी आज चार साल से मुतवातिर उस क्षेत्र में यह भेजी जाती है। खाद के साथ तो यह दी जाती है, ट्यूबवेल की एप्लीकेशन देने पर भी यह दी जाती है, यानी हर चीज के साथ यह संकर मक्का किसान को दी जाती है। इससे किसान को बड़ा नुकसान होता है।

इसके अलावा खाद का मूल्य हर साल बढ़ा दिया जाता है। किसान की पैदावार उतनी नहीं बढ़ती जितना खाद का मूल्य बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा जो उन्नतिशील बीज दिया जाता है उस पर बीमारी का बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके लिये सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया और जो किया वह मामूली मात्रा में है। इसके अतिरिक्त किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। इसका कारण यह है कि ६ महीने तक किसान कर्जा ले ले कर खाता है। कार्तिक और बैशाख में जब फ़सल आती है तो गल्ले का भाव एक दम कम हो जाता है। उससे किसानों को

[श्री नेतराम सिंह]

उतना पैसा नहीं मिल पाता, जितना कि उनको मिलना चाहिये । फसल पर मटर ५६ रुपया क्विंटल बिकी थी जिसका भाव आजकल ९० रु० प्रति क्विंटल है । इसका मतलब है किसान को रुपये में १० आना भी उसकी फ़सल का मूल्य नहीं मिला । आलू को ले लीजिये । किसानों को उसमें कितना रुपया लगाना पड़ता है, कितना खाद लगाना पड़ता है, कितना बीज लगाना पड़ता है लेकिन फ़सल पर उसको केवल १५ रु० क्विंटल के ही दाम मिले । खाद, बीज का पैसा भी पूरा उसको नहीं मिल पाया ।

दैवी प्रकोपों के कारण काश्तकार की फ़सल नष्ट हो जाती है । ओला, अतिवृष्टि और सूखा से होने वाली किसानों की हानि को रोकने के लिये सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है । उसका सारा बीज और खाद का पैसा भी नष्ट हो जाता है । इसके लिये सरकार को खेती का बीमा चालू करना चाहिये । बस, इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री शिव कुमार (जिला शाहजहांपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने जो कृषि संबंधी अनुदान प्रस्तुत दिया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम सब लोग जानते हैं कि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जिसकी करीब ८० प्रतिशत जनता कृषि पर ही निर्भर करती है । कुछ तथ्यों को हमें अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा । यदि हम चाहते हैं कि हम अपने खेतों में अधिक अन्न उत्पन्न कर सकें और गांवों की खुशहाली को बढ़ा सकें, तो हमको कुछ तथ्यों को हृदयंगम करना ही होगा । बदली हुई परिस्थिति में हमें अपने खेती के तरीकों में तब्दीली लानी ही होगी खेती में यंत्रों का प्रयोग, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई और बिजली के साधनों का प्रयोग हमें करना ही होगा, तभी हम तेजी से उन्नति कर सकते हैं, तभी हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं । इस संबंध में सरकार के समक्ष मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं ।

गन्ना हमारे प्रदेश की मुख्य पैदावार है । उसके बारे में यह बात सही है कि फैक्ट्रियों का जो गन्ने का सुरक्षित क्षेत्र है वह बहुत ज्यादा है । फैक्ट्रियां उचित रीति से और उचित समय में उस सारे गन्ने का उपयोग नहीं कर पातीं हैं, खपा नहीं पातीं । सुरक्षित क्षेत्र के काश्तकार को गन्ना अपने खेत में बहुत दिनों तक खड़ा रखना पड़ता है । इस वर्ष महोली आदि कई स्थानों की मिलें तों जुलाई तक चली हैं । जब बरसात आ गयी और किसानों को अपने खेतों में खरीफ की बुआई करने का समय आगया, उस समय किसानों के सामने अपने गन्ने के खेतों को खाली करने की एक समस्या आ गयी इसलिये इस मामले में मैं समझता हूं कि या तो हम सरकार से यह निवेदन करें कि इसके दो विकल्प ही हो सकते हैं, या तो सुरक्षित क्षेत्र को पुनःनिर्धारित किया जाय और जिन क्षेत्रों का गन्ना वह ले सके, उतना ही रखा जाय और शेष को फ्री एरिया डिकलेयर कर दिया जाय । दूसरा यह हो सकता है कि जो सुरक्षित क्षेत्र है वहां पर भी क्रशर्स को लाइसेंस देने में उदारता बरती जाय यदि ऐसा नहीं होता है तो किसानों की कठिनाइयां दूर नहीं हो सकती हैं ।

दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं जैसा कि इस वर्ष हुआ कि गन्ने का भाव भी बहुत सस्ता हुआ । खास करके आलू का भाव जैसा कि विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने चर्चा की है, उससे मैं भी सहमत हूं कि आलू का भाव १५ रुपये क्विंटल रहा । आप समझ सकते हैं कि बीज सिंचाई और श्रम के बाद जब आलू का यह भाव रहा तो कैसे काश्तकार आलू की खेती करने के लिये प्रोत्साहित होगा । मैं नहीं कहता हूं कि गल्ले की कीमत बढ़ाई जाय लेकिन जिस निस्बत से किसान का गल्ला, गन्ना और गुड़ सस्ता होता है उसी निस्बत से जो सामान काश्तकार को महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है, वह भी सस्ता होना चाहिये । इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देकर संतुलन कायम करने की आवश्यकता है ।

एक बात की तरफ श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता हूं कि बजट में भी और पंचवर्षीय योजना में भी बड़ी बड़ी धनराशियां---सिंचाई, बिजली तथा अन्य चीजों पर रखी गई हैं लेकिन काश्तकार जो देहात में रहते हैं, जिन के पास कोई साधन नहीं है कि वे अपनी पैदावार को मंडी तक पहुंचा सकें, उनके लिये कोई धनराशि नहीं रखी गई है। यह किसानों के सामने बड़ी जटिल समस्या है। मैं समझता हूं कि इंटीरियर एरिया में इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये जिससे काश्तकार अपनी पैदावार को मंडी में आसानी से ले जा सके। बरसात खत्म होने के बाद भी काश्तकार को अपनी उपज मंडी में ले जाने के लिये दो रुपये मन तक किराया देना पड़ता है इसलिये उनका उत्साह शिथिल हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इंटीरियर एरिया में भी सड़कों का उचित प्रबंध होना चाहिये।

मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल जो लोग यह कहते हैं कि २२ वर्ष में कोई उन्नति नहीं हुई है, मैं समझता हूं कि वह बात तथ्यों के विपरीत है। अगर हम देहात को देखे तो हमें काफ़ी बदला हुआ नक्शा दिखाई पड़ रहा है। आज काश्तकार में बड़ा चाव है पम्पिंग सैट्स और यंत्र खरीदने के लिये और वह भी बिना सहायता के या विकास सहायता के। आजकल काश्तकार लोन से नहीं बल्कि नगद पैसे से कृषि यंत्र खरीद रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस समय सब से बड़ी समस्या किसानों के सामने ट्रैक्टरों के खरीदने की है। पम्पिंग सेट्स तथा दूसरे अन्य कृषि यंत्र तो आसानी से मिल जाते हैं लेकिन ट्रैक्टर्स नहीं मिल पाते हैं। जो एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के माध्यम से ट्रैक्टर्स सप्लाई हुये हैं, उनमें मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाय कि उनका वितरण पक्षपात रहित ढंग से नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में ट्रैक्टर पहुंचे हैं और बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत कम पहुंचे हैं, मिसाल के लिये मैं शाहजहांपुर की बात आपके सामने रख रहा हूं। सिर्फ ४ ट्रैक्टर वहां पर मिले हैं जब कि मैं जानता हूं, मैं उन जिलों का नाम नहीं लेना चाहता हूं जहां पर काफी ट्रैक्टर पहुंचे हैं, किसका दोष है किसका नहीं है इस झगड़े में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अपना भय जरूर प्रकट करना चाहता हूं। अगर सरकार ने इस तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया और इस कमी को पूरा नहीं किया तो मुझे डर है कि कुछ जिले पिछड़े रह जायेंगे बमुकाबले दूसरे जिलों के।

मैं अपने जिले की बाबत एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे यहां हजारों एकड़ जमीन पुवायां तहसील में तथा पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील के दक्षिणी हिस्से में जलमग्न रहती है, साल में नौ महीने। यह सिलसिला ज्यादा दिन का नहीं है। बल्कि दस-बारह साल से हुआ है। शारदा कैनाल की हरदोई ब्रांच में दूसरी शाखा मिला दी गयी है और जब से यह शाखा मिलायी गयी है, तेरहवें मील पर यह शाखा मिली है, तब से इतना खारजा पानी निकलता है कि हजारों एकड़ जमीन जलप्लावित रहती है। तीन चार पुल हैं बड़ी नहर में जो साल के दस महीने अवरुद्ध हो जाते हैं। वह इतनी उम्दा जमीन थी कि दो फसलें पैदा होती थीं। अब सिवा धान के और कोई पैदावार नहीं होता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इधर ध्यान दें। चार-पांच साल हुए जब कि मैंने यहां पर शिकायत की थी। यहां से सिंचाई उप मंत्री जी और कुछ इंजीनियर्स मौके पर तशरीफ ले गये थे। उन्होंने देखा और कुछ नाले वगैरह भी सुझाए। कई एक नाले निकाले भी गये लेकिन समस्या सुलझी नहीं। बीस-पच्चीस गांवों के काश्तकार बहुत पीड़ित हैं। इसलिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्त में मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जैराम (जिला प्रतापगढ़)---

मान्यवर, कृषि हमारे उत्तर प्रदेश की आय के लिए प्रमुख पेशा है। इसी पर ७५ प्रतिशत से अधिक लोग आश्रित हैं। १०-१२ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास सीधे खेती नहीं है लेकिन

[श्री जंराम]

खेती का काम करके निर्वाह करते हैं। खेती की तरक्की के लिए इन तीन-चार योजनाओं में सरकार की तरफ से जो भी प्रयास किये गये हैं, उनसे, आज भी हम अन्न के मामलेमें आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी प्रान्तों में पंजाब और हरियाना में अन्न का उत्पादन इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी वहां से अनाज न आये तो हमारे यहां की आवश्यकता पूरी न हो। इन तीन योजनाओं में जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था उसे कभी पूरा नहीं कर पाये। मैं तीन वर्ष के आंकड़े रखना चाहता हूं। १९६६-६७ में १६०.५२ लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया था और उत्पन्न हुआ ११७.७१लाख टन। १९६७-६८ में लक्ष्य था १७८.९९ लाख टन और उपलब्धि हुई १६६.२७ लाख टन। १९६८-६९ में १९३.२९ लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की पुस्तिका दी गयी है उसमें १७६ लाख मीट्रिक टन की सम्भावना की जाती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि हम अपना जितना लक्ष्य निर्धारित करते हैं--सिंचाई के विभिन्न साधनों को देकर, उन्नतशील बीज को देकर, खाद को देकर, उसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं, हमारा लक्ष्य गिरता ही जा रहा है।

आज भी हमारा कृषि उत्पादन सम्पूर्ण साधन उपलब्ध कराने के बावजूद भी बरसा पर निर्भर है। जब मौसम अच्छा रहता है तो कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है और जब मौसम अच्छा नहीं रहता, समय से पानी नहीं बरसा तो कृषि के उत्पादन में काफी गिरावट हो जाती है। इसके लिए आप आंकड़ों को देखे १९५४-५५ में १३२.९ लाख मैट्रिक टन अन्नोत्पादन हुआ, १९५५-५६ में जब कि बरसा कम हुई उत्पादन १२०.५८ लाख मैट्रिक टन रहा, १९५७-५८ में बरसा समय पर नहीं हुई तो हमारा उत्पादन ११३.६२ लाख मैट्रिक टन रहा यानी हमारा अन्नोत्पादन घटा। इसी प्रकार आगे आप देखें १९६०-६१ में अच्छी बरसात रही और उत्पादन हमारा १४४.८६ लाख मैट्रिक टन हुआ, लेकिन इसके मुकाबले में ६३-६४ मेंजब सूखा पड़ा और अच्छी बरसात नहीं हुई ११७.९५ लाख मैट्रिक टन उत्पादन रह गया, १९६४-६५ में अच्छा मौसम रहा, अच्छी बरसात रही, समय से पानी बरसा, सिंचाई की कोई कठिनाई नहीं पड़ी तो हमारा उत्पादन १५२.४७ लाख मैट्रिक टन हो गया और १९६५-६६ में भी अनुकूल मौसम रहने के कारण अच्छी फसल रही। १९६७-६८ में उत्पादन बढ़कर १६६.२७ लाख मैट्रिक टन हो गया, इसका कारण यह था कि संविद की उस समय सरकार थी, उसने खेती में अन्न उत्पादन के लिए विशेष ध्यान दिया और ज्यादा अपनी इस पर शक्ति लगाई। तो इससे यह नतीजा निकलता है कि आज हम जितने साधन दे रहें हैं उन सब के बावजूद भी हम खेती के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हुए।

नम्बर दो आज भी हम आसमान की कृपा पर आश्रित हैं। हम आपका ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहते हैं--खेती के उत्पादन के लिए जो सिंचाई के लिए हम महसूल लेते हैं अथवा जो हम उर्वरक जिस कीमत पर देते हैं या उन्नतशील बीज का जितना दाम लेते हैं उन सबको लगाने के बाद किसान को क्या बचता है? सिंचाई के मामले में १४ रुपया प्रति एकड़ नहरों का रेट है और लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट हैं, उनमें २० रु० प्रति एकड़ की दर से रेट है। खाद के दाम हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़ते जा रहें हैं। बीज के दाम साधारणतया बाजार के दाम से ज्यादा महंगे रहते हैं। खेती में जो हम लागत लगाते हैं तो उसका मुनाफा क्या मिलता है यह आप देखें। १०० रुपया लगाने पर उसको ७५ रुपया ही मिलता है। इसके विपरीत किसी उद्योगपति को देखें वे १०० रु० लगाकर ३ गुना और चार गुना मुनाफा कमा लेते हैं। यह दो तरह की नीति क्यों है? किसानों को जिनका मुख्य पेशा खेती है, अपने इस व्यवसाय में कोई आशा और कोई लाभ प्रतीत नहीं होता है, इसलिये उनको बड़ी निराशा होती है। आप देखेंगे कि जब किसान की फसल तैयार होती है खास तौर से बैसाख के महीने में जब खलियान से अन्न बाजार में आता है तो अनाज के दाम गिर जाते हैं। किसान को सरकार को लगान देने के लिये और तरह-तरह के लोन वापस देने के लिये सस्ते भाव पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगस्त का महीना आप सोचिये किसान के खुद खरीदने का मौसम होता

हैं तो वही गल्ला बाजार में आ कर मंहगा बिकता है। इसलिये आपको खेती की उन्नति के लिये एक दाम नीति निर्धारित करनी होगी। जब तक किसान को अपनी उपज की अच्छी कीमत नही मिलेगी तब तक खेती के लिये उसमें कोई उत्साह नहीं रहेगा। आप जब तक व्यवसाय के तरीके से इसको ठीक नहीं करेंगे उत्पादन अधिक नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इस संबंध में एक नीति निर्धारित होनी चाहिये। उदाहरण के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि बीस फीसदी से ज्यादा अनाज के दाम न तो बढ़ें और न २० फीसदी से ज्यादा घटें। इस तरह की नीति होने पर ही किसान को कुछ लाभ होगा।

अब मैं आपका ध्यान इस विभाग के बजट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस विभाग के द्वारा जो मांग की गई है और इस विभाग के खर्चे के जो आंकड़े हैं उसमें पचास फीसदी से ज्यादा तो नौकरों की तनख्वाह पर मोटे तौर पर खर्च करते हैं और बाकी चालीस या पचास फीसदी खाद पर, औजारों पर या जितने कार्यक्रम हैं उन पर खर्च होता है। इस तरह से मुश्किल से तीस या चालीस फीसदी गांवों में पहुंचता है। यह जो नौकर शाही है वह किसानों के साथ उत्पादन बढ़ाने में सहयोग नहीं दे रही है लगन के साथ। अभी मैं अपने जिले प्रतापगढ़ गया था वहां पर कृषि दफतर के सामने एक डेढ़ लाख की कीमत की उर्वरक बरसात के मौसम में खुले में पड़ी हुई खराब हो रही है। एक डेढ़ लाख का नुकसान सरकार का डिस्ट्रक्ट प्लानिंग आफिसर और कृषि अधिकारी के दफतर के सामने उर्वरक पड़े रहने से हो रहा है। यह इस विभाग की निष्क्रियता रही है।

श्रीमन्, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे पांच मिनट का समय और दे दें।

बीज के बारे में भी यही स्थिति है। शंकर मक्का बोने का समय जून का अन्तिम सप्ताह होता है और अगर बहुत लेट हुये तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में शंकर मक्का बोयी जानी चाहिये तथा उसके बाद शंकर मक्का नहीं हो सकती है। आपका ग्राम सेवक गांवों में अगस्त के महीने में शंकर मक्का का बीज ले कर बुआने गया है। आप कहते हैं कि इतना बीज शंकर मक्का का हम देते हैं सम्भव है किसानों के पास समय से न पहुंचता हो। लेकिन यह बहुत बड़ी खामी है। इसके अलावा जितना बीज आप देते हैं उसमें यह क्या गारन्टी है कि सब नम्बर एक का बीज है। ऐसी बात नहीं है कि सब नम्बर एक का बीज हो। आपके नौकर द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का बीज नम्बर एक के बीज के साथ मिला कर देते हैं। तो इस प्रकार जो बीज आप देते हैं उससे कैसे उत्पादन बढ़ेगा? मैं यह निवेदन करूंगा कि जितना रुपया आप नौकरों पर खर्च करते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये मुझे शंका होती है कि चाहे वह खाद देने के लिये या बीज देने के लिये या किसानों को सही सलाह देने के लिये, बीज बोने और खेत तैयार करने के लिये तो इनमें मैं यह समझता हूं कि एक ग्राम सेवक को छोड़ कर यह सब के सब बेकार बैठे रहते हैं, इनकी क्या आवश्यकता है? चाहे वह ब्लाक के कर्मचारी हों या कृषि के दफतर का, वह सब के सब बेकार बैठे रहते हैं। वह कृषि उत्पादन बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। सिर्फ एक ग्राम सेवक को छोड़ कर हम बाकी कर्मचारियों की कोई आवश्यकता नही समझते हैं। इन सब को हटा कर जो पैसा इन से बचे उसको हम किसानों के हित के लिये कहीं और खर्च कर सकते हैं।

श्रीमन्, दो, तीन बातों की ओर केवल दो मिनट में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्रीमन्, मेरा प्रतापगढ़ का जिला ऐसा जिला है जहां पर आलू रखने के लिये सरकारी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। आलू वहां से फैजाबाद, लखनऊ या कानपुर ले जाते हैं, फलस्वरूप ज्यादा दाम देना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि पशुपालन विभाग के अन्तर्गत अच्छे-अच्छे सांड़ तो रखे गये हैं लेकिन उनके खाने के लिए चारे का प्रबन्ध नहीं है। मैं पट्टी, देवसरा और कुंडा ब्लाक की घटना कहता हूं कि सांड़ को मार दिया गया और उसको देखने वाला

[श्री जैराम]

कोई नहीं है, पुलिस ने भी कोई मुकदमा नहीं चलाया । खेती के उत्पादन में खेती की गहरी जोताई निहायत जरूरी है । मेरा सुझाव है कि हर न्याय पंचायत के पीछे एक सरकारी ट्रैक्टर का आप बन्दोबस्त कर दें क्योंकि आपने सिंचाई के लिए इन्तजाम किया, उन्नत बीज और उर्वरक दिये लेकिन गहरी जोताई के लिए आपकी तरफ से क्या व्यवस्था है । हर छोटा किसान ट्रैक्टर नहीं रख सकता । तो मैं निवेदन करूंगा कि हर गांव पंचायत के पीछे एक सरकारी ट्रैक्टर का प्रबन्ध कर दें तो खेती की गहरी जुताई होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी ।

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रस्तुत अनुदान का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह सर्वसम्मत बात है कि इस प्रदेश में कृषि सबसे महत्वपूर्ण चीज है । यह कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि पर ही निर्भर रहता है । इस प्रदेश के ७५ प्रतिशत आदमी कृषि में काम करते हैं और इस सूबे की आमदनी में उसका सबसे बड़ा भाग है और हम खेती की तरक्की कर लें तो हमारे प्रदेश की तरक्की हो सकती है । बिना खेती की तरक्की के इस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती । खेती की तरक्की के लिए बहुत सी बातें हैं।

सबसे पहले तो भूमिव्यवस्था की बात है । हमने बहुत कोशिश की कि भूमिव्यवस्था ठीक हो जाय लेकिन आज तक वह ठीक नहीं हुई । इसी प्रदेश में वह किसान भी हैं जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है और वह भी हैं जिनके पास बावजूद सीलिंग के १०-१० हजार एकड़ जमीन है । यह असमानता कैसे कम हो, सीलिंग की गयी लेकिन लोगों ने अपने भाई, भतीजे, रिश्तेदार और नौकरों के नाम से खेती कर दी और वह कानून एक तरह से रद्द हो गया ।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय मान्यवर, सदन में केवल ३५ माननीय सदस्य हैं जबकि कोरम ४० होना चाहिये ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री होतीलाल अग्रवाल—

मैं हमेशा से इस बार को कहता आया हूं कि जिनके पास जमीन ज्यादा होती है इसलिये प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं उनकी भूमि में पैदावार कम होगी और जिनकी जोत एक एकड़ से कम होगी वहां भी पैदावार कम होगी । चूंकि हमारा प्रदेश बहुत लम्बा-चौड़ा है इसलिये इसमें बहुत-सी दिक्कतें हैं यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारी खेती की पैदावार कम है । इसके अलावा बहुत-सी भूमि ऐसी है जो ऊसर है, बंजर है, पानी भरा रहता है और उस भूमि को बहुत आसानी से रिक्लेम किया जा सकता है । अगर रिक्लेम करके उसे उन लोगों को दे दिया जाय जिनकी जोत एक एकड़ से कम है तो मैं समझता हूं कि गल्ले के उत्पादन में और दूसरी चीजों के उत्पादन में अवश्य तरक्की होगी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । बहुत सी जगह ऐसी हैं जैसा कि एक भाई ने कहा था कि उनकी दो तहसीलों में बराबर पानी भरा रहता है उसको निकालने की कोशिश की गई लेकिन वह निकला नहीं । सही बात है मेरे जिले में भी झील हैं और तालाब हैं उनमें पानी भरा रहता है और वह पानी खेती की जमीन को दूर तक घेर लेता है तो उसमें खेती नहीं हो पाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक खेती के लिये भूमि की व्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक काम नहीं चलेगा । सवाल यह है कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन निकाली जाय । वह लोग कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको कानून का उल्लंघन करने की कोई सजा नहीं मिलती है । अगर उनको सजा मिल जाय तो फिर वह ऐसा न करें। वर्तमान

व्यवस्था में हमारे प्रांत में यह हुआ कि जितने भी प्रधान थे उनमें से बहुधा लोगों ने बहुत-सी जमीन अपने घर वालों को या रिश्तेदारों को पट्टे पर उठा दीं। सरकार की तरफ से कई बार इस बात के लिए आगाह किया गया और उनके साथ मुकदमे भी चलाये गये लेकिन फिर भी अभी तक वह पूरा नहीं हुआ। उन लोगों से जमीन को निकालना चाहिये और निकाल कर भूमिहीन या हरिजनों को या उन लोगों को दी जाय जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है। जब तक भूमि की व्यवस्था ठीक रूप से नहीं होगी खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती है।

भूमि की व्यवस्था के बाद सवाल आता है सिंचाई की व्यवस्था का। हमारे प्रांत में जो पहले आजादी तक सिंचाई की व्यवस्था थी उससे थोड़े ही हम आगे बढ़े हैं। उस समय २९ फीसदी जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध था। आज ३६ फीसदी का है। ज्यादा नहीं हो पाया है। इसी कारण से खेती की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई है। सिंचाई के साधन मिल जायं तो खेती की पैदावार दुगुनी हो जाती है लेकिन सिंचाई का इन्तजाम बहुत कम है। जो नहरें हैं या बड़े साधन हैं उनमें दिक्कत यह है कि उनका कमांड एरिया बहुत बड़ा है। इंजीनियर लोगों के कहने पर कमांड एरिया बराबर बढ़ाते रहे। अब जिस नहर पर जितना पानी है अगर वह दुगुना पानी हो जाय तब वह उस क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कमांड एरिया में खेत हैं उनको भी बहुत कम पानी मिलता है, इसलिये आगे कमांड एरिया को नहीं बढ़ाना चाहिये। जब कमांड एरिया को अच्छी तरह से पानी मिल जाय तभी आगे बढ़ाना चाहिये इस बात पर निगाह रखने की जरूरत है। सिंचाई का जब कमांड एरिया ज्यादा होता है तो झगड़ा हो जाता है। हरएक आदमी चाहता है कि उनके खेत को पहले पानी मिले। तो इससे सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसका इन्तजाम ठीक ठीक से होना चाहिये। जो हमारे पास सिंचाई के साधन हैं उनमें दिक्कत यह है कि छोटे किसान को वह पानी नहीं मिल पाता है। छोटे किसान को बड़ा किसान परेशान करता है, बड़े किसान को पानी मिल जाता है और छोटे को पानी नहीं मिल पाता है। यह सभी लोग जानते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि छोटे किसानों के खेतों में पैदावार बहुत कम रहती है और बड़े किसान किसी तरह से काम चला लेते हैं।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत से साधन हैं। जैसे ट्यूबवैल्स लोग लगाते हैं लेकिन इनकी हालत भी वैसे ही है जैसे सरकारी ट्यूबवैलों की। निजी ट्यूबवैल जो लगाते हैं वे दूसरों को तभी पानी देते हैं जब उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है और उनके स्वयं के खेतों की सिंचाई पूरी हो जाती है। इस तरह से छोटे किसानों को निजी ट्यूबवैलों से कोई फायदा नहीं मिलता है। वे अपने ट्यूबवैल भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि हर गांव में एक-एक ट्यूबवैल वहां की पंचायतों की तरफ से लगें जिससे कि छोटे किसानों को भी पानी मिल सके। रहा कुवां और रहट तो छोटा किसान तो नहीं लेकिन मध्यम श्रेणी का किसान लगा सकता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब तक किसी न किसी तरह से खेती के लिए पानी का इन्तजाम नहीं होता तब तक चाहे गल्ले का उत्पादन हो, गन्ने का उत्पादन हो या किसी भी चीज का उत्पादन हो वह नहीं बढ़ सकता। अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो सिंचाई का पूरी तरह से इन्तजाम करना होगा। यह सही है कि अब की सरकार ने दूसरा रवैया अपनाया है। अब की योजना में यह है कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई का इन्तजाम किया जाय। मुझे आशा है कि सिंचाई का इन्तजाम बढ़ेगा। उसमें दो बातें हैं--एक तो यह कि किसान जान गया है कि बिना पानी के तरक्की नहीं होगी इसलिये किसान रहट लगाने के लिए, पक्के कुवें बनाने के लिए अथवा निजी ट्यूबवेल लगाने के लिये तैयार है। वह अपने पास से रुपया लगाना चाहता है और अगर सरकार सहायता दे तो जरूर लगायेगा। इसलिये मेरा जोर इस बात पर है कि सिंचाई का पूरा-पूरा इन्तजाम हो।

[श्री होतीलाल अग्रवाल]

जहां तक फर्टीलाइजर की बात है तो इसमें शक नहीं है कि फर्टीलाइजर दिये जा रहे हैं लेकिन वह उन्हीं आदमियों को मिलता है जो चालाक होते हैं, छोटे आदमियों को नहीं मिल पाता। इसके डिस्ट्रीव्यूशन में बड़ा अन्धेर है। इसी तरह से बीज भंडारों की भी हालत खराब है। बीज भंडारों में दूसरी चीजें मिला दी जाती हैं। छोटा किसान जाता है तो उसको लौटा दिया जाता है। चार चार बार लौटा दिया जाता है और उसको न तो बीज ही और न फर्टीलाइजर मिल पाता है। बीज बड़े महत्व की चीज है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि गेहूं के उन्नत बीजों से गहूं के क्षेत्र में दुगुनी-तिगुनी पैदावार हो गयी और इसी तरह से मटर की भी बहुत पैदावार बढ़ी है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन बीज भंडारों का अच्छा प्रबन्ध किया जाय। जब तक अच्छा प्रबन्ध नहीं किया जायगा, ईमानदार आदमी नहीं रखे जायेंगे तब तक उर्वरक और बीजों का डिस्ट्रीव्यूशन ठीक नहीं होगा। जब तक इन चीजों का वितरण ठीक नहीं होगा तब तक कृषि के क्षेत्र में उन्नति नहीं होगी।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवराजसिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं इसलिये कि माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान सदन में रखा है वह समाज के जन सामान्य के हित में नहीं है। वह केवल एक वर्गी है। इस प्रस्ताव से श्रीमन्, समाज के कुछ ही लोग फायदा उठा सकते हैं जो साधन संपन्न हैं, बड़े हैं। जिनक पास खेत हैं, और तरह के साधन हैं वही लोग, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और बाकी लोग जो कि खेतों में रातदिन काम करते हैं, लेकिन खेत उनके पास नहीं हैं, गल्ला पैदा करते हैं, उद्योग के लिए कच्चा माल पैदा करते हैं ऐसे लोगों के विकास के लिए, तरक्की के लिए माननीय मंत्री जी की तरफ़ से कोई चर्चा नहीं की गयी है। उन्होंने खुद बताया कि ८७ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जोकि भूमि से संबंध रखते हैं और उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, खेतों में काम करके गल्ला पैदा करते हैं। उनका विकास आजतक नहीं हो सका। आज तक उनके लिए जो विकसित हैं, समाज पर हावी हैं यह अनुदान उन्हीं के विकास के लिये है। शुरू से आज तक जो भी सरकार की योजना चलाई गयी खेती के विकास के लिए वह हमेशा बड़े भू-स्वामियों के विकास के लिए ही चलाई गयीं। बड़े बड़े फ़ार्मों का गल्ला बढ़ा करके देश और प्रदेश को गल्ले के मामले में आत्मनिर्भर किया जा सकता है, दूकान के लिए कच्चा माल दिया जा सकता है यही विश्वास करके आजतक योजनायें चलीं और हर योजना से उन्होंने ही फ़ायदा उठाया जिनके पास १० एकड़ से अधिक भूमि है। बाकी ९० प्रतिशत ऐसे हैं छोटे-छोटे किसान जिनको सरकारी योजना से कोई लाभ नहीं पहुंचा। उनकी हैसियत नहीं है कि वे ट्रैक्टर खरीद सकें, उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि निजी ट्यूबवेल लगवा सकें। बहुत से बेचारे ऐसे हैं कि सरकार की तरफ़ से जो कुएं बनवाने की सुविधायें दी गयी हैं उनका लाभ भी नहीं उठा सकते। वे मजबूर हैं, जो शरतें लगा दी गयी हैं वह ऐसी हैं कि वह कुआं भी नहीं बनवा सकते ताकि अपनी बीघे दो बीघे खेती की सिंचाई कर सकें। एक तरफ़ तो इन योजनाओं से गरीब किसान तबाह होता जा रहा है, उसकी खेती परती होती जा रही है और ६६-६७ के सूखा के समय में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे गरीब किसान बिलकुल भूमिहीन हो गये, मजबूर होकर अपने खेत को उन्हें बेचना पड़ा, रेहन रखना पड़ा और दूसरी तरफ़ जो बड़े लोग हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाकर निजी ट्यूबवेल लगवा लिये और वह ऊंची दर पर उन गरीबों को जिनके पास साधन नहीं हैं सिंचाई के लिए उनको पानी देते हैं। वे बड़े-बड़े गल्ला व्यापारियों से मिलकर गल्ला जमा करके, गल्ले की चोरबाजारी करते हैं और महंगाई से फ़ायदा उठाते हैं। तो यह देखने में आता है कि इस योजना से बड़े-बड़े भू-स्वामी आगे बढ़ते जा रहे हैं और छोटे तबाह होते जा रहे हैं। अगर ऐसी ही योजना रही तो गल्ले का जो संकट है, जनसाधारण के विकास को देखते हुए वह दूर नहीं हो सकता और न प्रदेश का विकास ही हो सकता है। जब तक उन

गरीब लोगों के लिए कोई योजना नहीं बनायी जायगी तब तक गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ सकेगी । जो गल्ले की पैदावार करता है, दुर्भाग्य है कि वह खेत का मालिक नहीं होता है । खेत का मालिक वह है जो खेत में पैर नहा रखता है वह पैदावार कैसे बढ़ा सकता है । और जब वह गरीब जो गल्ला पैदा करता है, जो सचमुच मेहनत करता है, पैदावार को बढ़ाता है, अपना खून खेत में जलाता है, वह आज मजबूर है और वह मांग करता है सरकार से कि खेत में मैं मेहनत करता हूं इसलिये जमीन का मालिक मुझे बनाया जाय, लेकिन सरकार आज तक उसकी बात नहीं सुन सकी । वह गरीब जब मजबूर होकर बेकार जमीन पर कब्जा करते हैं, उस जमीन पर कब्जा करते हैं जो जंगल की है, तराई की है, जिस पर आज तक गल्ला पैदा नहीं हो सका है लेकिन पैदा किया जा सकता है, जब वह उन जमीनों को लेकर गल्ला पैदा करने की बात करते हैं तो सरकार की तरफ़ से कहा जाता ह कि यह तो नक्सलबाड़ी वाले हैं । जिनको आज जरूरत है खेत की, जो महसूस करते हैं कि गल्ला पैदा कर सकते हैं, जब वह आगे बढ़ते हैं तो सरकार नक्सलबाड़ी का नाम लेकर उनका दमन करती है । श्रीमन्, वह नक्सलबाड़ी वाले नहीं हैं, वे जरूरतमन्द लोग हैं, मजबूर होकर ऐसा करते हैं । (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, ५ मिनट और दे दीजिये ।

श्रीमन्, नक्सलबाड़ी का नाम मैंने इसलिये लिया कि शाहजहांपुर मिले में वे किसान जो २१-२१ साल से बसे हैं, जिन्होंने जंगलों को साफ़ किया है और ऐस जंगलों को साफ़ किया है जिनमें कोई पैर नहीं रखता था, उस पर बसे हैं और खेती करते हैं, उनको आज उजाड़ा जा रहा है । कल माननीय मंत्री जी को अध्यक्ष जी ने आदेश दिया कि वक्तव्य दें तो कहा गया कि वहां पर नक्सलबाड़ी वाले उपद्रव कर रहे हैं । तो श्रीमन्, जो जरूरतमन्द हैं, जो गरीब हैं, जो गल्ला पैदा करते हैं लेकिन भूखों मरते हैं, अगर वह अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहें और खेतों में काम करना चाहे और उनको अगर नक्सलबाड़ी वाले कह कर दमन कर दिया जाय, तो उचित नहीं होगा । अगर यही नीति रहेगी तो न प्रदेश में और न देश में गल्ले का संकट दूर हो सकता है और न कोई विकास हो सकता है । अगर माननीय मंत्री जी कोई ऐसा प्रस्ताव लाये होते जिससे जनसाधारण का विकास हो सकता, जिनके पास साधन नहीं हैं उनका विकास हो सकता तो इससे ड्योढ़ी धनराशि का भी मैं समर्थन कर सकता था लेकिन इस प्रस्ताव में जो कुछ उन्होंने कहा है उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह तो एकवर्गीय है, साधन-सम्पन्न लोगों के लिए है, गरीबों और भूमिहीनों के लिए नहीं है, इसलिये ऐसे प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं ।

*श्री राम लखन (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आज मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह कृषि का अनुदान है । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है । यहां की ८७ प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों की भलाई के लिए जो कार्य होने चाहिये थे अभी तक वह कार्य नहीं हुए हैं । किसानों की भलाई के नाम पर जो कार्य हुए हैं उसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिला है जो साधन-सम्पन्न थे, जिनके पास बड़ी-बड़ी खेती थी । आज हमारे देश में और प्रदेश में छोटे उद्योग हो या बड़े हो उनके, विकास के लिए सरकार तरह तरह का सुविधायें प्रदान करती हैं, लेकिन जो छोटे काश्त-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम लखन]

वाले हैं जिनकी संख्या ६०-७० प्रतिशत है। बड़े काश्त वाले तो थोड़े से हैं १०,१५ प्रतिशत। छोटी काश्त वालों को कोई तरजीह इस सरकार से नहीं मिली है। जो सुविधायें छोटे किसानों के नाम पर दी गई वह बड़े किसानों को मिली।

हमारे विरोधी भाई नारा बुलन्द करते हैं कि पैदावार नहीं बढ़ी जरा अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि हमारे किसानों की पैदावार बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? आप कहीं भी जाइये जहां पानी की समुचित व्यवस्था रही है, खाद की व्यवस्था हुई है और बीज की व्यवस्था हुई है वहां पैदावार बढ़ा है लेकिन हमारी उपज के वितरण की प्रणाली दूषित है इसलिये न तो उस पैदावार से हमारे किसान लाभ उठा पाते हैं और न उसको उससे फ़ायदा हुआ है। अधिक पैदावार करके भी हम गल्ले के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम तो माननीय मंत्री महोदय से कहेंगे कि जो गल्ला बाहर से मंगाकर हमें देते हैं आप भारत सरकार से कहें कि वह बन्द कर दिया जाय और उसका पैसा छोटे काश्तकारों को सुविधायें देने में खर्च करें। आज हमारे छोटे काश्तकारों को न तो समय से पानी मिल पाता है, न खाद मिल पाती है और न बीज मिल पाता है। जब गोदाम में खाद आती है तो बड़े बड़े जो काश्तकार हैं वह १० हजार और १५ हजार की खाद खरीद लेते हैं और इसी प्रकार बीज भी खरीद लेते हैं और जब छोटा काश्तकार खाद और बीज के लिए जाता है तो उसको गोदाम खाली मिलती है। वही छोटा किसान बड़े बड़े किसानों से सवाई और ड्योढा पर बीज लेता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो छोटे किसान हैं उनको खाद मुफ्त मिले, बीज मुफ्त मिले जिस प्रकार उद्योग-धंधे के बढ़ावे के लिए आप सुविधायें देते हैं उनको कल देते हैं उनको टैक्सेज में छूट देते हैं और तरह-तरह की दूसरी सुविधायें देते हैं वैसे ही छोटे किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए सुविधायें दें। मान्यवर महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि छोटे किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी प्रकार सुविधा नहीं मिल पाई। आज उनके पास साधन नहीं है और वह अपनी व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते हैं। अगर उन छोटे किसानों को मौका दिया जाय तो यह पैदावार ज्यादा बढ़ा सकते हैं और जो खाद्य समस्या है इसको हल कर सकते हैं। जब तक छोटे किसान साधन से बंचित रहेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है।

माननीय मंत्री महोदय ने अपने बजट में उल्लेख किया है कि इलाहाबाद, बांदा तथा मिर्जापुर में सूखा ग्रस्त इलाकों में कंटूर बंधियां बनाई जायंगी लेकिन बनारस जिले के नौगढ़ क्षेत्र म जो सूखे से प्रभावित रहा है उसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र की तरफ़ जो सूखे से पीड़ित रहा है ध्यान देने की कृपा करें। कृषि विभाग से जो सहायता मिलती है वह भी हमारे यहां नहीं पहुंचती है। अभी मई में पेय जल की व्यवस्था क लिए कृषि आयुक्त के यहां से आदेश जारी हुआ था और लाखों रुपया बांटा गया। लेकिन उसी आदेश पत्र में आयुक्त ने लिख दिया कि यह रुपया हरिजनों को पीने के पानी के लिये नहीं दिया जा सकता क्योंकि हरिजन विभाग से उनको इस कार्य के लिए अलग से अनुदान मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि वे, जिस अधिकारी ने ऐसे आदेश दिये हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें क्योंकि उसने पीने के पानी जैसी चीज में यह भेदभाव दिखाया है। पीने के पानी की समस्या सबसे अहम समस्या है। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, इत्तफाक से कृषि मंत्री जो इस समय नहीं है, आशा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे सुझावों को उन तक पहुंचा देंगे। मान्यवर, अब तक ३ प्लान्स पूरी हो चुकी हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और चौथी प्लान भी जो लगभग ९५० करोड़ की है बन कर पूरी हो चुकी है। हर वर्ष करोड़ों रुपया कृषि पर खर्च करने के लिए इसी सदन द्वारा पास कराया जाता है। इस सब के बावजूद हम जिस स्टेज पर पहुंचे हैं यह देखने की जरूरत है। सबसे पहले मैं गेहूं के आंकड़े आपके सामने पेश करूंगा। उत्तर प्रदेश में १९६७-६८ में एवरेज ईल्ड पर हैक्टर ११.८६ क्वींटल थी, जब कि गुजरात में यह १२.६७, हरियाना में १७.३४ थी। इसके अलावा आप कैश क्राप्स को देखिये। आलू की उत्तर प्रदेश में पर हैक्टर पैदावार उसी सन् में ८९.९० क्वींटल थी, गुजरात में १९६.४४, और हरियाना में १४८.९७ थी। इसमें भी हम पिछड़ गये। शुगरकेन और गुड़ में देखिये उत्तर प्रदेश में पर हैक्टर पैदावार ४०.२७ क्वींटल, आंध्र प्रदेश में ८५.९९, गुजरात में ५०.५१, मद्रास में ८६.५९ थी।

मान्यवर, कहने के लिए हमारे यहां बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो एक्सपेरीमेंट करके नये नये बीजों की खोज करती है। मान्यवर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो शुगरकेन की पैदावार का हमारे यहां औसत है वह बावजूद हजारों रुपया खर्च करने के और तमाम कोशिशों के नहीं बढ़ा है। यह यूनीवर्सिटी शकर का एवरेज बढ़ाने में सफल नहीं हो पायी है। हम समझते थे कि यह यूनिवर्सिटी नये नये बीजों की जो खोज करेगी वह आसानी से किसानों तक पहुंच सकेगा, लेकिन आज हो क्या रहा है। जो भी नया बीज वहां से निकलता है, वह पहले बड़े-बड़े फारमर्स के पास चला जाता है और फिर उनके द्वारा ब्लैक में वह किसानों के साथ बेचा जाता है। आम तौर से किसानों को जो बीज मिलता है वह यूनिवर्सिटी में २ साल पहले ही तैयार हो जाता है। वह बड़े-बड़े फारमर्स के हाथों में चला जाता है और उनके द्वारा वह १५-२० और ३५-३५ रुपये किलो तक के भाव से किसानों के हाथ बेचा जाता है। किसान जब जाता है तो उससे कहा जाता है कि एक किलो ले लो, दो किलो ले लो, अब बताइये एक-दो किलों में किसान का क्या भला होगा। आज यह यूनिवर्सिटी सेंटर बन गयी है ब्लैक मार्केटिंग का।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में, मेरे सवाल के उत्तर में बताया गया था। इस समय १२ हजार ट्रैक्टर्स के लिए दरख्वास्तें एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के पास आयी हैं। और अब तक कुल आप १,१८२ ट्रैक्टर्स उन लोगों को दे पाये हैं। इससे साफ पता चलता है कि आज उत्तर प्रदेश का किसान ट्रैक्टर चाहता है लेकिन आप १२ हजार की मांग के एगेंस्ट कुल १,१८२ ही दे सके। और वे ट्रैक्टर्स भी ऐसे हैं जिनकी मारकेट में कोई खास वैल्यू नहीं है। डी०टी० १४, रशियन ट्रैक्टर वगैरह आप उनको दिये हैं जब कि वे फारग्यूशन ट्रैक्टर चाहते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का है। जब कोई किसान उसे बुक कराने जाता है तो डीलर कहता है कि ८ साल के बाद आपका नम्बर आयेगा। अब गौर कीजिये कि किसान चाहता है कि ट्रैक्टर मिले और यह भी बतला दूं कि जितने किसान ट्रैक्टर्स लेते हैं उनमें ९५ परसेंट किसान किसी कामर्शियल बैंक से लोन लेकर ही ट्रैक्टर लेते हैं और उस लोन का इंटरेस्ट साढ़े ८ परसेंट देते हैं।

आप किसान से चाहते हैं कि वह पैदावार बढ़ावें और वह आपसे इसके लिए मदद चाहता है तो आप उसको साढ़े ८ परसेंट सूद पर लोन देते हैं। साथ ही आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक जिसका ताल्लुक किसानों से ही है, वह उनकी हैसियत को भूमिधरी लगान का दो सौ गुना मानता है जब कि दूसरे कामर्शियल बैंक उनकी हैसियत चार सौ गुना मान कर लोन देते हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी हैसियत को चार सौ गुना मान कर ही उन्हें लोन मिलना चाहिये। जो लोन दिया जाता है उसके लिए सूद तो साढ़े ८ परसेंट लेते हैं लेकिन जब किसान ट्रैक्टर के लिए कहता है तो उसे एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के जरिये लेने की बात कहते हैं और वहां उसे वेटिंग लिस्ट में रखने की बात हो जाती है। १२ हजार की मांग होने पर

[श्री रियासत हुसैन]

आप ११ सौ ही ट्रैक्टर्स दे दिये हैं और जब वह प्राइवेटली फारग्यूशन ट्रैक्टर लेने की कोशिश करता है तो डीलर द्वारा उसे ८ साल तक इन्तजार करने को कहा जाता है। तो इस तरफ जब ध्यान दिया जायगा कि उसे समय से ट्रैक्टर्स मिल जाया करे तभी आपकी पैदावार बढ़ सकेगी। बदकिस्मती यह है कि जो चीज किसान चाहता है और जो चीज उसे अच्छी लगती है वह उसको नहीं मिल पाती। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि आपके प्रदेश का किसान प्रैक्टिकल किसान है। आपके एक दो साल पढ़ाने से वह पढ़ने वाला नहीं है। जब वह अपने खेत के अन्दर तजुर्बा कर लेता है और उसे अन्दाजा होता है कि इस चीज में फायदा है तभी वह उस काम को करने के लिए तैयार होता है। आपने जब कैमिकल फर्टिलाइजर देना शुरू किया था तो किसानों को मजबूर करते थे कि बीज के साथ वह खाद ले यूरिया ले, अमोनियम सल्फेट ले और आज जब किसान अपने आप मांगता है कि मुझे यूरिया चाहिये, अमोनियम सल्फेट चाहिये तो सरकार ने उसकी कीमत ही बढ़ा दी। और आज किसान को वह खाद नहीं मिलता जिसका साल दो साल तक तजुर्बा करने के बाद उसने समझा कि खाद और पानी का इस्तेमाल करने से पैदावार बढ़ सकती है तो आज उसको वह चीज आसानी से नहीं मिलती जो कि आसानी से मिलनी चाहिये।

जहां तक एग्रीकल्चरल इनकम के बढ़ने की बात है, १९६०-६१ में एग्रीकल्चर का टोटल इनकम ६०.९ परसेंट था जो ६७-६८ में घट कर ५६.७, परसेंट ही रह गया। २० साल की आजादी के बाद भी एक लाख ४५ हजार हैक्टर जमीन कल्टिवेबिल वेस्ट लैंड के रूप में पड़ी है। किसान उसे अपने आप तोड़ नहीं सकता, उसे तोड़ने के लिए उसे ट्रैक्टर चाहिये, उसके लिए कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज बननी चाहिये लेकिन इस काम के लिए आप किसानों को कोई इंसेंटिव नहीं देते। बदकिस्मती यह है कि एक तरफ आपका फीगर बतलाता है कि १९५०-५१ में जहां २३४३ ट्यूबवेल्स थे वहां १९६७-६८ में ९,०१४ ट्यूबवेल्स हो गये। यानी ट्यूबवेल्स तो चौगना बढ़ गये लेकिन आबपाशी केवल सवाई ही बढ़ी। ट्यूबवेल इर्रीगेशन का ही एक पार्ट है लेकिन आज इर्रीगेशन और एग्रीकल्चर विभाग अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से कोआर्डिनेटेड नहीं हैं। इसके लिए कोई ऐसा जरिया होना चाहिये जिससे दोनों एक साथ जुड़ सकें।

मान्यवर, एक डिपार्टमेंट है जिसको प्लांट प्रोटैक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। मैं कहता हूं कि वह प्लांट प्रोटैक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, प्लांट प्रोटैक्शन विभाग के बजाय वह पेट पालन विभाग हो रहा है। उसमें कोई चतुर्वेदी साहब हैं वे उस डिपार्टमेंट का ९ साल से ठेका लिये हुए हैं। उनके खिलाफ इन्क्वायरी हो रही है। उनके डिपार्टमेंट का कोई आडिट नहीं हुआ। तीन करोड़ रुपये का सालाना खर्च परचेज का आपके विभाग में है पर कोई आडिट नहीं है। माननीय हरगोबिन्द सिंह जी ने विजीलेंस के जरिये १९६५-६६ में इंक्वायरी करवाई थी लेकिन वह भी नहीं चल पाई। ४९ लाख रुपये का उन्होंने बाम्बे की किसी फर्म से बिजिनैस किया था और आज तक १६-१७ लाख उसमें पड़ा हुआ है उसकी कोई रिकवरी आज तक नहीं करा सके हैं। हजारों आदमी उन्होंने क्लास फोर्थ के आउट आफ वे लगा दिये। पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बरेली का सवाल सदन में आया था कि उन्होंने अपनी मरजी के म्वाफिक एक ड्राइवर रख लिया था और काफी धूम हाउस में मच गई थी। इन्होंने तो हजारों आदमी लगाये हुए हैं। लाखों रुपयों का सामान खरीदा २४ परसेंट कमीशन देने पर। लाखों रुपये की मशीनरी आपके विभाग में इस तरह आईडिल पड़ी हुयी है। मैं प्लांट प्रोटेक्शन विभाग के बारे में अपना तजुर्बा भी आपको बतलाता हूं। मैंने अपने बाग के सिलसिले में पांच-छः दफे कीड़े पकड़ करके प्लांट प्रोटैक्शन विभाग, मुरादाबाद को भेजे और कहा कि ये फसल को सताते हैं जरा इन पर गौर कीजिये। पर किसी ने लौटकर करवट नहीं ली कि एक एम० एल० ए० साहब क्या फरमा रहे हैं। साधारण किसान को तो छोड़िये। सड़क के किनारे जहां बड़ी आसानी से जीप जा सकती है वहां हर पेड़ पर अपनी दवाईयां छिड़क देते

हैं वहां पर यह मालूम होगा कि प्लांट प्रोटैक्शन विभाग में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अगर आप एक एक मील दो, दो मील आगे जाकर देखिये कि दवाईयां वहां कितनी छिड़की जाती हैं। अगर फसल को आज नुक्सान पहुंच रहा है और आप आठ दिन बाद पहुंचते हैं अपने हथियार लेकर तो किसान को क्या फायदा होगा। प्लांट प्रोटैक्शन की बीमारी नीचे से लेकर डायरेक्टर पी० एन० चतुर्वेदी तक है। कौन सी उनकी शक्ति है, कौन सी ताकत है कि इतने सारे इलजामात होने के बावजूद भी उनको आप अलग नहीं कर पा रहे हैं।

याद रखिये, अमेरिका आज चांद पर पहुंच रहा है। अमेरिका सतह से उठकर चांद तक पहुंच गया है। वजह क्या है। अमेरिका के अन्दर किसान को सम्मान मिलता है। किसान का एक दर्जा है। आपके प्रदेश के अन्दर किसान का कोई दर्जा नहीं है। यहां किसान को जाहिल और बेहूदा कहा जाता है। कोई भी साधारण कार्यकर्ता हो वह किसान की इस ताक में तो रहता है कि इससे पैसा कैसे मिलेगा, इससे रिश्वत कैसे मिलेगा। मैं अमेरिका के बारे में चार लाईनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वहां के थर्ड प्रैसीडैन्ट थामस जैफसेन ने किसानों के बारे में क्या कहा है।

"Cultivators of the earth are the most valuable citiz ens. They are the most vigorous, the most independent, the most virtuous and they are tied to their country and wedded to its liberty and interests by the most lasting bonds. Our Governments will remain virtuous for many centuries as long as they are chiefly agricultural."

यह सम्मान अमेरिका ने दिया है अपने किसानों को। जब तक आप अपने प्रदेश में किसान का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक आप यह सोचेंगे नहीं कि यह हमारा अन्नदाता है, यह हमको खिलाता है उस वक्त तक डाक्टर साहब चाहे करोड़ों रुपयों की ग्रांट लेते रहें, आपके प्लांट प्रोटैक्शन विभाग में वही बातें चलती रहेंगी। उसी तरह से और विभाग भी हैं। चाहे उनमें वे छोटी हैसियत के ग्राम सेवक हों या वे डिस्ट्रिक्ट लेबिल के अफसर हों सबका यही मकसद रहता है, कि पेट पालन किसी तरह से हो। चाहे एग्रीकल्चर का परसेंटेज बढ़े या न बढ़े, किसान चाहे भूखा रहे या नंगा रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। यह कहकर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आबिद अली (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता था कि यहां पर जब बजट पेश होगा तो उसके बाद अपोजीशन की तरफ से कुछ आलटरनेटिव पालिसी पेश की जायगी और बताया जायगा कि सरकार की पेश की हुई पालिसीज गलत हैं और इनकी जगह पर सही पालिसी यह हैं और अगर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो वह उन पर इस तरह से अमल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बजाय इसके कि शक्शियतों पर तनकीद होना शुरू हो जाती है, यह ज्यादा सही नहीं है। कल एक साहब ने यह कहा कि मुख्य मंत्री जी कृषक के खानदान में पैदा नहीं हुए हैं और कृषि मंत्री जी भी या कृषि के अफ़सर भी कृषि से ताल्लुक नहीं रखते और इसी वजह से इस मोहकमे का काम नहीं ठीक हो सकता। यह खुशी की बात है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह मोहकमा एक ऐसे मंत्री को दिया है जो कृषि से ताल्लुख रखता है और जो कृषि के मामले में एक्सपर्ट है और पूरे सूबे में शायद ही कोई उनसे ज्यादा योग्य आदमी कृषि में होगा, वह कृषि में पी० एच० डी० हैं और कृषि के मामले में काफ़ी जानकारी रखते हैं। उनको तो इस से खुश होना चाहिये था। कहा जाता है कि सूबे में हरी क्रान्ति या ग्रीन रिवोलूशन नहीं हुआ, यह बात भी सही नहीं है। आप अगर प्रदेश के आंकड़े

[श्री आबिद अली]

देखें तो पायेंगे कि कृषि के मामले में बराबर तरक्की हुई है और क्रान्ति आई है। आप ५०–५१ के मुकबिले में देखें कि १९६७–६८ में रकबा, जेर काश्त में कितनी तरक्की हुई है।

	१९५०–५१ में हेक्टेयर	१९६७–६८ में हेक्टेयर
गेहूं	३३.१६	५०.४५
धान	३८.५२	४१.७७
मक्का	८.३४	१४.७२
तिलहन	२१.५८	३८.७९
मूंगफ़ली	.८९	४.१४
आलू	.८२	१.६३
जूट	.१०	.२३

इसी तरह से आप देखें कि हमारी पैदावार भी इसी वक़्फ़े में बराबर बढ़ी है:

	५०–५१ में लाख टन	और ६७ ६८ में लाख टन
अनाज	८७.५१	१३४.१९
चावल	१९.९९	३०.७८
गेहूं	२७.२१	५९.५३
मक्का	६.५१	११.६७
चना	१४.५४	१६.१९
तिलहन	७.७९	१५.८४
मूंगफ़ली	१.०३	३.०८
गन्ना	२९४.९८	३९९.९८
आलू	६.४१	१४.६२
जूट	९.००	३४.००

इस तरह से आप देखें कि हमारा प्रोडक्शन भी बराबर बढ़ा है और जेर काश्त रकबे में भी बराबर बढ़ोत्तरी रही है। इसके अलावा अगर औसत पैदावार को देखा जाय तो उसमें भी एक नुमायां फ़र्क हुआ है और हमने तरक्की की है।

औसत ईल्ड	१९५०–५१ में क्विंटल प्रति हेक्टेयर	और ६७–६८ में क्विन्टल प्रति हेक्टेयर
चावल	४.८६	७.३०
गेहूं	८.१९	११.८६
जौ	८.८६	११.०४
मक्का	७.८५	७.९२
चना	५.९६	७.२६
लाही सरसों	३.७०	५.०६
आलू	७८.१४	९१.६४
जूट	९.२२	१४.६७

यह कहा जाता है कि हमारा प्रान्त दूसरे प्रान्तों से पैदावार में बिल्कुल नीचे है ऐसा नहीं है। यह सही है कि हमारा प्रान्त सब से चोटी पर भी नहीं है लेकिन दरमियान में है। गेहूं के मामले में यह चौथे स्थान पर है। पहले नम्बर पर पंजाब है, जहां पर पैदावार १८.८५ क्विन्टल प्रति हैक्टर होती है। फ़िर हरियाना आता है जहां पर प्रति हैक्टर १७.३४ क्विन्टल है। ये वे इलाके हैं जिनमें गेहूं की पदावार हमेशा अच्छी रहती है। गुजरात तीसरे नम्बर पर आता है जहां कि पैदावार १२.६७ है और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है जिसकी पैदावार ११.८६ क्विन्टल प्रति हैक्टर है। बिहार की पैदावार केवल ८.३५ क्विन्टल प्रति हैक्टर है। जम्मू काश्मीर की पैदावार ६.९७, मध्य प्रदेश की ७.३१, महाराष्ट्र की ३.९५, मैसूर की २.६६ क्विन्टल प्रति हैक्टर है और इसी तरह से दूसरे प्रान्त हमसे बहुत पीछे हैं।

जहां तक शुगर केन का सम्बन्ध है कहा जाता है कि हमारी हालत बहुत खराब है लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पहले नम्बर पर मैसूर आता है जहां की पैदावार ९५.५४ क्विन्टल प्रति हैक्टर आती है। दूसरे नम्बर पर मद्रास और तीसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है। चौथे नम्बर पर उड़ीसा है और पांचवें नम्बर पर गुजरात आता है जिसकी पैदावार ५०.५१ क्विन्टल प्रति हैक्टर है छटे नम्बर पर हमारा प्रदेश आता है जिसकी पैदावार ४०.२७ है जो इतनी कम नहीं है कि इस पर हमें अफ़सोस करना पड़े। बिहार की पैदावार हमसे बहुत कम है। यह ३४.३४ क्विन्टल प्रति हेक्टर है। तो जैसी हमारी हालत खराब बतायी जाती है वैसी नहीं है। हमारी मौजूदा सरकार हाई ईल्डिंग वैरायटीज के रकबे को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। १९६७-६८ में ११.४८ लाख एकड़ था, १९६८-६९ में यह बढ़कर ८७ लाख एकड़ हो गया और १९६९-७० में यह १०० लाख एकड़ हो गया। अगर यह पूरा हो जाता है तो १९६६-६७ के मुकाबले में ९ गुनी हो जायगी। यह वह योजना है जिससे हमारी पैदावार बढ़ जाती है।

हमारे गल्ले के उत्पादन का लक्ष्य १८८ लाख टन है, कपास का ६५ हजार बेल्स, गन्ने का ५२ लाख टन, तिलहन का १९ लाख टन। तो ये भी अच्छे खासे लक्ष्य हैं और इनको पूरा करने की कोशिश भी हो रही है। यह जो चौथी प्लान का पहला साल है इसमें १६० करोड़ रुपये का जो खर्चा करना है, इसमें गल्ला पैदा करने वाली जो स्कीम हैं उनके लिए सबसे ज्यादा पैसा रखा गया है। खेती में ३०.७२ करोड़ रुपया है, इर्रीगेशन में जो इसी से ताल्लुक रखता है १७ करोड़ रुपया रखा गया है। बिजली, जिसका संबंध खेती से है पैदावार बढ़ाने से होता है, के लिए ६८ करोड़ रुपया रखा गया है। इस तरह से तीनों चीजों के लिए ११५.७२ करोड़ रुपया होता है जो कुल खर्चे का ७३ प्रतिशत होता है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर काफी तवज्जह दे रही है और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया कागज से न पढ़ें, जो आपको कहना है वह कह दीजिए।

श्री आबिद अली---

कम्पोस्ट मैन्योर पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। हरी खाद की तरफ भी ज्यादा जोर देना चाहिए और जो खाद किसानों को दिया जाय उसके दाम भी कम कराये जायं। ताकि गरीब काश्तकार इनका फायदा उठा सकें। जहां तक ट्रैक्टरों का संबंध है वे भी कम दामों वाले बनवाये जांय या उनकी कीमत कम की जाय ताकि गरीब किसान इन्हें ले सकें अगर इनकी कीमत ज्यादा रहेगी तो महज बड़े-बड़े काश्तकार ही इन्हें खरीद सकेंगे।

[श्री आबिद अली]

जहां तक गन्ने का सवाल है मिलों में पिछले साल स्ट्राइक होने की वजह से वे देर में चले। उसकी वजह से पूरा गन्ना क्रश नहीं हो पाया। इस साल यह उम्मीद है कि सरकार यह इन्तजाम करेगी कि मिलें जल्दी चालू हों, काश्तकारों को गन्ने की अच्छी कीमत मिल सके और मिलें गन्ने को वक्त से पेर सकें। सरकार इस बात का भी इन्तजाम करे कि क्रशर्स का लाइसेन्स आसानी से मिल सके ताकि गन्ना वक्त से पेरने में कोई परेशानी न हो।

श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। १९६७ के पहले कांग्रेस सरकार ने ब्लाकों का नवीनीकरण किया। बहुत से ब्लाक घटाये गये और जल्द-बाजी में ब्लाक जब घटाये बढ़ाये गये तो उनका आकार इतना भोंदा बन गया कि क्षेत्रीय जनता को ३०, ४० मील दूर तक ब्लाक हेडक्वार्टर पर पहुंचने के लिये जाना पड़ता है जिससे वहां की जनता को ब्लाकों से लाभ नहीं हो पा रहा है और उनको हर प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे पुनः इस पर विचार करें और उसके आकार को ठीक ढंग से बनायें और उसे कई ब्लाकों में वितरित कर दें ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके।

बी० के० डी० की कृषि नीति बहुत स्पष्ट है। वह चाहती है कि खेती की उपज बढ़े, छोटे छोटे फार्म हों, छोटे छोटे खेत हों। प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए हर खेत में ज्यादा उपज हो और उसके लिये हर खेत पर ज्यादा से ज्यादा खाद, उन्नत बीज और पानी देने की व्यवस्था हो। जहां तक फर्टिलाइजर का संबंध है वह उपलब्ध न हो तो देसी खाद--गोबर तथा जानवरों का मल मूत्र और हरी खाद की व्यवस्था हो। हमारा किसान गरीब है, वह पुरानी पद्धति से खेती पर काम कर रहा है। रसायनिक खाद मिलाने से खेती की उपज आम तौर से बढ़ती है लेकिन उसकी क्रय शक्ति इतनी नहीं है कि वह उसे खरीद सके। लिहाजा इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि वह गोबर के उपले न बना कर खाद के काम में लायें और ईंधन के लिये अधिक जंगल लगाये और गांव समाज की जमीन में ऐसे वृक्ष लगाये जिनसे उसे लकड़ी प्राप्त हो सके।

मंगरौरा ब्लाक के संबंध में मुझे यह कहना है कि वह पट्टी तहसील का एक ब्लाक है और ३१-३-६१ तक शेडो ब्लाक के रूप में रहा। १-४-६१ से लेकर ३१-३-६२ तक वह प्री एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक के रूप में रहा है। १-४-६२ से वह ब्लाक प्रथम चरण विकास क्षेत्र के रूप में रहा है। कई महीने तक शहर में इसका कार्यालय रहा। लेकिन दिसम्बर ६१ में यह शहर से हटा कर कौंहडोर देहात में लाया गया और फिर वहां थोड़े दिन में गबन हुआ ७,२०० रुपये का। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास अधिकारी की असावधानी से ब्लाक स्तर के एक कर्मचारी तथा एक उप सभापति जो डकैत था दोनों की साजिश से यह ७,२०० रुपये का गबन हुआ। फर्जी आदमियों के नाम पर ७,२०० रुपये निकाले गये। इस संबंध में वहां से रिपोर्ट आई। एक नियोजन अधिकारी ने कुछ रिपोर्ट दी, दूसरे नियोजन अधिकारी ने दूसरी रिपोर्ट दी लेकिन उस बी० डी० ओ० को सर्विस से हटाया गया। वास्तव में इस ब्लाक के स्टाफ को गबन संबंधी जानकारी एक ऐसे व्यक्ति को थी जिसके खिलाफ अब भी डाक्युमेंटरी एविडेन्स नहीं है। और जिसका खमियाजा मंगरौरा ब्लाक की जनता को उठाना पड़ा। अगस्त १९६३ से ब्लाक कार्यालय को देहात से हटा कर शहर के अन्दर लाया गया। इनेगिने ब्लाक कार्यालय ही शहर में होंगे। ब्लाक की आबादी ८० हजार के गरीब है। उसे (जनता को) शहर में आना पड़ता है। इस ब्लाक का हेडक्वार्टर महुली में है जो प्रतापगढ़ नगरपालिका में है। श्रीमन्, आपका भी संबंध इस ब्लाक से है। वहां के लोगों की क्या दुर्दशा है कोई सुविधा मिल नहीं पा रही है। ब्लाक प्रमुख ताल्लुकेदार वकील हैं जो कि शहर में वकालत करते हैं और एक जाति विशेष के आदमियों को लाभान्वित कर रहे हैं। इस ब्लाक में एक सफेद गाड़ी आयी है जिसका ब्लाक प्रमुख और बी० डी० ओ० दोनों दुरुपयोग करते रहे हैं और ६ वर्ष से दुरुपयोग

करते चले आ रहे हैं। जब इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगा चल रहा था तो बी० डी० ओ० साहब अपने प्राइवेट काम से यह गाडी वहां ले गये थे।वह गाड़ी पकड़ी गयी थी। उसके कुछ कागजात है। लेकिन वह कागजात ऐसे व्यक्ति के हाथ में गये जिसका किन्हीं कारणों से मर्डर भी कर दिया गया। उसने भी बहुत सी शिकायतें की थीं कि ब्लाक प्रमुख और बी० डी० ओ०, दोनों बहुत गबन करा रहे हैं और एक जाति विशेष को या कुछ गांव सभाओं के लोगों को अनुदान और तकावी के रूप में धन देते हैं। एक ऐसे लखपति व्यक्ति को सिलाई की मशीन दी गयी है जिन्होंने शायद जिन्दगी में कभी सुई में तागा भी नहीं डाला होगा। ७,२०० रुपये का गबन तो एक बी० डी० ओ० और कुछ लोगों के द्वारा हुआ है लेकिन कई हजार का गबन और इरेंगुलैरिटी बी० डी० ओ० और ब्लाक प्रमुख की वजह से हो रहा है। इसी संबंध में वहां की क्षेत्रीय जनता और मैंने भी जिलाधीश और सरकार को कई दरख्वास्तें दीं कि ब्लाक का हेडक्वार्टर ब्लाक के अन्दर होना चाहिये, ब्लाक के बाहर रखना नियम के विरुद्ध है। उसकी जांच हुई। जिलाधीश महोदय ने रिपोर्ट की कि ब्लाक का हेडक्वार्टर शहर से हटा कर देहात में कर दिया जाय।४ अप्रैल, १९६७ को गवर्नर महोदय के आदेश होते हैं। मैं उसकी कुछ लाइनें आपको पढ़ कर सुनाता हूं---

'मुझे आपको यह सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त विषय पर पूर्व आदेश को निरस्त करते हुये उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यालय स्थान) नियमावली, १९६६ के नियम १० के अधीन अधिकारों का उपयोग करके मंगरौरा क्षेत्र समिति का मुख्यालय महुली के स्थान पर अब कोंहडोर करना उचित समझते हैं।

२---आपसे अनुरोध है कि प्रस्तर १ के आदेश का अनुपालन करते हुये मंगरौरा का मुख्यालय अब महुली से कोंहडोर स्थानान्तरित कर दें।"

यह आदेश पंचायतराज विभाग (२) की तरफ से गये हैं लेकिन आजतक उनका पालन नहीं किया गया क्योंकि बी० डी० ओ० और प्रमुख साहब शहर में रहते हैं। ब्लाक स्टाफके अधिकांश लोग भी शहर में रहते हैं। शहर के नल, बिजली और पक्के मकानों को छोड़ कर वह देहात के कच्चे मकानों में क्यों जांय? इसलिये वहां के अधिकारी और जिलाधीश उसकी परवाह नहीं करते हैं। यही वजह है कि गवर्नर महोदय के आदेशों की ७-८ महीने से अवहेलना हो रही है। अभी मैंने एक प्रार्थना पत्र मंत्री जी को भी दिया था लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब प्रश्न किया तो प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि प्रमुख साहब की रिक्वेस्ट पर स्थानान्तरण नहीं हुआ। प्रमुख कौन होते हैं। जब उस क्षेत्र की सारी जनता इस को चाहती है और गवर्नर का आर्डर भी हो जाता है फिर भी इस प्रकार से नियमों और आदेशों का उल्लंघन किया जाता है। वहां पर हजारों रुपये का गबन किया जा रहा है और अनेक प्रकार की इरेग्यूलेरिटीज बरती जा रही हैं। मैं पुनः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि मंत्री जी ने जो कृषि के बारे में अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, कृषि का महकमा ९० प्रतिशत जनता से संबंध रखता है, इसलिये इसका बड़ा महत्व है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पूर्वी अंचल की कृषि के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर ९० प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। उनके लिये और कोई दूसरा सहारा नहीं है। मान्यवर, आप और कृषि मंत्री यह जानते हैं कि यह भाग अन्न के मामले में सदा ही घाटे में चलता है इसका एक मात्र कारण यही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषि की ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया। २-३ वर्ष पहले वहां पटेल कमीशन लागू

[श्री त्रिवेणी]

हुआ था और पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि के कार्यों में तरक्की करने लगा था। पंपिंग सेट, कुंआ, रहट, सब पर ५० प्रतिशत की छूट दी जाती थी। उसका बहुत सदुपयोग वहां पर हुआ और कृषि की तरक्की हुई। खाद पर भी काफी सब्सीडी मिली थी। लेकिन संविद सरकार के जमाने में वे सब चीजें बन्द कर दी गयीं। यही नहीं संविद सरकार के जमाने में विद्युत कनेक्शन जो ४ फर्लांग तक मुफ्त दिये जाते थे, उस छूट को भी बन्द कर दिया। इसलिये जो पूर्वी अंचल का पिछड़ापन आज से बीस साल पहले था वह आज भी है। आजमगढ़ जनपद में साढ़े दस लाख एकड़ जमीन पर खेती होती है। इसमें से ढाई लाख एकड़ जमीन ऐसी है जहां बंजर, ताल तलैया नदी, नाले आदि कुछ नहीं ह, अट्ठाइस लाख की आबादी है। केवल ७–८ प्रतिशत जमीन ही ऐसी है जिसमें सिंचाई के साधन हैं। आज तक यह जिला कृषि कार्य में पिछड़ा हुआ है, उनको सदा ही गल्ला बाहर से मंगा कर देना पड़ा है। ५-७ वर्ष से वहां बराबर सूखा पड़ रहा है। कृषि कार्य में सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता है। और सिंचाई में पूर्वी उत्तर प्रदेश में चाहे आजमगढ़ जनपद हो और चाहे इससे सटे हुये जिले जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर और बनारस आदि जिलों का सारा इलाका कृषि कार्य में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। चार चार पांच पांच मील चले जाइये जमीन पड़ी हुई है लेकिन सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वही हाल प्रतापगढ़ सुल्तानपुर रायबरेली, गोंडा और बहराइच आदि जिलों का है। सिंचाई की कौन कहे यहां पर तो पानी के कुयें तक नहीं हैं। जो जिले घाटे के नहीं हैं, जैसे पश्चिमी भाइयों के जिले घाटे के नहीं हैं, वहां के जो किसान ७/८ एकड़ की खेती करते हैं वे कहते हैं कि दो हजार का गल्ला बेचा है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के काश्तकार जो २० २५ एकड़ की खेती करते हैं, उनको ४ महीने के बाद बाजार से गल्ला खरीदना पड़ता है। दोनों में इतना ही फर्क है। जो योजनायें कृषि उन्नति के लिये हैं उनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों को कृषि में से कोई योगदान नहीं मिला है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो साधन पंजाब, हरियाणा तथा अन्य प्रदेशों को मिले हैं वे हमारे प्रदेश को नहीं मिले हैं। कृषि कार्य के सिलसिले में मान्यवर, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटस की जरूरत होती है, जैसे ट्रैक्टर्स या हल या निराई के औजार हैं, उनका कोई कारखाना हमारे यहां नहीं है। जब कोई कृषि का सामान लेना होता है तो जो अच्छे और एडवान्स जिले हैं वे पहले पा जाते हैं और पिछड़े जिले अपने पिछड़ेपन की वजह से रह जाते हैं। आज कृषि के सिलसिले में जिस अनुदान पर बहस हो रही है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। ९५ फीसदी विधायक कृषि से मुहब्बत रखते हैं, कृषि कार्य करते हैं और कृषक के लड़के हैं। आज का बजट प्रदेश के ९० फीसदी लोगों की जिन्दगी से संबंध रखता है। कृषि मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये कि जो जिले पिछड़े हुये हैं बावजूद तीन तीनपंच वर्षीय योजनाओं के निकल जाने पर भी उन जिलों का पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है।

मान्यवर, मुझे एक बात और कहनी है कि १५/१६ जिले पटेल आयोग ने रखे हैं जिनमें विकास का कार्य नहीं हुआ है। वहां सिंचाई के साधन नहीं है, फर्टिलाइजर्स और कृषि यंत्र के कोई साधन नहीं हैं, जहां ४/४, ५/५ मील के प्लाटस खाली पड़े हुये हैं, उनके लिये कृषि विकास बोर्ड बनाया जाय और इन इलाकों में जो पिछड़े हुये हैं कृषि विकास बोर्ड द्वारा कृषि कार्य इस तरह से किया जाय जैसा कि प्रदेश के अन्य अच्छे जिलों में होता है। मैं इन शब्दों के साथ जो अनुदान माननीय कृषि मंत्री जी ने पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं ऐसे जिले से चुन कर आया हूं जो समस्त प्रदेश के लोग उस जिले के नाम से परिचित नहीं हैं। ऐसा जिला बहराइच जिला है जो कि नैपाल की तराई में बसा हुआ है, कोने पर बसा हुआ है। आने जाने का कोई साधन नहीं है। सरकार का जिसकी ओर

आज तक ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। हमारे जिले से एक मंत्री महोदय बहुत दिन तक इस सरकार के मंत्री रहे लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अगर दिया तो अपने क्षेत्र पर। बहुत संकुचित भावना के अन्तर्गत आ कर, जो भी किया वह किया अपने क्षेत्र की जनता के लिए। लेकिन सही प्रकार से देखा जाय तो वह भी निल के बराबर है। इस जिले में कई हजार एकड़ जमीन लोगों के कब्जे में पड़ी हुई है। बड़े-बड़े किसानों का उन पर कब्जा है दूर-दूर से आकर लोग बस गये, पंजाब हरियाना, बिहार बंगाल, असाम से बड़-बड़े पूंजीपति आकर, गवर्नमेंट से अपने इनकमटैक्स को छिपाने के लिये, बस गये और बड़े-बड़े फार्म उन्होंने खोल रखे हैं। लाखों की मशीनरी जरूर इकट्ठा कर दी है लेकिन मेरा खयाल है कि १८-२० साल से फार्म किये हुए हैं, शायद कलकत्ता या आसाम स आकर अपने फार्म का लोकेशन भी देखा हो। जमीन उजाड़ पड़ी है। पटवारी को पैसा मिलता रहा है। फर्जी इंदराज होता रहता है। फसलें लिखी जाती हैं, दिखाया जाता है कि अमुक गल्ला इतना पैदा हुआ। मगर मौके पर कुछ भी नहीं है। अधिकारी आते हैं, जाते हैं, जानते हैं, देखते हैं लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं दी। ऐसे-ऐसे किसान भी हैं जो गरीब थे, १५-२० एकड़ जमीन लेकर खेती करने लगे लेकिन किन्हीं कारणवश बड़े आदमी बन गये। उनके नाम पट्टा देखा जाय तो १६ एकड़, ३० एकड़, ६० एकड़ निकलेगा लेकिन मौके पर ६ सौ, ७ सौ, सौ एकड़ पर कब्जा है। साधनयुक्त हैं। तमाम किसान लोगों के नाम से पट्टे दर्ज हैं उस नाम का न कोई आदमी है, उत्तर प्रदेश का न बिहार का, न बंगाल का वह नागरिक है। फर्जी, पट्टे बने हुये हैं। एक बार जोत देते हैं, गल्ला बो देते हैं लाखों रुपये का गल्ला बेच देते हैं। भूमिहीन किसान तड़पता रहता है। लेकिन कोई भी व्यवस्था भूमिहीन किसान की नहीं होती है। उस स्थान को नक्सलवाड़ी का स्थान भी डिक्लेयर किया गया। वास्तविकता यह है कि अगर वहां की जमीन जो लोगों के अनधिकृत रूप से कब्जे में हैं वहां के भूमिहीनों को दे दी जाय तो बहुत ज्यादा गल्ला पैद हो सकता है। वहां की जनता ने तमाम प्रयत्न किये।

एक तराई कमेंटी, अकर्मण्य कमेटी बनायी गयी जिसका केवल कागज पर नाम आया लेकिन उसने कोई व्यवस्था नहीं की। वहां की जमीन इतनी उपजाऊ है कि उसकी अगर सुचारु रूप से व्वयस्था कर दी जाय तो बहराइच जिला कई जिलों में को साल भर गल्ला खिला सकता है। लेकिन वहां न आज तक कोई सिंचाई की व्वयस्था है, न भूमि की व्यवस्था की गयो। गरीब दबाये जाते हैं। सीलिंग ऐक्ट लागू किया गया। जमीन निकाली गयी लेकिन वह जमीन दरअस्ल उन्हीं लोगों के कब्जे में है जिनके हाथ से निकाली गयी है। उसकी व्यवस्था ठीक से की जाए तो हम अपने यहां से और भी गल्ला दे सकते हैं। हमारे जिले का कानपारा क्षेत्र जो है उसमें जंगल अधिक है उसके किनारे जंगल वालों ने, जब जमीदारी एबालिश हुई, तो वहां का डिमारकेशन नाली द्वारा कराया। यह तय किया गया कि नाली के बाहर की जमीन किसान की, ग्राम सभा की, और अन्दर की जमीन जंगल विभाग की समझी जाये। नाली के बाहर किसानों ने जोतना शुरू किया और जंगल वालों की नियत खराब हुई उन्होंने कहा तुमने यहां पर जोतना क्यों शुरू किया, तुम यहां नहीं वहां जोतो और इस तरह से उनसे पैसा वसूल लेते हैं। फिर दूसरे अधिकारी आते हैं और कहते हैं तुमने यहां क्यों जोत लिया, तुम्हारी यह जमीन नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर प्रासीक्यूशन करेंगे और फलस्वरूप किसान उस अधिकारी का भी मुंह बन्द करने के लिये कोशिश करता है। ए० आर० ओ० कमेटी जो आपने बनाई है, उसने कानपारा तहसील को देख कर पैसा कमाने का एक नया माध्यम समझ कर भिन्न-भिन्न प्रकार की उसने कोशिश किया। नतीजा यह है कि सारा किसान दौड़ता रहता है अगर एक भी पट्टे का फैसला नहीं किया गया कि कौन जमीन किसकी है और न मौके पर डिमारकेशन किया गया। ग्राम सभाओं की बड़ी-बड़ी जमीनों पर बहुत से लोग काबिज हैं, उनसे प्राप्त कर यदि यह जमीन बाकी लोगों को, भूमिहीनों को दे दी जाए तो वह उसकी अच्छी व्यवस्था करेंगे। गांव वालों के ऊपर धांधली को देख कर

[श्री पारसनाथ सिंह]

बाकी जमीन ग्राम सभा को देकर भूमिहीनों को बांट दी जानी चाहिये। वह जमीन बड़ी उपजाऊ है, उससे हम लाखों मन गल्ला पैदा करके दूसरों को दे सकते हैं।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा खाद का वितरण इतना गलत हो रहा है विशेष प्रकार से हमारे क्षेत्र में, कि किसी किसान को १–२ बोरा खाद दी गई और वह फिर १००–५० बोरा दिखा कर उनकी कुर्कियां कराई जाती हैं। उनकी ओर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाये।

दूसरी बात हम आज यह सुनते रहे हैं हर सदस्य के मुंह से कि कोई भी सिंचाई की व्यवस्था कहीं नहीं की गई है। बड़े खेद की बात है––हमारे प्रदेश और देश पर करोड़ों रूपये का कर्जा है, फिर भी हर व्यक्ति को कहने के लिये विवश होना पड़ता है कि सिंचाई के प्रगति की व्यवस्था नहीं की गई है। उस कर्ज के पैसे का सदुपयोग हुआ? दुरुपयोग हुआ? या कहां गया? उसकी जांच होनी चाहिये। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिये और वह अपना व्यक्तिगत ध्यान रखें कि वह रुपया आज कहां रहता है। प्रगति का कोई नाम नहीं है, किसान अपनी जगह रोता है, सरकार अपनी जगह रोती है और राष्ट्र अपनी जगह रोता है। एक बात और हमारे यहां यातायात–सड़क की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वर्षा काल में एक मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाई जा नहीं सकता है, जब तक ४–६ आदमी एकत्रित न हो जाएं.....

श्री उपाध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त है, आप बैठें।

*श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव के अनुमोदन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसानों ने तरक्की नहीं की, पैदावार नहीं बढ़ी, ऐसा कहना असलियत को धोखा देना होगा। जब हमारी सरकार का गठन नहीं हुआ था। जो लोग गांवों में जाकर देखते थे वे जानते हैं उस वक्त जर्जरित किसान भूख और प्यास से तड़प रहा था और जिसके चहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं आज उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ रही है। जिनके घरों में पहले अनाज नहीं था या जो अनाज से खाली थे आज उनकी बखारों में गल्ला भरा पड़ा है। गरचे विरोध करने के लिये कोई कुछ भी कहे लेकिन यह नहीं माना जा सकता है कि गल्ले की पैदावार बढ़ी नहीं है या किसानों की हालत में तब्दीली नहीं हुई है। यह बात दूसरी है कि जितना हम किसानों का जिस हद तक तरक्की करना चाहते थे उस हद तक नहीं पहुंच पाये हैं। लेकिन यह कहना कि किसानों की पैदावार बढ़ी नहीं है घटी है यह नितान्त गलत चीज होगी। हमारे भाई माननीय सदस्य जितने यहां पर बैठे हुये हैं उनमें से अधिकांश गांवों से चुन कर आये हैं और कम से कम पहले नहीं तो चुनाव के दरमियान में हरेक सदस्य को गांवों में जाने का मौका मिला होगा। वहां उन्होंने खुद देखा है कि जिन खेतों में पहले थोड़ी बहुत जड़हन होती थी वहां पर अधिक से अधिक अनाज पैदा किया जा रहा है।

श्रीमन, कोई इस बात को गलत नहीं बतला सकता है। पहले जब हम अधिक बीज बोते थे तो पैदावार कम होती थी लेकिन आज हम नये और उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और बीज हम कम बोते हैं लेकिन पैदावार दुगुनी और तिगुनी बढ़ गई है। पैदावार केवल उन्हीं जगहों पर नहीं बढ़ी है जहां पर सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध हैं या जो आदमी खेती करने में या अपने हाथ से काम करने में बेइज्जती अनुभव करते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। सिवाय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन किसानों को छोड़ कर बकिया जो किसान हैं जिनको हम साधन दे सके हे वह सब सम्पन्न हो ग हैं। पहले गल्ला खलियानों में पैदा होता था और घर जाते-जाते खत्म हो जाता था, अब ऐसा नहीं होता। पहले जो किसान भूखे थे और नंगे थे आज वही किसान आये दिन बैनामा खरीदते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसानों की आमदनी पर्याप्त संख्या में बढ़ गई है। वह अब भी बहुत पीछे हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और कहूंगा कि वह अधिक से अधिक ध्यान किसानों की तरक्की के लिये दें क्योंकि पर्याप्त सुविधायें सिचाई के लिये नहीं हो पाती हैं।

एक बात और है। हमारे कृषि मंत्री जी सबसे ज्यादा मुफलिस हैं, सबसे ज्यादा कमजोर और अपाहिज मंत्री हैं इसका आप बुरा न मानें। मैं नहीं जानता कि यह शब्द पालियामेंटरी है या नहीं लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी के जिम्मे कुछ भी साधन नहीं हैं। आज सिचाई मंत्री और विद्युत मंत्री दूसरे हैं। ट्यूबवैलों की बोरिंग जो कोई कराता है उसे बिजली मिल नहीं पाती। किसान खेत बोता है तो उसको पानी नहीं मिलता है क्योंकि ट्यूबवैल पानी नहीं देता है। हमारे मंत्री जी के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे बिजली कंबुल दिला सकें केवल उनके पास खेती है। इसलिये मैं कैबिनेट से प्रार्थना करूंगा कि वह कृषि मंत्री जी को और बल प्रदान करें और विद्युत मंत्री व सिचाई मंत्री जी उनकी सहायता करें। आज हर विभाग का कर्मचारी अपने को सर्वे सर्वा समझता है और दूसरे विभाग के कर्मचारियों को वह कोई तरजीह नहीं देना चाहता है। यह झगड़ा आये दिन चलता रहता है। मैंने इसको ब्लाक प्रमुख की हैसियत से देखा है। मैंने अपने ब्लाक में देखा है कि ए० डी० ओ० कृषि पानी के लिये तड़प रहा है और वह बारबार इधर-उधर दौड़ता है लेकिन बिजली विभाग और सिचाई विभाग उसकी एक नहीं सुनते हैं। यह अव्यवस्था दूर होनी चाहिये और यह तभी सम्भव है जब तीनों विभागों का एक मिनिस्टर हो और जिले में इनका एक ही अधिकारी नियुक्त हो। आज इन तीनों विभागों के ऊपर एक जिलाधीश महोदय हैं और वही ऐसे अधिकारी हैं जिनका अधिकांश विभागों पर नियंत्रण रहता है मगर वह भी उतना नहीं है जितना होना चाहिये और जिससे हम अपनी समस्या को हल कर सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

आज ऐसे बहुत से भूखण्ड पड़े हुये हैं जहां पर सिचाई के साधन नहीं हैं। जहां हम सिचाई के साधन मुहइया कर पाये हैं वहां पर जब पहले केवल जड़हन की ही फसल होती थी वहां अब उसके साथ मैक्सिकन गेहूं भी होने लगा है। लेकिन जहां साधन नहीं हैं वहां आज भी वही हालत है जो कुछ दिनों पहले थी। मैं उस अभागे जिले का रहने वाला हूं जो न पूरब में गिना जाता है न पच्छिम में। पता नहीं सुल्तानपुर जिला किस में आता है। जब सुविधायें मिलने की बात आती है तब पच्छिम और पूरब के जिलों का नाम आने लगता है लेकिन हम तो त्रिशंकु की तरह बीच में लटके हुये हैं। हमारे जिले को कोई भी सुविधा इसीलिये नहीं मिल पाती है। हमारे जिले में अमेठी तहसील है जिसमें इतना ऊसर है कि उसके लिये एक किस्सा कहा जाता है कि जो न होता अमेठी में ऊसर तो राजा होते देव के दूसर। इसलिये अगर वहां आप ट्यूबवेल्स की और समुचित रूप से सिचाई की व्यवस्था कर दें तो हम खेतों में अधिक से अधिक अनाज पैदा कर सकते हैं। उस मुफलिस और कमजोर जिले की तरफ मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां सिचाई का बहुत बड़ा अभाव है। हमारे जिले में जो थोड़े सिचाई के साधन हैं वे भी कुछ ही जगह में है। उसमें कुछ भाग ऐसे हैं जहां वह साधन उपलब्ध नहीं है। हमारे यहां कूड़ेभार, जयसिंहपुर, दोस्तपुर और अखंडनगर विकास खंड हैं जहां का दक्खिनी इलाका ऐसा है जिनमें नहरें भी हैं ट्यूबवेल्स भी हैं लेकिन उत्तरी इलाका ऐसा है जहां का किसान आज भी भगवान के भरोसे खेती करता है। यहां पर मुझे वहां के किसान

[श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)]

मिले तो उन्होंने बतलाया कि वहां पानी नहीं बरसा है और वहां लहलहाती खेती सूख रही है। कोई सिचाई का साधन नहीं है। तो मैं सिचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उन इलाकों की तरफ पर्याप्त ध्यान दें।

एक बात यह भी है कि अगर ५ रुपये आप किसी डाकखाने में जमा कर दें और उसमें से १ पैसा भी पोस्ट मास्टर खा ले तो उसको सजा हो जाती है, एक पैसे के लिये तो पोस्टमास्टर को सजा हो जाती है लेकिन दो-दो चार-चार हजार बीघे कीमत के खेतों के संरक्षण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर हम ४२५ सम्मानित सदस्य बैठ कर कानून बनाते हैं कि जमीन उसकी जिसके हल के नीचे है लेकिन आज भी जिसके नाम चाहता है लेखपाल लिख देता है वही सही माना जाता है किसान बेचारा तड़फड़ा कर रह जाता है। इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जितना खेत उसके पास हो, जितना उसके पास से निकले और जितना उसके पास आवे उसकी जानकारी उसे होनी चाहिये और बगैर उसकी आज्ञा के बिना उसके खेत नहीं निकलने चाहिये। मझे बड़ी खुशी हुई जब यह सुना कि कोई सिस्टम ऐसा होने जा रहा है कि किसान को खेतों की पास-बुक मिलेगी लेकिन कहीं वह पास-बुक कोआपरेटिव की पास-बुक न हो जाय कि दो आदमी कर्जा ले और लिखा जाय गांव भर की पास बुक में। कोआपरेटिव की पास-बुक न बना कर सही मानों में बनाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि किसान जिसे महात्मा गांधी और हमारी पार्टी के भगवान और अन्नदाता की संज्ञा दी है उसी पर चारों तरफ से मार पड़ रही है चाहे इंजीनियर हो और चाहे क्लर्क हो अन्न तो सभी खाते हैं और उसको किसान पैदा करता है तो किसान कम से कम शोषण से तो बचे, उसके साथ घूसखोरी तो न हो। मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसान के खेत का जिन्सवार गलत साबित हो तो लेखपाल और गिरदावर कानूनगो जिसने लेखपाल के इन्दराज की तसदीक की और एस० डी० ओ० जो जाड़े में दौरे पर जाकर तस्दीक करता हो और डिप्टी कमिश्नर जिसने तसदीक किया हो उन सब को जैसी सजा होनी चाहिये जरूर दी जाय ताकि यह अव्यवस्था दूर हो। हमारे कुछ साथियों ने बताया कि बगैर दो सौ और चार सौ रुपया दिये हुये किसान को बिजली नहीं मिल पाती। श्रीमन, सोचिये किसान अपने अनाज से बैल खरीदता है, खेती के लिये हर सामान खरीदता है, उसी से अपने बच्चों को पढ़ाता है उनका पेट भरता है और उसकी आय को केवल एक ही साधन है अनाज और अगर उसी में से उसको घूस भी देनी पड़ेगी तो वह तबाह और बरबाद हो जायेगा। तो इस सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली सिचाई तथा कृषि विभाग से घूस खोरी को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी के प्रस्ताव का पूर्णरूपेण अनुमोदन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के लिये तीन चीजों की विशेष आवश्यकता होती है। बीज, पानी और खाद। अगर यह सरकार इन तीन चीजों की सुविधा प्रदेश में प्रदान कर दे तो निश्चित रीति से कृषि का विकास होगा, लेकिन इन तीनों चीजों की स्थिति क्या है, मैं अलग अलग बतला देना चाहता हूं।

जहां तक बीज का प्रश्न है बीज देने की चर्चा सरकार बहुत करती है। सरकार कहती है कि "इतना बीज अधिकतम बांटा गया किसानों में" लेकिन स्थिति मैं बताता हूं कि यह शंकर मक्का, जवाहर मक्का, गंगा मक्का, शंकर बाजरा, टाइचून धान और आई० आर० एट आदि जितने भी उन्नतिशील बीज हैं, इनका जितना लक्ष्य ब्लाक वाले बनाते हैं उतना लक्ष्य कैसे पूरा करते हैं, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। ग्राम सेवक के ऊपर शंकर मक्का, जवाहर मक्का, गंगा मक्का, टाइचून धान और आई० आर०एट० बीज लाद दिये जाते हैं। मंत्री महोदय यदि जांच करें तो मालूम होगा कि ब्लाक के हर ग्राम सेवक से प्रति वर्ष

३००/४०० रुपया वसूल किया जाता है लेकिन वह रुपया ग्राम सेवक किसानों से नहीं पाता है। मैं इसको थोपने की नीति कहता हूं और लादने की नीति कहता हूं। यहां पर जो लक्ष्य की पूर्ति का विवरण आता है वह ज्यादातर मिथ्या और झूठा है। किसानों को ग्रामसेवक बीज नहीं देते लेकिन उनसे उतना पैसा ले लिया जाता है। जिन बीजों का मैंने अभी नाम लिया उन बीजों की यह स्थिति क्यों है? हम लोगों ने जिला परिषद् की मीटिंगों में कहा और ब्लाक की मीटिंगों में निरंतर कहते हैं कि शंकर मक्का जो है वह पूर्वी जनपद की भूमि के लिये उपयुक्त नहीं है। वह समय से नहीं होता है लेकिन जिला कृषि अधिकारी ग्रामसेवकों से कहते हैं कि शंकर मक्का का बीज वितरण किया जाय। यह हुकुम है कि शंकर मक्का अधिक बोई जाय चाहे उपजाऊ भूमि हो या न हो और चाहे उसकी उपज हो या न हो। लक्ष्य की पूर्ति का विवरण ब्लाक वाले यहां पर भेज देते हैं। उस विवरण के अनुरूप सरकार समझती है कि इतना बीज दिया गया और इतनी उपज हुई। न उपज होती है और न बीज दिया जाता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो थोपने की प्रक्रिया है, समाप्त होनी चाहिये। मैं चुनौती पूर्ण शब्दों को कहना चाहता हूं कि आप जांच करें और ग्रामसेवक से पूछ लें ३००, ४०० रुपया उनके ऊपर थोपा जाता है या नहीं? यह तो बीज की स्थिति है, और इस दिशा में प्रदेश में बीज का विकास हो रहा है।

अब आपके सामने खाद के विषय में क्या स्थिति है बतलाना चाहता हूं। किसानों को जिस समय जिस खाद की आवश्यकता पड़ती है उस समय वह खाद नहीं मिल पाती है। खाद का फ़ार्म भरा लिया जाता है, कुछ रुपयों के लिये लेकिन उनसे वसूल किया जाता है ज्यादा रुपया। यह ज्यादती ग्रामसेवक की है। खाद के लिये फ़ार्म भरा जाता है मान लीजिये १०० रुपये का लेकिन उनसे वसूल किया जाता है १५० रुपया। यह जादूगरी कैसे होती है मैं जान नहीं पाता हूं, लेकिन ग्रामसेवक इसके लिये बदनाम हैं। श्रीमन्, इसका परिणाम क्या होता है मैं कहता हूं बड़ा कटुपरिणाम हो रहा है। पहले किसान उर्वरक लेने के पक्ष में था, अब सोच रहा है कि नकद रुपयों पर खाद ली जाय तो ली जाय, साल भर की तकावी पर न ली जाय नहीं तो डयौढ़ा और दूना रुपया वसूला जायगा। कुपरिणाम यह है कि उर्वरक द्वारा जो कृषि का सही विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता। मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो उर्वरक के लिये इस प्रदेश में प्रचारात्मक कार्य है। यदि वह मुफ्त में बांटा जाय तो अच्छी बात है लेकिन आपने विभिन्न रासायनिक खादों के दाम बढ़ा दिये हैं, इस कारण से किसान उससे अलग होता जा रहा है। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, मुझे खेद और आश्चर्य होता है, जब मैं देखता हूं कि वहां २२ वर्षों में केवल एक राजकीय ट्यूबवेल है। मंत्री महोदय पता लगा लें और वह लच्छीपुर में है, बड़ी जीर्ण-जर्जर हालत में है, ठीक से पानी नहीं देता है। ट्यूबवेल प्रतिवर्ष लगाये जाते हैं, बैठाये जाते हैं, लेकिन कहां और किन जनपदों में, इसका मुझे आश्चर्य है।

प्रतापगढ़ ऐसा जनपद है जो ७० प्रतिशत असिंचित है। विभिन्न क्षेत्रों में और अंचलों में ढेकुली चलती है, उसका मतलब होता है कि केवल एक दो घंटे एक-एक छोटी-छोटी गगरी पानी कुओं से निकलता है। उस प्रकार की भूमि में सरकार कैसे आशा करती है और प्रदेश कैसे आशा करता है कि वहां किसी प्रकार की पैदावार भी हो सकती है। अपने जिले को जबमैं दृष्टि-बिन्द में रखता हूं तो जान पड़ता है कि वहां कतई पैदावार नहीं बढ़ी। बढ़ी होगी पश्चिमी जिलों में, लेकिन पूर्वी प्रतापगढ़ जैसे जिलों में नहीं बढ़ी, क्योंकि स्पष्ट है कि सिंचाई के साधन नहीं बढ़े। तो पैदावार बढ़ने का कोई कारण नहीं होता है। एक बात अवश्य है कि डिमांस्ट्रेशन में पैदावार बढ़ सकती है। कहीं एक बिसवा, दो बिसवा गेहूं बो दिया गया, उसमें ज्यादा उपज हो गई और उसी को आधार मान करके आंकड़ा लगा लिया कि पैदावार बढ़ गयी। लेकिन यह बढ़ी नहीं है। मैं कल सुन रहा था, सरकारी पक्ष के वक्ता कह रहे थे कि हमारे गांव में लोग

[श्री रामदेव]

गल्ला बेंचते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र में ६० फ़ीसदी किसान गल्ला खरीदता है, बेंचने की कौन कहे, क्योंकि वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, ५ मिनट का समय और दिया जाय। मैंने कहा कि प्रतापगढ़ में केवल एक ट्यूबवेल है। अनेक छोटी नदियां हैं। जमीन ऊंची-नींची है। बड़ा प्रश्न है कि सिंचाई कैसे हो? ट्यूबवेल के लिए हम बराबर मांग करते रहे हैं। जो छोटी-मोटी नहरें चल रही हैं उनके द्वारा समय पर पानी भी नहीं मिलता। नहरें पानी तो नहीं देती हैं लेकिन प्रति वर्ष नहरी महसूल वसूल लिया जाता है। जितनी माइनरें हैं उनमें जब से नहर चली तब से आज तक पानी आया ही नहीं। मैं उनका नाम ले सकता हूं, गौरा माइनर है, नशीरपुर माइनर है। इसी प्रकार अनेक माइनरें हैं जब से खोदी गयीं पानी आया ही नहीं। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इन नहरों में, नहरों की माइनरों में पानी दिलाने की व्यवस्था करें, नहीं तो अच्छा होगा कि इन नहरों को मंत्री जी पटा दें। किसान इन नहरों से पानी मिलने की आशा में चौपट हो रहा है, वह अपना कुछ अलग से इन्तजाम भी नहीं कर पाता। नहरों की आशा में उसकी सारी की सारी खेती चौपट हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि या तो इन नहरों को पटवा दें या उनमें पूर्णतः पानी की व्यवस्था करें। श्रीमन्, वीरापुर विधान सभाई क्षेत्र है। न तो वह इलमऊ सिंचाई योजना से प्रभावित होगा और न श्रृंगवेरपुर सिंचाई योजना से। हमारे यहां के० एल० राव साहब गये थे। हमने उनको बताया कि क्षेत्र इन योजनाओं से प्रभावित नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि हम यहां ट्यूबवेल योजना चलायेंगे। सत्यतः अगर यहां ट्यूबवेल योजना चलाई जाय तो सिंचाई का साधन हो सकता है।

मान्यवर, एक दर्दनाक और शर्मनाक बात और कहना चाहता हूं। नहरें जहां खुदी वहां जिन किसानों के खेत पड़े थे, जिन किसानों के वृक्ष पड़े थे उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और उनके खातों से लगान भी नहीं काटा गया है। श्रीमन्, बड़ा दुख होता है। नहर वालों की अपनी अलग अदालत है। जो प्रतिनिधि, जो प्रधान पतरौलों को कहता है कि रिश्वत मत लो, जो लोग कहते हैं कि अन्याय कर रहे हो, फ़र्जी इन्दराज कर रहे हो, तो उनके खिलाफ़ मुकदमे चलाये जाते हैं। उनकी (नहर वालों की) अपनी अदालत होती है। गवाही की आवश्यकता पड़ती है तो पतरौल और अमीन गवाही दे लेते हैं। इस प्रकार का जो काला कानून है उसमें अगर परिवर्तन की आवश्यकता हो तो परिवर्तन किया जाय नहीं तो आदेश किया जाय कि नहर वाले इस तरह का अत्याचार न करें। कृषि का विकास तो श्रीमन् तब होगा जब आप कथित सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे नहीं तो आंकड़े आप पढ़ लें, लक्ष्य-पूर्ति आप पढ़ लें, उससे विकास नहीं होगा।

*श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय कृषि मंत्री ने सदन के समक्ष जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने हरिजनों के लिए, गरीबों के लिए, दीन-दुखियों के लिये जो धन की व्यवस्था की है उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या इसमें हरिजनों के लिए भी कुछ है?

श्री गिरजा शंकर—

सब्सीडी और छूटों में हरिजनों के लिए विशेष रूप से सहायता दी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से और आपके जरिये से माननीय मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, इस देश का और इस प्रदेश का उत्थान कृषि के उत्थान पर निर्भर करता है। लेकिन कृषि के उत्थान के दृष्टिकोण को अपना कर कृषि का उत्थान नहीं कर सकते जब तक कि औद्योगीकरण के दृष्टिकोण को नहीं अपनाते हैं। मान्यवर, औद्योगिक दृष्टिकोण अपना कर, उसकी योजना बनाकर, जिस तरह से बड़े उद्योग की स्थापना की जाती है और उसके लिए धन का, बिजली का, औजार का और दूसरी चीजों का प्रबन्ध करते हैं उसी प्रकार हम चाहते हैं कि कृषि के लिए भी व्यवस्था हो और उसके लिए खाद, बीज, पानी और एग्रीकल्चरल टूल्स जैसे सभी साधन जुटाये जायं।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे किसानों को कोई स्योरिटी नहीं है। पांच-पांच हजार, सात-सात हजार रुपया लगा देते हैं अपनी फ़सल को बढ़ाने के लिए, कृषि की उन्नति के लिए फ़र्टीलाइजर छोड़ते हैं और उनको पानी चाहिए। दैवी प्रकोप के कारण, सामाजिक कुरीतियों के कारण और उनकी फ़सल अन्य कारणों से नष्ट हो जाती है। कभी वर्षा नहीं होती है कभी बाढ़ आ जाती है और कभी उनको पानी ही सींचने को नहीं मिलता और उनकी फ़सल नष्ट हो जाती है तो उनकी कमर टूट जाती है और कई सालों के लिए वह कमजोर हो जाते हैं। यदि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि कृषि उद्योग बढ़े तो उनको कृषि बीमा योजना लाना चाहिए। जब तक कृषि बीमा नहीं होगी इस प्रदेश का किसान उन्नति नहीं कर सकता है। छोटे किसानों को जो सुविधायें दी भी जाती हैं वह नहीं मिल पाती हैं। न उनको कर्जा मिल पाता है, न आवश्यकता के लिए बीज मिल पाता है और न पानी मिल पाता है। कृषि उद्योग में आज वही लोग तरक्की कर पा रहे हैं जिनके पास साधन हैं जिनको चोरबाजारी से और उच्च अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके अच्छा बीज उपलब्ध हो रहा है। कृषि मंत्री जी से और इस सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि छोटे-छोटे जो काश्तकार हैं जिनकी पीठ और पेट एक हो गया है उनकी कुछ सहायता करें, उनको साधन दें, उन्हें कर्जे में छूट दें, उनके लिए ऐग्रीकल्चरल टूल्स की व्यवस्था करावें। मैं कृषि मंत्री जी से और विशेष रूप से इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि कृषि उद्योग में सबसे बड़ा घातक प्रहार हमारे ऊपर हो रहा है और वह यह है कि दूसरे प्रदेश के लोग अपनी जमीन बेचकर इस प्रदेश में खरीद रहे हैं। हम आशा करेंगे कि कृषि मंत्री जी इस ओर जागरूक होंगे। अगर वह चाहते हैं कि यहां का किसान किसानी करे तो उनको बाहरी आदमियों की खरीद पर रोक लगाना चाहिए। दूसरे प्रदेश के लोग अपने यहां १० हजार और १५ हजार रुपये फ़ी एकड़ जमीन बेचकर यहां पांच सौ रुपये और एक हजार रुपये एकड़ पर जमीन खरीद रहे हैं। यहां उनको सस्ता लेबर मिलता है।

आज उद्योग के मामले में यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों से पिछड़ा है। यहां ट्रांसपोर्ट का काम भी दूसरे प्रदेश के लोगों के हाथ में है। उसी तरह से यहां के किसानों के हाथ से जमीन निकल जायगी और वे भूमिहीन हो जायंगे, एक-एक दाने के लिए तरसेंगे अगर बाहर के लोग यहां जमीन बराबर खरीदते रहेंगे और उन पर रोक न लगी तो। चौथी बात, आज यह सफ़ेदपोश लोग, आफ़ीसर क्लास लोग ब्लैक मनी बनाते हैं एग्रीकल्चर को सामने रख कर। यह खेती नहीं करते हैं, केवल खेती का आडम्बर रच कर फ़ार्म खरीदते हैं और ब्लैक मनी के जरिए से धांधली करते हैं, उस पैसे को सफ़ेद में बदलते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि मंत्री जी इस ओर जागरूक हों। एक तो यह लोग टैक्स की चोरी करते हैं और दूसरे करप्शन करके काला धन पैदा करते हैं और हमारे मुंह की रोटी छीनते हैं।

श्रीमन्, मेरा डिवीजन फ़ैजाबाद है। इसके अन्दर कई जिले हैं मगर कुछ जिले बहुत पीड़ित हैं। बहराइच, गोंडा, बाराबंकी––इनमें इस साल भी तीन-चार बार बाढ़ आ चुकी है। लाखों एकड़ जमीन जलमग्न हुई है। माननीय मंत्री जी इस ओर भी कुछ व्यवस्था करने की

[श्री गिरजा शंकर]

कृपा करें। श्रीमन्, एक बात और कहनी है। विकास कार्यालयों पर हमने सारे अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। आज गांवों में ट्रैक्टर हैं, पम्प हैं, थ्रेसर है, लेकिन काश्तकार के सामने सबसे बड़ी समस्या मिस्त्री की है, मिस्त्री ढूंढ़े नहीं मिलता है। थ्रेसर खराब हो जाय तो महीनों बेकार पड़ा रहता है। तो मेरा निवेदन है कि जिस तरह से तमाम विभाग आपने ब्लाक लेबिल पर खोल रखे हैं, इस तरफ़ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं। १०-१०, ५-५ गांवों के बीच में एक ग्राम सेवक है, जिसको १५०-२०० रु० तनख्वाह दी जाती है, लेकिन न उसका कोई कार्यालय है, न कोई स्थान है, न किसान को पता है कि कहां मिलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि उनके कार्यालय स्थापित किये जायं और किसानों को उसकी जानकारी दी जाय जिससे वह वहां जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनका माननीय मंत्री जी ध्यान रखेंगे।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो बजट प्रस्तुत हुआ है माननीय कृषि मंत्री द्वारा वह हमारे देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में बहुत सहायक है, परन्तु यह दुख की बात है कि देश के अन्दर हमारी खेती के द्वारा ही हमारा आर्थिक विकास हो सकता है इस बात को अभी भी देश के नेताओं ने कम समझा है और यही कारण है कि हमारा प्रदेश देश के अन्य भागों से पिछड़ा हुआ है। काश खेती पर विशेष ध्यान दिया गया होता तो हमारा औद्योगिक विकास भी होता, आर्थिक विकास भी होता और हमारा प्रदेश देश के अन्य भागों से कहीं आगे होता। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में खेती पर अधिक बोझ है, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का चर्चा किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेती पर और भी अधिक बोझा है इसके माने हुए कि फ़ी किसान भूमि बहुत कम है। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार को ऐसी योजना बनानी होगी जिससे खेती से बोझ कम हो। लोग उद्योग-धंधों में लगें, व्यापारिक दृष्टिकोण अपनावें और नौकरी की तरफ़ जायं, तब ही खेती पर से बोझा कम होगा। वह बोझा कम होने पर ही देश का आर्थिक विकास होगा, यह सही सिद्धान्त है। मगर हमारे जो कार्य अब तक रहे वे इस तरफ़ नहीं रहे कि किस तरह से हम खेती पर से बोझ को कम करें।

पंजाब और हरियाना प्रान्तों की चर्चा हुई, मगर मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता जितना पुरुषार्थ और परिश्रम करती है उतना हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं करते हैं और जितना यह लोग करते हैं उतना पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं करते हैं। मैं इस विवाद में नहीं पड़ता कि पंजाब और हरियाना वाले ज्यादा परिश्रमी हैं, मगर इतना कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे यहां कुछ विशेष जाति वाले ऐसे लोग हैं जो हल चलाने में अपना अपमान समझते हैं। तो जिस जगह के लोग काम करने में अपना अपमान समझें, मैं नहीं समझता कि वह देश या प्रदेश कैसे तरक्की कर सकता है। जैसा कि पटेल आयोग की सिफ़ारिश भी है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने कार्य करने के ढंग को बदलना होगा। खेतीके विकासके लिये माननीय मंत्रीजी जो सहायता कर रहे हैं वह अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं, उसमें सहायता जितनी ज्यादा से ज्यादा सम्भव हो दी जानी चाहिये, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आज जो किसानों के रास्ते में रोड़े मौजूद हैं उनको दूर किया जाय। अगर पैदावार बढ़ानी है तो उनके रास्ते में जो रोड़े हैं उनको पहले दूर करना होगा। आज दिन पर दिन अधिकारियों और आफ़िसरों की तादाद बढ़ती जा रही है जिसका असर यह हो रहा है कि बजट का काफ़ी पैसा उनके वेतन और भत्तों पर ही खर्च हो जाता है और उस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब का बोझ गरीब मजदूर किसान पर ही टैक्स के रूप में पड़ता है। २० वर्षों के स्वराज्य के बाद भी आज यह देखने में आ रहा है कि काउंसिल हाऊस की गैलरीज से निकलना मुश्किल हो रहा है, कारण यह है कि किसान को सरकार की गलत नीतियों के कारण ही अपने हर काम के लिये मंत्रियों के दरवाजों को खटखटाना पड़ रहा है। जब यह मंत्रीगण और अधिकारी लोग किसान के दरवाजों को खटखटायेंगे, उन तक पहुंचेंगे, तभी किसान का भाग्य चमकेगा और यह समस्या हल होगी। आज किसान के हर काम में रोड़ा अटकाया जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसा कानून बने जिससे किसान के आर्थिक विकास में वह मदद करे।

श्रीमन्, आज किसानों को क्रशर लगाने की इजाजत नहीं है। वे अपने बीच यदि क्रेशर लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। क्रेशर लगाने पर भी तरह-तरह की पाबन्दियां लगी हुई हैं। यह इसीलिये लगा रखी हैं ताकि मिल मालिकों को सस्ते मूल्य पर गन्ना मिल सके। जब तक क्रेशर लगाने पर लगी इन पाबन्दियों को आप नहीं हटायेंगे, किसानों को अपने ही एरिये में क्रेशर लगाने की आप इजाजत नहीं देंगे, तब तक आपकी पैदावार नहीं बढ़ सकती। क्रेशर लगाने की इजाजत चाहे किसान लगाये या उससे सम्बन्धित कोई और लगाये, उसको बिना किसी रोकटोक के मिलनी चाहिये।

अब जो साधन किसानों को दिये गये हैं उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि किसान की हालत सुधरी है, उनके सामने मैं यह रखना चाहता हूं कि वे यह देखें कि आज बीज गोदामों के, सरकारी तकाबी के, नलकूप और ट्रैक्टर आदि के कितने कर्जे किसान के सर पर हैं। उससे मालूम हो जायेगा कि किसानों की आर्थिक हालत बजाय बढ़ने के गिरती जा रही है। हां, चन्द किसान हो सकते हैं जिन्होंने स्वयं कुछ साधन पहले से ही मुहइया कर लिये हों। कुछ प्रतिशत ऐसे होशियार किसान हो सकते हैं लेकिन आम तौर से ऐसे नहीं हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि किसानों को जो साधन चाहिये उसके लिये उनको रियायत देनी होगी और किसानों की जो पैदावार है उसका भाव उचित देना होगा। आज स्थिति यह है कि जब फ़सल होती है तब उसका भाव कम हो जाता है और फ़सल निकलने के बाद उसका भाव बढ़ जाता है। हमारी संविद सरकार की कुछ लोग आलोचना करते हैं लेकिन मैं सचाई के साथ कहता हूं कि इसमें नीति का नहीं बल्कि नीयत का सवाल है। संविद के समय में ही इस प्रदेश में सबसे अधिक पैदावार हुई, जिसके आंकड़े चाहे कागज में हों या न हों मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सबसे अधिक पैदावार उन दिनों में ही हुई। यह उसी तरह की बात हुई कि एक बार एक भूखा बादशाह किसी किसान के खेत पर गया और उससे कुछ खाने की मांग की तो उस किसान ने एक गन्ना तोड़ कर रस निकाला जिससे एक लोटा भर गया और वही रस उसे पिलाया। वहां से जाने पर बादशाह ने सोचा कि एक गन्ने से एक लोटा रस भर गया, इस तरह से किसानों पर और टैक्स लग सकता है। फ़िर दोबारा बादशाह उसी किसान के दरवाजे पर दूसरे साल आया और उसने कुछ खाने की मांग की तो किसान ने ५–६ गन्ने तोड़ कर रस निकाला तब कहीं लोटा भर पाया। बादशाह ने किसान से पूछा कि इसका क्या कारण है कि पहले तो एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया था और अबकी बार ५–६ गन्ने से भी लोटा नहीं भर पाया। इस पर किसान ने कहा कि हुजूर मेरी तो वही हालत आज भी है जैसी कि पहले थी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बादशाह की नीयत में कुछ फ़र्क पड़ गया है। बादशाह की नीयत से ही पैदावार कम होती है। जब हमारे नेता की निगाह है कि किसान पर अधिक से अधिक टैक्स लगे तो पैदावार कम होती जायेगी। संविद सरकार के ११ महीने में खरीफ़ और रबी की पैदावार के लिये दैवी कृपा से वर्षा भी अच्छी रही। मैं कहता हूं कि नेता के लिये आवश्यक है कि उसकी नीयत साफ़ होनी चाहिये। जिस दिन नीयत साफ़ हो जायेगी हमारे देश का आर्थिक विकास हो जायेगा और मैं समझता हूं कि उसी दिन इस देश का कल्याण हो जायेगा।

[श्री रामचन्द्र विकल]

उपाध्यक्ष महोदय, हरी क्रान्ति की बात मैंने सुनी। मैं समझता हूं कि हमारे लिये वह दुर्भाग्य का दिन होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि इस हालत को बदला नहीं गया तो हरी क्रान्ति नहीं बल्कि खूनी क्रान्ति होगी और इसे कोई रोक नहीं सकेगा। बीस साल के अन्दर किसानों की जमीन लेने में अनेकों पक्षपात हुए हैं। लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट के अन्तर्गत किसानों की जमीन जबरदस्ती सस्ते दामों पर ले ली जाती है और किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती। एक तरफ़ आप किसानों से अपनी पैदावार बढ़ाने का नारा देते हैं और दूसरी तरफ़ टैक्स के रूप में उस पर बोझ लादते जाते हैं। पैदावार तभी बढ़ेगी जब आपकी नीयत साफ़ हो, आपकी नीति साफ़ हो। किसानों की फ़सल का बीमा आप क्यों नहीं कराते? एक बार सरकार कैरों ने यह प्रस्ताव किया था कि किसानों की फ़सलों का बीमा होना चाहिये लेकिन दिल्ली की सरकार ने उसे इन्कार कर दिया। आज सौभाग्य से केन्द्र के खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम ने कहा है कि किसानों की फ़सलों की बीमा के सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से मशविरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री उनको यह सलाह दें कि किसानों की फ़सलों का बीमा होना जरूरी है। किसानों की फ़सलों का बीमा होने से दैवी आपदाओं में किसानों की मदद होगी। इस वक्त अनेक दैवी आपदायें किसानों के ऊपर रहती हैं, साथ ही किसान सरकार की नीति सम्बन्धी आपदाओं के भी शिकार आये दिन रहते हैं जिससे प्रदेश का वैज्ञानिक विकास और आर्थिक विकास रुका पड़ा है। कुछ आंकड़ों को लेकर माननीय भानु प्रताप सिंह और कृषि मंत्री जी झगड़ रहे थे, मैं उसमें नहीं पड़ता हूं और न मैं उस आंकड़े को जानता ही हूं। लेकिन वास्तविक बात मैं कहना चाहता हूं कि वास्तविक और व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा जबकि आप किसानों के पास जायेंगे तो उसका क्या दुख दर्द है उसे समझ सकेंगे।

अभी कुछ विभागों के समन्वय की बात हो रही थी। वह बात होती है कि कृषि से सम्बन्धित सिंचाई विभाग होना चाहिये। अगर माननीय कृषि मंत्री जी को और विभाग मिले, मुझे डर है कि पूरा मंत्रिमंडल बनेगा, एकाध विभाग कम न हो जाय। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि विभागों का इस तरह समन्वय हो जिससे कि एक दूसरे को जोड़ कर काम हों। विशेषकर खाद्य और सिंचाई विभाग को मिला कर काम होना चाहिये जिससे गांवों में जाकर उनकी कठिनाइयों को दूर करें जो उन पर बोझ पड़ रहा है रिश्वत का, काम रोकने का, रोने लगने का। मैं ऐसे उदाहरण जानता हूं कि किसानों को समय निकलने पर भी चीजें लेने को मजबूर किया जाता है। खाद लेने पर बीज जरूर लेना होगा। कहीं कहते हैं कि खाद जरूर लेनी होगी। समय पर बीज, समय पर पानी, समय पर खाद, ये सब तो उन्हीं लोगों को मालूम हो सकता है जो इसके बारे में जानते हों। हमारे कृषि मंत्री कृषि के विशेषज्ञ हैं। उन्हें खेती के बारे में जानकारी है। मगर ऐसा न हो कि ये जानकारी ही जानकारी रह जाय। इसको कुछ व्यावहारिक भी बनाया जाय और वह तभी होगा जब आप किसानों के पास जाकर बैठेंगे। मैं समझता हूं कि इससे किसान हमारे देश का ऊंचा होगा, किसान का काम ऊंचा होगा और मंत्री जी हमारे इस प्रदेश के सच्चे कृषि मंत्री कहलायेंगे और तब मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश का कल्याण होगा।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, मैं माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा जो अनुदान इस सम्माननीय सदन में पेश किया गया उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जो हमारे देश में हरी क्रान्ति हुई है इस तथ्य को तथा इस सत्य को सबको स्वीकार करना ही चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश में, श्रीमन्, जहां सन् १९५०–५१ में १७० मीट्रिक टन गल्ला पैदा होता था आज १९६९–७० में १८८ मीट्रिक टन गल्ला पैदा होने की आशा की जाती है। हाल में हमारे केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री जगजीवनराम जी ने विश्वास के साथ घोषणा की है कि हमारा देश सन् १९७०–७१ तक अन्न के मामले में आत्म निर्भर हो जायेगा। श्रीमन्, भारतीय कृषि वास्तव में कौशल, तकनीकी

व वैज्ञानिक तरीकों, प्राकृतिक परिस्थितियों और मानवीय साधनों का एकीकरण है। इन तमाम चीजों को देखते हुए हमारी सरकार तथा हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने प्रयास, अपने सुझाव और कृषि उन्नति के लिये सभी तरीके अनुदान में पेश किये ह। श्रीमन्, किसान को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध होना, अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधायें मिलना और उर्वरक खादों का मिलना तथा ट्रेक्टर आदि और अच्छे तथा सस्ते ब्याज पर कर्जे का प्राप्त होना आज के समय में सबसे जरूरी हो गया है। श्रीमन्, ननीताल जिले की तराई क्षेत्र की हरी क्रान्ति को सारे प्रदेश में इस समय सबसे उत्तम गिना जाता है किन्तु वहां के काश्तकारों को विद्युत् तथा सिंचाई सुविधा प्राप्त करने के मामल में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जब कि तराई बहुत उपजाऊ जगह मानी जाती है वहां की भूमि बहुत उपजाऊ है। वहां अगर बिजली सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाय तो वहां पर सिंचाई के लिये वहां के किसान नलकूप योजना से बना सकेंगे। साथ ही शासन को भी अधिक से अधिक सिंचाई के लिए तराई भावर में नलकूप बनाने चाहिये। कुछ और अधिक नलकूप बनाने से वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायं तो छोटे किसान भी अच्छे से अच्छी सिंचाई के साधन प्राप्त कर के वे अच्छी पैदावार पैदा कर सकते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पिछले साल संविद सरकार के जमाने में खाद और बिजली व सिंचाई की सबसिडी बन्द कर दी गई मेरा निवेदन यह है कि वह पुनः चालू की जाय। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इसकी प्रार्थना मन्त्री जी से की है। इसके अतिरिक्त आज कल जो ऋण किसानों को दिये जाते ह वह हसियत देख कर हैसियत प्रधान के रूप में दिये जाते हैं परन्तु मेरा नम्र निवेदन है कि भविष्य में किसानों को दिये जाने वाले ऋण हैसियत प्रधान न हो कर आवश्यकता प्रधान होने चाहिये।

(इस समय ४ बज कर २६ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यदि इस आधार पर किसानों को ऋण दिया जायगा तो छोटे काश्तकार भी भूमि में उत्पादन सम्बन्धी निर्माण के कार्य आसानी से कर सकेंगे। पर्वतीय प्रदेश में आय का एक मुख्य साधन फलोत्पादन भी है परन्तु खेद है कि इस ओर सरकार ने बहुत ही नगण्य और कम ध्यान दिया है। आज के फलोत्पादन में पचास साल पीछे का हिमांचल प्रदेश कुमायूं उत्तराखंड से फल विकास में आगे बढ़ गया है। मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि फलोत्पादन और फलों के बगीचों के विकास के लिये आवश्यक है कि वह अलग से इसके लिये एक विभाग बनायें जिस को एक मंत्रिस्तर का व्यक्ति देखे ताकि फलोत्पादन का समुचित विकास हो सके। पर्वतीय प्रदेश में अधिक से अधिक लोग इस कार्य में लग सकते हैं और अपनी आर्थिक दशा सुधार सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पर फ़लोत्पादन विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी लोग हैं वे मैदानों से जाते हैं जो पर्वतों के फल पैदा करने के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते और उसका फल यह होता है कि वह वहां फलों के उत्पादन बढ़ाने में ये कर्मचारीगण ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होते। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि वहां के हाई स्कूल, इन्टर-मीडियेट कालेज और डिग्री कालेजों में फलोद्यानिक के रूप में इस तरह के डिप्लोमा कोर्स चालू किये जायं जहां उन्हें पर्वतीय फलों के उत्पादन और उसके विकास की शिक्षा दी जाय और उनको ही पर्वतीय क्षेत्र में सेवा करने का अवसर दिया जाय। इसी तरह से वहां फलोत्पादन की दिशा में बहुत अच्छा कार्य हो सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय प्रदेश की भूमि संरक्षण की समस्या की तरफ़ भी दिलाना चाहता हूं वैसे वहां बहुत दिन से यह योजना चलाई जा रही है। लेकिन वहां यह भूमि संरक्षण योजना बिलकुल नगण्य-सी रह गई है जब कि वहां भूमि संरक्षण के कार्य को बहुत तेजी से हल करने की जरूरत है। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अतिरिक्त हाल में एक तराई विकास निगम स्थापित किया गया और इसके लिये विश्व बैंक की तरफ़ से भी २० करोड़ रुपया मिला है लेकिन तराई विकास निगम के भावर क्षेत्र को न जोड़ कर इस निगम के कार्य क्षेत्र में बड़ी कमी रह गई है, इस तरह से

[श्री डंगर सिंह बिष्ट]
भावर क्षेत्र पीछे रह जायगा और भावरी क्षेत्र शामिल नहीं किया गया तो वहां का विकास नहीं हो सकेगा। इस तराई विकास निगम में इस समय बड़े-बड़े फ़ार्म होल्डर्स ने ही तीन तीन, चार चार लाख के शेयर खरीद लिये हैं, पन्त नगर यूनिवर्सिटी के दस लाख के शेयर हैं इस तरह से तराई भावर में ९० प्रतिशत तो छोटे किसान हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री इस निगम के अन्तर्गत इन छोटे किसानों के हितों की समस्याओं की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देने की कृपा करगे। इसके अतिरिक्त एक कृषि उद्योग निगम भी है और माननीय सदस्य जानते हैं कि वह भी एक व्यपारिक तरीके से काम करता है। यह कृषि उद्योग निगम भी छोटे काश्तकारों की पहुच के बाहर है।

इस निगम के संचालक मंडल में पन्तमगर विश्वविद्यालय के ५ सदस्य उपकुलपति, चेयरमैन सहित हैं और इसके अलावा ६ बड़े बड़े फारमर हैं संचालक पद के खड़े होने के लिये १००) के कम से ५० शेयर खरीदना जरूरी है एसी हालत में तराई भावर का किसान निगम से लाभ नहीं उठा सकता है उसकी निगम में कोई आवाज ही नहीं होगी तो उसको लाभ कैसे प्राप्त होगा? सौ रुपये वाले प्रत्येक शेयर होल्डर को संचालक मंडल में खड़ा होने का अधिकार होना चाहिये उपकुलपति को विश्वविद्यालय का काम बहुत है उनको अध्यक्ष नहीं बनना चाहिये।

माननीय गुप्त जी, मुख्य मंत्री, की कृपा से रामगढ़ में एक फल संरक्षण केन्द्र बनाया गया था जो १२ वर्ष पूर्व चालू हुआ था, किन्तु पिछले साल इस केन्द्र को कृषि उद्योग निगम को सरकार ने तीन साल के लिये दे दिया लेकिन कृषि उद्योग निगम इस फल संरक्षण केन्द्र, रामगढ़ से जन साधारण के लिये कोई सहूलियत नहीं दे पाया और मेरी जानकारी में निगम ने इस केन्द्र में छोटे बगीचे वालों को कोई सहूलियत नहीं दी है। जो भी फायदा हुआ हो वह पूंजीपतियों का ही हुआ होगा। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रामगढ़ के केन्द्र को पुनः सरकार अपने हाथ में ले ले और पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक फ़ल संरक्षण केन्द्र स्थापित करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती शांति देवी (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ी हुयी हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे साथी जो उधर बैठने वाले हैं, उनका ध्यान कृषि की उन्नति की ओर जाता ही नहीं है और न वे कृषि के बारे में ज्ञान ही रखते हैं। मैं नहीं जानती कि ये पूंजीपति लखनऊ से या विलायत से होकर चले आ रहे हैं।

कृषि में जितनी उन्नति हुयी है, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे माननीय सदस्यों की बातें सुनते हैं जितनी बातें हम लोग उन्हें यहां बता देंगे, उससे बता देगें, उससे उनको पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। जितनी हम लोगों के पास सूचना हो, वह सब हमको माननीय मंत्री जी को बता देनी चाहिए।

जहां तक खाद का सम्बन्ध है वह किसानों को ठीक समय पर नहीं मिलता है। खाद की कीमत भी आपने १० प्रतिशत बढ़ा दी है। १८ पैसे बिजली के आपकी सरकार ने कर दिए हैं।

आपने ब्लाकों में एक-एक ट्रेनिंग सेन्टर खोल रखा है। लेकिन श्रीमन्, आप देखें कि वहां वे लोग क्या करते हैं। जब काश्तकार उनके पास खाद या बीज लेने जाता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, तकावी का रुपया बाकी तो नहीं है। इन बातों को तहसील से लिखवाने में काश्तकार का बहुत समय नष्ट हो जाता है तब बी० डी० ओ० या उसके कार्यालय के कर्मचारी रुपया मांगते हैं तब जाकर किसान का काम हो पाता है।

हमारे ब्लाक में एक बी० डी० ओ० और प्रिंसिपल की लड़ाई चल रही थी। वहां पर काश्तकारों के ऊपर मुकदमे चलाये जा रहे हैं और उन्हें जेल में भेजा जा रहा है।

जहां तक ट्यूबवेल्स को बिजली देने का प्रश्न है आपने यह कह रखा है कि जब तक बी० डी० ओ० और ग्राम सेवक यह नहीं लिखेगा कि बोरिंग हो चुकी है तो बिजली नहीं दी जायगी। एक आदमी बोरिंग कराने के बावजूद भी जब बी० डी० ओ० के पास फार्म पर हस्ताक्षर कराने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है तो वे हस्ताक्षर कराने को तैयार नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि १०० दो, २०० दो या ३०० दो। तो यह आप ने नाहक में काश्तकार के ऊपर बोझ लाद दिया है। होना यह चाहिए कि जिसका बोरिंग तैयार है, फौरन् बी० डी० ओ० और ग्राम सेवक को लिख देना चाहिए। हमारे यहां के एक केस में, माननीय मंत्री जी की सूचना के लिए बता देना चाहता हूं, एक गांव प्रधान के यहां पर ६ महीने से बोरिंग हो चुका था और वह बिजली पाने क लिए बी० डी० ओ० के पास फार्म पर हस्ताक्षर कराने को जाता है। एक महीने तक बराबर वह जाता रहा लेकिन हस्ताक्षर करने के बजाय उसको उल्टी डांट पिलायी और मार लगवायी। वह हमारे पास आया तो हमने कहा कि भाई वह अफसर हैं उनको राजी कर लो वे हस्ताक्षर कर देंगे। उसके खिलाफ रपट दायर की गयी और आज तक उनके खिलाफ कोई कायवाही नहीं की गयी और न उस बी० डी० ओ० का ट्रांसफर ही किया गया। ये सब बातें आज हो रही हैं जिन की ओर इस सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

खेती के सम्बन्ध में पूर्व के लोग कहते हैं कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हो ? क्योंकि मेहनत नहीं करते, खाद और बीज अच्छा नहीं डालते। उत्तर में यही कहा जायगा कि तुम्हारे लिये अच्छे बीज और खाद की व्यवस्था कर रखी है। संकर मक्का, ताइचून धान, गेहूं में आर आर २१,३०८,३३१ आदि दे रखे हैं उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो। पूर्वी और पश्चिमी इलाके में कुछ नहीं है। जमीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ है लेकिन ये ल ग मेहनत नहीं करते। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन पैदावार इसलिये नहीं बढ़ती कि खाद और बीज समय पर नहीं मिलता। अगर खाद और बीज समय पर मिल जाय तो फिर प्रदेश इतना पिछड़ा न रहे।

बिजली का यह हाल है सहसवान में कि वहां एक भी ट्यूबवेल नहीं बना है। फिर दो बड़ी नदियां हैं महाबा और बड़ी गंगा। वहां टोंटपुर, सुकर्रा में दो बांध पहले से बने हुए हैं और तीसरा और बनाया जा रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सोवनपुर, गंगरहा, तहसील गुन्नौर, जिला बदायूं में जहां बांध की आवश्यकता है वहां पर नहीं बनाया जा रहा है। इससे हजारों गांव वहां गर्क हो गये। सरकार को पता ही नहीं चलता कि उसका काम कहां होना चाहिये और कहां नहीं होना चाहिये। जरूरत इस बात की है कि जो लोग उधर बैठे हैं वे केवल हां हां ही न करें बल्कि उनको सरकार को इस बात का सुझाव देना चाहिये कि यह गलत बात हो रही है, इसको इस तरह से सही किया जाय। सरकार उसकी फिर जानकारी करेगी। आप स्वयं सोचिये कि अगर काश्तकार को अच्छा बीज, अच्छी खाद और पानी समय पर नहीं मिलेगा तो उत्पादन कैसे बढ़ सकेगा ? बीज तब दिया जाता है जब बुवाई का समय निकल जाता है, खाद भी समय से नहीं मिलती और वहां ब्लाक्स में बी० डी० ओ० पालिटिक्स लड़ाया करते हैं, उनके खिलाफ न कोई ऐक्शन होता है, न उनका ट्रांसफर होता है, हम लोग चिल्लाते रह जाते हैं कि खाद, बीज और पानी वक्त से नहीं मिल रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नतीजा यह है कि उत्पादन कैसे बढ़ सकता है ? खाद, बीज और पानी समय से देने की व्यवस्था की जाय और ट्यूबवेल लगाये जायं तभी उत्पादन बढ़ सकेगा। अगर यह सब व्यवस्था हो जाय फिर भी, उत्पादन न बढ़े तब काश्तकार की गलती कही जा सकती है।

बिजली के लिए ट्रान्सफार्मर जो लगाया जाता है वह बराबर चोरी चला जाता है और उसकी जिम्मेदारी काश्तकार पर रखी जाती है कि जब काश्तकार साढ़े ३ हजार रुपया जमा करेगा तब दूसरा ट्रान्सफामर लगाया जायगा। हमारे यहां ऐसे केसेज हुए हैं कि काश्तकार ट्यूबवेल पर सोता रहा, उसे बांध कर के जान से मार दिया गया और ट्रान्सफार्मर उठा ले गये। तब काश्तकार से जिम्मा ले लिया जाता है। होता यह है कि विभाग वाले ही चोरी करवाते हैं। एक बार गिरधारीलाल जी गये थे तो उनको लिख कर दिया गया था कि इतना सरिया और ता

[श्रीमती शांतिदेवी]

चोरी हुआ है और फिर ४, ५ मन तार पकड़ा भी गया। विभाग के कर्मचारी उसमें शामिल थे। ट्रान्सफार्मर पर हर आदमी इसलिये भी चढ़ने को तैयार नहीं होगा क्योंकि बिजली से आम आदमी डरता है। अब काश्तकार के ऊपर जिम्मेदारी आप रखते हैं तो वह कैसे जिम्मेदारी ले सकता है ?

कहा जाता है कि बी० के० डी० की सरकार बड़ी बुरी थी लेकिन आज भी काश्तकार उसे याद कर रहे हैं। हमारे चौधरी साहब ने यह किया कि शहरों की भी पूर्ति की और किसानों को भी लाभ पहुंचाया। ८५ रुपये फी क्विंटल बड़े काश्तकार से लिया जबकि बाद में ४० रुपये में गेहूं बिका जिससे खरीदने वाले को भी सुविधा हुई। हम चाहते हैं कि काश्तकार के अनाज के दाम निश्चित होने चाहिये। यह नहीं कि फसल पर ६० रुपये क्विंटल बिक रहा है और फसल निकलते ही १०० रुपये दाम हो गया। इस तरह से काश्तकार कभी सुखी नहीं हो सकता ।

अन्त में मैं आप को धन्यवाद दे कर अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री राम कुंवर (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि मैं जो इस सदन में एक नया आदमी आया हूं तो मुझे भी आपने बोलने का मौका दिया। मैं अपने कृषि मंत्री के द्वारा जो अनुदान संख्या २१, २२, २३ तथा ४६ सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं उनके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। खेती के सम्बन्ध में जो कार्य सरकार के माध्यम से हुए हैं मैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है जहां ९० फीसदी लोग खेती पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खेती में हमारी सरकार के माध्यम से काफी तरक्की हुई है। मैं पिछले समय की बताना चाहता हूं कि जहां पहल बरेली में मिल का सड़ा हुआ चोटा ८ महीने किसानों को पीने के लिये मिलता था आज यह हालत है कि उस चोटे का कहीं पता नहीं है कि वह कहां चला गया ? इसके अलावा अगर खेती में तरक्की न हुई होती तो सस्ते गल्ले की दूकानों पर जहां पहले होड़ लगी रहती थी वहां आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमारे विरोधी पक्ष के लोग भले ही इस अनुदान की आलोचना करें और हमारी बहुत-सी कमियों को भले ही सामने रखें लेकिन जितने साधन हमारे पास थे उनसे हमने खेती में बड़ी तरक्की की है, इसमें कोई शंका नहीं है।

खेती के लिये तीन चीजों की विशेष आवश्यकता होती है, बीज, खाद और पानी। इन तीनों चीजों में किसानों को काफी सुविधा मिली है। यह जरूर है कि जितनी हमें आवश्यकता है वह तो पूरी नहीं हो सकी फिर भी हमने जो साधन उपलब्ध थे उनसे खेती में काफी तरक्की की है हमारे पूर्वी जिलों में लोग गन्ने का कच्चा रस गरम करके पीते थे। वह चीज करीब-करीब खत्म सी है। हमारे विरोधी पक्ष का बड़ा महत्व है। इस मुल्क की जिम्मेदारी केवल इस पक्ष के लोगों के कन्धों पर ही नहीं बल्कि इस पक्ष से ज्यादा उस पक्ष के लोगों की है। उनकी सब से बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वे ऐसे सुझाव दें जिनके माध्यम से हम तरक्की कर सकें। केवल हमारे कामों की आलोचना करना ही आप का काम नहीं है। उधर के एक भी साथी ने इस तरह का सुझाव सरकार को नहीं दिया कि आपके बजट में इस तरह की कमी है, उसको पूरा किया जाय, इस प्रकार से कर लगाया जाय, किस काम को रोका जाय और किस काम को बढ़ावा दिया जाय। ऐसा न कर के हर बात में आलोचना ही की जाती है। आप अपने क्षेत्र में यह वायदा करके तो आये ही होंगे कि हम उचित सलाह सरकार को देंगे और पिछड़े मुल्क को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप ने यहां आकर ऐसा कुछ नहीं किया, कोई उचित सलाह नहीं दी, जो इस सरकार को माननी ही पड़े।

जब संविद सरकार बनी तो लोगों को उनसे बहुत बहुत आशायें थीं। किसानों ने नारा लगाया कि अब सरकार किसानों के हाथ में आ गयी। लेकिन उसने आते ही किसानों को जो बिजली की सुविधा मिली हुई थी, उसको भी वापस ले लिया। सस्ते दामों पर मिलने वाला पानी मंहगा कर दिया, बीज जो अच्छा और कम दाम पर मिलता था, उसको भी मंहगा कर दिया।

चौधरी साहब आजमगढ़ जिले में गये थे। हम लोगों ने उनको एक प्रस्ताव पास करके दिया कि हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, खेती के अलावा हमारा और कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिये बिजली के कनेक्शनों में हम लोगों को सुविधायें दी जायं। चौधरी साहब ने हम लोगों को सलाह दी कि पक्के कुएं बनाओ और ऊंट लगा कर हांको। मैं नहीं समझ सका था कि आज के युग में जबकि हम तीन-तीन फसल जमीन से लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ऊंट और रहट से प्रगति कर सकते हैं। हम चौधरी साहब के बंगले पर दुबारा गये। उन्होंने हमारे एक मित्र को बांह पकड़ कर उठाया और कहा कि यहां क्यों बकवास करने आये हो। भला बिना पानी के किस प्रकार से काश्त हो सकती है, यह हमारी समझ में नहीं आया। इसलिये मालूम होता है कि विरोध पक्ष का काम केवल विरोध करना ही है।

आजमगढ़ की आबादी ३० लाख है। १४.५ लाख एकड़ खेती के योग्य भूमि है जिसमें से १० लाख एकड़ में खेती होती है। साढ़े चार लाख एकड़ पोखरों, सड़कों आदि में निकल जाती है। वहां पर तीन आदमियों के पीछे एक एकड़ जमीन आती है। खेती के अलावा वहां जीवन निर्वाह के लिये और कोई उद्योग धंधा नहीं है। चौधरी साहब से कई बार सुना है कि केवल खेती के ऊपर गांवों की तरक्की नहीं हो सकती। केवल खेती पर गुजर करने वाले पिछड़े हुए ही रहते ह। लेकिन हमारे यहां के ९०-९५ फीसदी लोग जमीन पर ही भार रखे हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आजमगढ़ जिले में इस तरह की सुविधायें दी जायं कि वहां जल्दी से जल्दी तरक्की हो सके। वहां पर उद्योग धंधे लगाये जायं। बिजली के कनेक्शन से थोड़ी सुविधा हुई है। मैं चाहूंगा कि वहां के लोगों को बिजली के कनेक्शन की सुविधा ज्यादा से ज्यादा दी जाय। दो हजार लोग अपने पैसे से मोटर और लाईनिंग आदि का खर्च उठाकर बिजली लगवाने के लिये तैयार हैं। मैं निवेदन करूंगा कि दो हजार काश्तकारों को अगर बिजली दे दी जायगी तो हमारे जिले की खाद्य समस्या हल हो जायेगी। मेरा जिला पिछड़ा हुआ जिला है, वैसे तो पूर्वी जिले इस प्रदेश के सभी पिछड़े हुये हैं, लेकिन मेरे जिले की विशेष स्थिति है। जब पटेल आयोग हमारे यहां आया तो हम लोगों ने समझा कि हमारे भाग्य का फैसला होने जा रहा है। लेकिन हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया और वह प्लान अधूरा रह गया। हमारी क्या कमियां हैं और हमें क्या सुविधा मिलेंगी, यह सब किताब में ही रह गया। पटेल आयोग में चार जिले थे लेकिन मैं आप के द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि इनमें सारे पिछड़े जिलों को शामिल कर लिया जाय और उसकी सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाय, यदि आप लोग चाहते हैं कि पूर्वी जिलों का कल्याण हो।

मैं छूट की व्यवस्था के संबंध में एक बात कहना चाहूंगा। उसमें यह होता है कि काश्तकार को ऋण दे दिया जाता है और जब एक निश्चित अवधि में काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद छूट की बात आती है और वह इसलिये नहीं मिल पाती है कि इस हेड में पैसा नहीं रहता है। अगर ४/५ साल बाद छूट मिलती है तो उससे ज्यादा सूद ले लिया जाता है। इससे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होता है। इसलिये इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिय कि समय पर उनको रुपया मिल जाय।

इसके अलावा एक बात और है कि गांवों में जो बंजर और परती जमीन पड़ी हुई है उसके लिये नियम और कानून बना कर हरिजनों तथा भूमिहीनों में उसका वितरण कर दिया जाय। वह जमीन बच नहीं सकती है क्योंकि बड़े-बड़े लोग उस जमीन को हड़पने क प्रयत्न

[श्री राम कुंवर]

में बराबर लगे रहते हैं। इसलिये मैं कृषि मंत्री तथा अन्य मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि इसको कोई कानून की शकल दे दी जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय कि उसका बंटवारा भूमिहीनों में कर दिया जाय। यह बड़ा सुन्दर और उचित काम होगा। इससे खेती में प्रगति होगी।

श्री महेन्द्रसिंह (जिला अलीगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन पर हमारे सभी सदन के साथियों ने अपने विचार रखे हैं और तरह-तरह की बातें सामने आई हैं। यह सर्वविदित सत्य है कि अन्न पैदा करने के वास्ते सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता होती है इसके बाद सिंचाई और खाद की आवश्यकता होती है। हमें यह देखना होगा कि हमारे प्रदेश में बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहां की जमीन कहीं ऊंची कहीं नीची है, कहीं कटान होता है और कहीं बाढ़ आती है तो सर्वप्रथम हमें इन दिक्कतों को दूर करने के बारे में सोचना होगा और उसके बाद हमें यह देखना होगा कि जो जुताई के हमारे साधन हैं हल, बैल, ट्रैक्टर आदि हमारे किसानों ने पिछले दिनों से बड़ी मेहनत की है और यह सत्य है कि हमारे यहां की पैदावार बढ़ी है। उसके पास कुछ पैसा भी इकट्ठा हो गया है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। हमारे बहुत से साथी इस बात को कहते हैं कि हमारे किसानों की हालत बहुत अच्छी हो गई है। मैं मानता हूं कि कुछ अच्छी हुई है लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि उसके साथ-साथ जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं उनकी हालत में भी फर्क आया है या नहीं। अगर उस अनुपात से किसान की हालत में अन्तर आया है तब तो आपकी बात बिलकुल ठीक है लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर किसान एक से दुगना मालदार हुआ है तो व्यापार करने वाला एक से दस गुना मालदार हुआ है। दोनों के अनुपात में बहुत बड़ा अन्तर है। मिसाल के तौर पर मैं अपने मुरादाबाद जिले की बात बताता हूं। १९४० या ४२ के लगभग अमरोहा में गन्ने की मिल लगी थी। उसके मालिक सेठ कुंदनलाल जी थे। उससे पहले बिजनौर में एक मिल लगी थी, उसमें कुंदनलाल जी पार्टनर थे। वहां से आकर उन्होंने अमरोहा की मिल खरीदी। उस वक्त फैक्टरी की हालत बहुत खराब थी। थोड़ा-सा गन्ना पेरती थी। आज तकरीबन २० साल बाद उनकी इस प्रदेश के अन्दर ६, ७ फक्टरियां हैं तो आप मुकाबला करें। जो फैक्टरी के एक हिस्से का मालिक था, वह आज छः सात फैक्टरियों का मालिक है। किसान खाली भर पेट रोटी खाने लगा है, कपड़ा सफेद पहनने लगा है, कुछ ईंटें लगाकर मकान बना लिया है। यह बात अपनी जगह पर सही है लेकिन फिर भी यह सब कुछ होने के बाद क्या हम मान लेंगे कि हमारा किसान उतनी तरक्की कर गया है, जितनी तरक्की की हम आशा रखते हैं, जितनी पैदावार बढ़ाने की हम आशा रखते हैं क्या उतनी पैदावार बढ़ गई है? हमारा सूबा आसपास के कई सूबों से पिछड़ा हुआ है पैदावार के मामले में। इसके आंकड़े आपके पास मौजूद हैं। हम को दूसरे सूबों की तरह से अपने किसान को आगे बढ़ाना होगा और उसके अन्दर जो चीजें बाधक हैं उनको दूर करना होगा।

खेती करने के वास्ते किसान को कृषि यंत्रों की आवश्यकता है, अच्छे हल बैल की जरूरत है ट्रैक्टर की जरूरत है। कुछ लोगों ने इस बीच में ट्रैक्टर तो खरीद लिये हैं इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है लेकिन ट्रैक्टर खरीदने के बाद आप जानते हैं कि गांवों में मैकेनिक नहीं हैं जो उनकी देख-भाल (service) कर सकें। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब कोई मेकनिक ट्रैक्टरों को देखने आए और अगर उसमें कुछ खराबी हो जाय तो समय पर उसको ठीक कर दे। किसान इस बात को समझता नहीं। थोड़ी-सी खराबी आ जाती है और वह उसको चलाता रहता है। वह खराबी बढ़ती जाती है और थोड़े दिन बाद उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है।

श्री अध्यक्ष--

आप अभी और बोलना चाहते हैं ?

श्री महेन्द्र सिंह (अलीगढ़)--

पांच मिनट और दें ।

श्री अध्यक्ष--

पांच मिनट कल देंगे ।

श्री महेन्द्र सिंह (अलीगढ़)--

बहुत अच्छा । मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बोलने के लिए समय दिया ।

शिवसहाय इंटर कालेज, गुरगौला, जिला फतेहपुर के छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब, नियम ५१ के अन्तर्गत १० सूचनाएं मेरे पास आई हैं, उनमें से एक ही में मंजूर कर सकता हूं, जो सबसे ज्यादा महत्व की हो । तो मैंने सर्वश्री रामचरण त्रिपाठी, राजितराम पांडेय व रामपूजन पटेल की स्वीकर किया है जो चौधरी शिव सहाय इंटर कालेज, गुरगौला, जिला फतेहपुर के छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बारे में है । इसको मैं १६ तारीख के लिए रखता हूं, जिस दिन प्रेसीडेंट का यहां पर चुनाव है, शायद उस दिन कोई काम नहीं होगा, इसलिये उस दिन आसानी से यह हो जायगा ।

बाढ़ के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

इसके अलावा क्योंकि कल के लिए बहुत हैं, परसों भी बहुत हैं व १५ को छुट्टी है । एक सर्वश्री रामगोपाल सण्ड, त्रिवेणी सहाय व कन्हैयालाल सोनकर का है, जो प्रयाग के एतिहासिक किले को बाढ़ से खतरा होने के संबंध में है, १४ तारीख को बाढ़ संबंधी जितन प्रश्न आए हैं, उसमें मैंने इसको शामिल कर लिया है क्योंकि उस दिन राजस्व मंत्री का बाढ़ के संबंध में वक्तव्य होगा । बाढ़ के बारे में सारे प्रश्न उसी दिन हो जायेंग । सर्वश्री फिरंगी व रामनिहोर का एक है--गोरखपुर की तहसील सदर में राप्ती एवं गोरा नदियों की बाढ़ से निकटवर्ती गांवों को खतरा के बारे में, यह भी बाढ़ क बारे में है । एक श्री मनोहरलाल जी का है बलिया बरिया बांध में ५० कुट लंबी दरार पड़न क विषय में । तो इन सबको एक साथ वह सूचना दे देंगे । अगर आवश्यकता हुई तो एक रोज में यदि नहीं हो पाया तो आगे के लिये कर दूंगा और नियम ५२ में इस तरह की चीज कर दूंगा ।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक सर्वश्री रामसागर व कृष्णस्वरूप वैश्य का हरिजन छात्रों से जुलाई की फीस का अनिवार्य रूप से लिए जान के बारे में, इस पर व अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें। एक श्री विजय बहादुर सिंह का मिरजापुर नगर में बिजली सप्लाई कंपनी क प्रबन्ध क विरुद्ध जनता के असंतोष

[श्री अध्यक्ष]

पर है, इस पर भी वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा जानकारी कर लें। मोहनजाल कपूर का है मेरठ नगर के माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के छात्रों द्वारा इंटर में पुनः ४ विषय करने के आन्दोलन पर, इस पर भी वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें तो उचित होगा। श्री शंकर प्रसाद जायसवाल का गोस्वामी तुलसी दास हाई स्कूल, पडरौना, देवरिया के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य को पुलिस द्वारा आतंकित किए जाने पर है, इसमें यदि प्रश्न पूछ लें, तो अच्छा है। श्री मोतीलाल देहलवी व श्री रामपाल सिंह यादव का प्रश्न विद्यार्थियों के विद्यालयों में प्रवेश न होने से उत्पन्न स्थिति के विषय में है, इस पर भी प्रश्न कर लें। श्री अली जुर्रहमान का लखनऊ में शिया-सुन्नी झगड़े के कारण उत्पन्न स्थिति से संबंधित है। इस पर भी प्रश्न कर के जानकारी कर ली जाय।

(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

जो मैंने नियम ५१ में प्रश्न दिया है, उससे मैं मुख्य मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी एक प्राइवेट (व्यवधान). एक प्राइवेट कंपनी है और वहां के एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं श्री राम जी माहेश्वरी उनको १३ नए पैसे पर बिजली दी है कंट्रैक्ट द्वारा।

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर प्रश्न पूछ लीजिएगा।

श्री विजयबहादुर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उन पर राज्य विद्युत परिषद् का नौ लाख रुपया बकाया है। (व्यवधान) इसके लिये आप समय दें आज मिर्जापुर नगर में तीन दिनों से बिजली बन्द है और नगर में अंधेरा है। ऐसी सूरत में मैं आप से अनुरोध करता चाहता हूं कि आप यह सोचें कि किस तरीके पर वहां १३ नए पैसे पर बिजली दी है जब कि हम से ४० पैसे शुल्क लिया जा रहा है। उन पर नौ लाख रुपया बकाया है, इसलिए वहां पर डिसकनेक्शन कर दिया है। सारे मिर्जापुर नगर में अंधरा है इसलिये मेरा अनुरोध है कि ऐसी सूरत में माननीय उपमुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

सुल्तानपुर जिले में एक आदमी ने कोआपरेटिव में लाखों रुपये का गबन किया है। वह वहां पर सुपरवाइजर था। उसके संबंध में श्रीमन्, मैंने प्रस्ताव दिया था वह इस सूची में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

क्योंकि वह मेरे पास नहीं आया था इसलिये वह सूची में नहीं है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, कल की तारीख में नहीं दे पाया था क्योंकि देर हो गई थी। इसलिए वह प्रस्ताव मैंने आज की तारीख में दिया है।

श्री अध्यक्ष—

वह देर से आया है।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने नियम ५१ के अन्तर्गत जो प्रश्न स्वीकार किया है वह स्कूल के अन्दर गोली चलने से संबंधित है। उसी तरह के लगभग समान दो प्रश्न और हैं। इनमें से एक फतेहपुर में एक जगह पर स्कूल में गोली चली है और दूसरा पडरौना, जिला देवरिया के एक स्कूल में जाकर पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार किया और अध्यापकों को स्कूल में घुसने नहीं दिया है। श्रीमन्, यह एक से सवाल हैं। इसमें यह प्रश्न उठता है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है या नहीं? श्रीमन्, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री नित्यानन्द जी आप कृपया इन लोगों को बिठाइए।

एक सदस्य—

मान्यवर, हमने आपको एक प्रस्ताव दिया था मोतीलाल देहलवी और राम पाल यादव के नाम से। कृपया यह बतला दें कि वह स्वीकार किया या नहीं। (व्यवधान)।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, यह आपके आदेश से बैठ रहे हैं। आप यह बतला दें कि आपने इनका प्रस्ताव विचारार्थ लिया या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

मैं वायदा नहीं करता हूं। माननीय सदस्य मेरे कमरे में आएं और मुझ से बात कर लें।

(व्यवधान)

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

राजधानी में जहां हम लोग बैठे हुए हैं वहां की यह स्थिति है कि यहां पर अखबारों के कालम के कालम सियाह किये जा रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी हुकुम इंतिनाई जारी करके मौलाना इल्मी वगैरह को रोक रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति पर विचार न होगा तो फिर किस बात पर विचार होगा?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, लखनऊ में शिया-सुन्नी के मामले में रूल ५२ के अन्दर मैंने तथा कुछ और माननीय सदस्यों ने आप के पास सूचना भेजी थी। अभी तक हमें उम्मीद थी कि कोई न कोई सुलह हो जायेगी लेकिन अभी यूनिस सली। साहब जो आए थे वे नाकाययाब होकर चले गये हैं। ऐसी स्थिति में अब आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार से पूछ कर कोई दिन तय कर दें जिस दिन इस मामले पर विचार हो सके।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

श्री तुलसीदास स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अन्दर पुलिस ने कई लोगों को दिनांक ३ की रात में गिरफ्तार किया। वहां के सहायक अध्यापक को गिरफ्तार किया गया। पहरे पर रहनेवाले २ चौकीदारों को गिरफ्तार किया। वहां के मैनेजर को गिरफ्तार करने के पश्चात् श्रीमन्, प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी के लिये पुलिस गई। वे घर पर अनुपस्थित थे। उनकी जीप पर ड्राइवर सोया हुआ था। उस पर ८७/८८ की कार्यवाही हुई। उसको उठाकर थाने पर ले जाया गया और अध्यापकों को भी विद्यालयों में प्रवेश नहीं करने दिया। विद्यालय की स्थिति दयनीय होती जा रही है। इस प्रकार से विद्यामंदिरों में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये लेकिन पुलिस अब १०७/११७ की रचना कर रही है कि किसी भी प्रकार वहां के प्रधानाचार्य और वहां के प्रबन्धक, सात-सात लोगों को फंसाकर उसमें प्रवेश न होने दिया जाय। श्रीमन्, वहां के कुछ सज्जनों से मिल कर पुलिस यह सब रचना कर रही है और यदि आप चर्चा के लिये समय देंगे तो मैं बताऊंगा कि किनकी सांठ-गांठ से पुलिस विद्यालय में अनधिकार रूप से अतिक्रमण कर रही है और उनकी अधिकार सीमा का अपरहरण कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक ही प्रश्न ले सकता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसीलिए मैंने श्रीमन्, आपसे प्रार्थना की थी कि पुलिस जहां-जहां दखल दे रही है शिक्षा संस्थाओं में उन सबके ऊपर वक्तव्य हो जाय। शिक्षा संस्थाओं में पुलिस को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अब यह नहीं हो सकेगा।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मने दफ़ा ५२ के अन्तर्गत चर्चा उठाने की मांग की थी और वह यह थी कि गैरशिक्षक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मेडिकल कालेज और विश्वविद्यालय विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। वहां पर पैथालोजी डिपार्टमेंट जहां पर यूरिन और स्टूल टेस्ट होते हैं सब बन्द हैं जिसके कारण मरीज बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि कल से विद्यार्थी लोग भी उनके समर्थन में हड़ताल पर चले जायं क्योंकि आज विद्यार्थियों की मीटिंग में जो फ़ैसला हुआ वह इस बात के लिये हुआ है। ह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसके ऊपर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। उस दिन जब चर्चा हुई तो उस जी० ओ० के बारे में प्रश्न उठा था सो अब मंत्री जी को वाकफ़ियत हो गई थी। १३ मई, १९६८ को वह जी० ओ० हुआ है। उसमें कहा गया है कि उन गैरशिक्षक कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर भत्ता दिया जायगा। इस बात की जब उनको जानकारी हो गई तो फ़ैसला क्यों नहीं अब लिया गया? पता नहीं यहां लखनऊ में क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाय। इसलिये आप नियम ५२ के अन्तर्गत इसके लिये समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा था कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो वह चर्चा हो गई। माध्यमिक विद्यालयों के गैरशिक्षक कर्मचारियों के बारे में यहां पर चर्चा हो गई। उन सब बातों का उत्तर आपको मिल गया। अब नियम ५२ को लेने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उस पर एक दिन चर्चा हो गई है। सरकार का दृष्टिकोण आपको मालूम हो चुका है। अब मैं बार-बार उसी प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री डी० पी० बोरा—

उस समय तो हड़ताल होने वाली थी लेकिन अब वह हड़ताल होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। विषम परिस्थिति हो गई है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा था कि वक्तव्य दिला दीजिए तो हम कोशिश करेंगे।

श्री डी० पी० बोरा—

माननीय मंत्री जी की तरफ़ से कोई प्रयास नहीं हुआ है। जब उनको मालूम हो गया कि सरकार की तरफ़ से ऐसा जी० ओ० निकला है तो उनकी तरफ़ से कोई प्रयत्न होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था। यदि आप उसको नियम ५२ में नहीं स्वीकार करते हैं तो उसको ५१ में ही स्वीकार कर लें क्योंकि स्थिति बहुत कठिन उत्पन्न हो गई।

मथुरा जिल में वायुयान द्वारा चीनी साहित्य। गिराने, झांसी के निकट तालबेहट में पैराशूट के अन्दर मशीन मिलने तथा चीन को बिस्कुट सप्लाई करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

१ अगस्त, १९६९ को प्रातः ग्राम मुड़ेसी, थाना कोतवाली, मथुरा में स्कूल जाते बच्चों ने एक पौलीथीन का बहुत बड़ा-सा गुब्बारे के आकार की चीज खेतों में फ़ैली हुई पड़ी देखी। बच्चों ने गांव वालों को सूचित किया और स्टेशन मास्टर, मुड़ेसी तथा श्री बाबूलाल प्रधान ने इस सब सामान को सुरक्षित करा लिया। बाद में पुलिस और सेना के अधिकारियों को सूचना दी गई और घटनास्थल पर पहुंच कर उन्होंने (सेना अधिकारियों ने) सभी चीजें अपने कब्जे में ले लीं। मौके पर सेना तथा पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित चीजें मिली—

(१) एक पौलीथीन का गुब्बारा।

(२) दो बैट्री जिन पर अंग्रेजी में 'मेड इन यू० एस० ए० मार्क्स रजिस्ट्राडा बर्जेस वेदरप्रूफ़ एफ़० ए० बी० पी० जनरल परपज' अंकित है।

(३) दो शीशी जिसमें कोई घोल है।

(४) दफ्ती का पेकिंग केस जिसमें दो खाने हैं। एक में कोई मशीन लगी है एवं दूसरे में पाऊडर जैसी कोई वस्तु है। यह दफ्ती का डिब्बा फ़ोम के डिब्बे में रक्खा हुआ है।

(५) चीनी भाषा में लिखे पेम्फ़लेट जिसमें जनरल चांगकाई शेक का फ़ोटो है।

गांव वालों को यह भ्रम हुआ था कि शायद उपरोक्त सब सामान हवाई जहाज से पौलीथीन के पैराशूट द्वारा गिराया गया है और इसी कारणवश यह अफ़वाह फ़ैल गई कि यह चीन द्वारा गिराया गया कोई यंत्र है। परन्तु अब यह निश्चित मत है कि यह एक पौलीथीन का गुब्बारा ही है, पैराशूट नहीं है।

[श्री शक्ति प्रपन्न शर्मा]

अब तक की जांच से यह ज्ञात हो सका है कि जो मशीन पाई गई है, वह मौसम जानने के लिये छोड़े जाने वाले मैट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट के गुब्बारों में लगी मशीन जैसी है, पर कोई निश्चित निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है और सेनाधिकारी जिसके पास यह सारा सामान है, छानबीन कर रहे हैं। चीनी भाषा के पैम्फलेट का अनुवाद कराया जा रहा है। यह पैम्फलेट कम्युनिस्ट चीन का नहीं बल्कि राष्ट्रवादी चीन (के०एम०टी) का प्रतीत होता है।

दिनांक ३ अगस्त, १९६९ को एक बड़ा सा पौलीथीन का गुब्बारा और एक कार्डबोर्ड का बक्सा जिसके अन्दर एक विशेषप्रकार का डिब्बा जिस पर नम्बर ०५०६० पड़ा है एवं जिसमें दो बैट्रियां भी थी झांसी जिले के खंडेसारी और मोदू ग्रामों के बीच जो कि तालबेहट थाने के अन्तर्गत है, पाया गया। संपूर्ण सामान पुलिस अधिकारियों ने अपने कब्जे में लेने के पश्चात् सैनिक अधिकारियों को दे दिया। सैनिक अधिकारी जांच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पाई गई मशीनें मौसम से संबंधित हैं और किसी मौसम के दफ्तर से उड़ाई गई होंगी। उन्होंने यह भी बतलाया कि इसके कुछ कलपुर्जे खोए हुए हैं। पुलिस अधीक्षक, झांसी ने भारतवर्ष के संबंधित मौसम के दफ्तर को सूचित कर दिया है कि उनके जिले में एक गुब्बारा पाया गया है।

इसी प्रकार का एक और गुब्बारा जिसमें विशेष प्रकार के डिब्बे पर ०५०६१ अंकित है पाह गांव जो कि बानपुर थाने के अन्तर्गत जिला झांसी में है ३ अगस्त, १९६९ को प्राप्त हुआ। इनके भी कुछ कलपुर्जे गायब थे।

झांसी में गिरे दोनों गुब्बारों से प्राप्त मशीनों की प्रारंभिक जांच से सेनाधिकारियों का यह मत है कि यह मौसम की जानकारी हेतु उड़ाए गए मेट्रोलाजिकल गुब्बारे हैं और इसमें कोई शत्रुओं का हाथ नहीं है।

कानपुर स्थित एक बिस्कुट कम्पनी से चीन को बिस्कुट भेजे जाने के संबंध में अलग से वक्तव्य दिया जायगा।

श्रीमन, दूसरा वक्तव्य भी पढ़ दूं ?

दैनिक 'जागरण' कानपुर दिनांक १० जुलाई, १९६९ में इस आशय का समाचार छपा था कि कानपुर की २०० बिस्कुट फैक्टरियों का ६० प्रतिशत उत्पादन पिथौरागढ़ हो कर नैपाल जाता है और वहां से चीनी सेना को भेजा जाता है।

इस बारे में की गई छानबीन से मालूम हुआ है कि कानपुर से बिस्कुट नैपाल तथा इस प्रदेश के अन्य पहाड़ी जिलों को भेजे जाते हैं। किन्तु यह कथन सही नहीं प्रतीत होता कि कानपुर की २०० बिस्कुट फैक्टरियों का ६० प्रतिशत उत्पादन नैपाल व पिथौरागढ़ जाता है। जांच से यह भी मालूम हुआ कि कानपुर की कुछ बड़ी फैक्टरियां अपने उत्पादन का लगभग २५ प्रतिशत बिस्कुट पहाड़ी जिलों तथा नैपाल को भेजती हैं। पिथौरागढ़ में फौज तथा अन्य सरकारी कार्यालय होने के कारण बिस्कुट की काफी खपत है। कुछ ट्रांसपोर्ट कम्पनियां कानपुर से टनकपुर तक बिस्कुट ले जाती हैं तथा टनकपुर से पिथौरागढ़ तक बिस्कुट कुमांऊ रोडवेज द्वारा भेजे जाते हैं। इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि पिथौरागढ़ से नैपाल हो कर चीनी सेना को बिस्कुट सप्लाई किये जाते हैं। सरकार को इस आशय की भी कोई सूचना नहीं मिली है कि नैपाल को भेजे गये बिस्कुट चीनी सेना को भेजे जाते हैं। भारत से नैपाल को बिस्कुट भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

कार्यक्रम ९ पर माननीय सुखपाल जी का प्रस्ताव था। उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी को वक्तव्य देना था।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने मेरे पास लिखा है कि यह कई विभागों में गया हुआ है। पहले गया स्वायत शासन मंत्री के यहां। उनका यह नहीं था। उसके बाद और जगह गया। अब यह घूमते-घामते उनके पास आया है और वे कहते हैं कि दो तीन दिन की मोहलत उन्हें दी जाय। वह मैंने दे दी है।

श्री मैनेजर सिंह---

यह प्रश्न सीधे शिक्षा मंत्री जी से संबंधित था। यह इधर-उधर क्यों घूमा, श्रीमन इसकी भी जांच करें।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)---

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां यह सामान गिरा वहां से मिलिट्री पड़ाव कितनी दूर है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

जहां यह सामान पाया गया वहां से मथुरा नजदीक है। एक छोटा-मोटा मिलिट्री स्टेशन है जो नजदीक है। इसी तरह से झांसी से नजदीक एक मिलिट्री स्टेशन है। यह तालबेहट का मामला है जहां पाया गया है। उधर मिलिट्री स्टेशन है।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा वक्तव्य से मालूम हुआ कि किसी वस्तु पर लिखा हुआ 'मेड इन यू०एस०ए०'। इन सारी चीजों को देखने से ऐसा कोई आभास सरकार को नहीं मिला कि इनमें किसी अमेरिकन ऐजेन्सी का हाथ तो नहीं जो देश के लिये खतरा उत्पन्न करने वाली हो?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

प्रदेश की सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे प्रदेश की सरकार इन तमाम निष्कर्षों को निकाल सके। न तो उनको इस बात की जानकारी हो सकती है कि कोई हवाई जहाज आया कि नहीं आया, और न यह कि हवाई जहाज से ये चीजें गिरीं। प्रदेशीय सरकार के पास यह जानने का भी कोई साधन नहीं है कि ये चीजें मिलिटरी स्टेशन को नजर में रख कर गिरायी गयीं। यह जो बातें इस वक्तव्य में बतलायी गयी हैं ये सेना के विशेषाधिकारियों द्वारा जांच की गयी हैं और उनके द्वारा बतायी गयी हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो प्रश्न गुब्बारे वाला चल रहा है उसके दो पार्ट हैं।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था क्या है?

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् मैं बड़ी कह रहा हूं। मिलिट्री के पास इंक्वायरी के लिये गया। एक पार्ट तो सदन के सामने रख दिया कि इंडस्ट्रियल्स मट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड थे। दूसरे पार्ट के लिये जब नित्यानन्द जी ने कहा तो आपने व्यवस्था दी कि यह मिलिट्री से संबंधित है इसलिय उत्तर नहीं दिया जायगा।

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब यह सारा मामला मिलिट्री के स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया गया है तो सदन में यह नहीं आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह सामान गिरा इसकी सामान्यतः उन्होंने सूचना दी और चूंकि जांच वह नहीं करा सकते थे इसलिये मिलिट्री के पास भेज दिया गया। वह पढ़कर उन्होंने सुना दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

जवाब यह है कि सब का सब मिलिट्री के पास भेज दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है उसको देखने से यह लगता है कि नामुकम्मिल जांच के आधार पर यहां पर अनिश्चित वक्तव्य दिया गया है। तो मेरा निवेदन यह है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको मुल्तवी कर दें और मंत्री जी को यह आदेश दें कि मुकम्मिल जांच करने के बाद उत्तर दें तो यहां प्रश्न भी नहीं उठेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह नहीं मानता हूं कि प्रश्न नहीं उठेंगे। प्रश्न उठेंगे।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

यह जो पैम्फलेट गिरे हैं चीनी भाषा में है और उसमें च्यांकाई शेक की फोटो है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उसमें क्या छपा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अभी मैंने बताया कि जो सामान गिरा था वह फौज के अधिकारियों के पास भेज दिया गया है क्योंकि उसका संबंध फौज से है। वही इसको डिसाइफर करावेंगे और सूचना देंगे कि क्या वास्तविकता है। उसमें कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो सिक्योरिटी आफ इंडिया से संबंध रखती हों और अगर वह मेरे पास आवेंगी तो मैं सदन के सामने रखने में असमर्थ रहूंगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

दोनों घटनायें छावनी के करीब हुई हैं। मथुरा में जो घटना हुयी वह भी स्थान मिलिट्री पड़ाव के करीब है और तालबेहट में भी जहां पर यह घटना हुई वह स्थान छावनी के पास है। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इन घटनाओं को महत्व देते हुये भारत सरकार के सुरक्षा मंत्री से बात करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मेरे पास जो सूचना है वह केवल इन्हीं दो घटनाओं की नहीं है बल्कि एक और है और वह घटना भी ऐसी है कि जिसमें जो सामान गिरा है उसमें भी च्यांकाइ शेक की तस्वीर है। अधिकारियों का कथन यह है कि च्यांकाई शेक की जो गवनमेंट है वह अपने इंगलैंड, अब चाइना कम्युनिस्ट के हाथ में है, प्रोपेगन्डा के लिये इसको वितरित करती है, कराती है और उसके कुछ

भाग इसमें भी हो सकते हैं कि आगये हों। परन्तु जिन दो चीजों के बारे में वक्तव्य दिया गया है उसके बारे में मुझे खासतौर से बताया गया है कि यह मेटालाजिकल विभाग से संबंध रखता है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

३ तारीख को मैं स्वयं तालबेहट था। मैंने स्वयं मशीन को देखा डी० एम० को मैंने फोन पर कहा। उन्होंने कहा कि २ रु० इसकी सूचना देने वाले को मिलता है। मौसम संबंधी मशीन है और कुछ नहीं है।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह था कि यह सामान—तालबेहट के बाबत तो मैं नहीं कहता, लेकिन मथुरा के सिलसिले में जो सवाल यहां आया उसमें साफ यह लिखा हुआ है कि यह सामान वायुयान के जरिये से गिराया गया। इसका जवाब जो बयान में दिया गया है उसमें नहीं है कि गिराया कैसे गया। बात यह है कि यह सामान पड़ा हुआ पाया। सवाल यह है कि इसकी जांच हुई या नहीं कि यह सामान वहां कैसे आया, वायुयान के जरिये या किसी और तरीके से यह बात बड़ी रेलेवेन्ट है। अगर मेटरोलाजिकल डिपार्टमेंट ने मौसम की जानकारी के सिलसिले में भेजा तो वायुयान के जरिये से नहीं होगा। सवाल यह है कि वायुयान के जरिये गिरते हुये लोगों ने देखा। यह चन्द्रपाल जी आजाद ने लिखा जिनके यहां का मामला है। तो ताज्जुब की बात है, जो जवाब दिया गया उसमें यह बात नहीं है कि वायुयान से गिरा या नहीं। डी० एम० ने जो रिपोर्ट भेजी है वह उस मामले में बिलकुल गैर मुकम्मल है। दूसरी बात, च्यांग काई शेक की तस्वीर है, इससे यह अन्दाज लगाना बिलकुल गलत होगा कि नेशनेलिस्ट चायना की तरफ से आया। मुल्कों की तरफ से जो स्पाइंग होती है तो वह सीधे तरीके से थोड़े ही करते हैं। हो सकता है कि च्यांग काई शेक की तस्वीर भी हो और कम्युनिस्ट का भी कोई मेंब भी हो। तो यह कम्प्लेसेन्सी नहीं होनी चाहिये कि फारमोसा का है, तैवान का है। वह यहां क्यों भेजता? जो अन्दाज है वह यह है कि कम्युनिस्ट चायना का है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुख्य मंत्री जी फिर इसकी इंक्वायरी करायें और डी० एम० से यह पूछा जाय कि वायुयान का जिक्र उन्होंने क्यों नहीं किया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई वायुयान अगर बाहर के आते हैं तो वह ट्रैक किये जाते हैं और केन्द्रीय सरकार के डिफेन्स डिपार्टमेंट ने राडार सिस्टम बना रखा है जो यह बता देता है कि कहां किस समय किस हाइट पर हमारे देश में हवाई जहाज उड़ रहा है। यदि विदेश का हवाई जहाज इधर आता है तो राडार सिस्टम से हमें पता चल जाता है और हमारे जहाज उसका पीछा करते हैं, उसको गिराने की चेष्टा करते हैं। इसीलिये राडार सिस्टम का जाल चीन की हरकतों को देखते हुये बिछाया गया है तो जो सूचना हमारे पास है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि अगर किसी हवाई जहाज ने इन चीजों को गिराया होता तो फौज के अधिकारी नहीं कहते कि मैटरोलाजिकल डिपार्टमेंट द्वारा मौसम जानने के लिए छोड़ा गया बैलून है। वह बता सकते थे कि अमुक समय पर अमुक हवाई जहाज दिखाई दिया और हमारे जहाजों ने अमुक जहाज का पीछा किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको पढ़कर सुनाये देता हूं। इसमें यह है कि गांव वालों को यह भ्रम हुआ था कि शायद उपरोक्त सब सामान हवाई जहाज से पोलीथीन के पैराशूट द्वारा गिराया गया है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

इसी कारण वश यह अफवाह फैल गई कि चीन द्वारा गिराया गया कोई यंत्र है। परन्तु अब यह निश्चित मत है कि वह एक पोलीथीन का गुब्बारा ही है, पैराशूट नहीं है। जो यह उत्तर दिया है उन्होंने, इसी के हिसाब से आप लोग प्रश्न पूछिये ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

जो पालीथीन का गुब्बारा और मशीन पायी गयी है, क्या सरकार ने मेट्रोलाजिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स से यह जानकारी प्राप्त की है कि इसके द्वारा किस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा किये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह मैट्रोलाजिकल विभाग किस तरह से वैदर कंडीशन्स को जानने के लिये किन-किन इंस्ट्रूमेंन्ट्स को इस्तेमाल करता है उसकी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की गयी है। और न ही यह प्रदेशीय सरकार का विषय है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो चीनी भाषा में साहित्य पाया गया है, आज ८ दिन के बाद भी उसका ट्रांसलेशन आपके पास नहीं आया, इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सभी प्रकार की सूचना फौज, प्रदेशीय सरकार को नहीं देती, और उसे देना भी नहीं चाहिये ।

श्री जगदीश गांधी—

इसमें एक तो मशीन मिली है जो मैट्रोलाजिकल विभाग को भेज दी गयी, लेकिन जो पैम्फलेट हैं वह वहां किस लिये भेजे गये हैं ? उनको मंगाकर क्या सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

पैम्फलेट्स चीनी भाषा में लिखे हैं, हमारे पास ट्रांसलेशन करने वाले एक्सपर्ट्स नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार के पास तो हर भाषा के ट्रांसलेटर्स और इन्टर प्रेटर्स आदि रहते हैं। वही इसके लिये उपयुक्त एजेन्सी भी है। इसलिये हमने उन्हीं को भेज दिया ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो जानकारी दी गयी है वह बिलकुल नामुकम्मिल है और ऐसी हालत में हम अंधेरे में हैं और कैसे कोई सवाल कर सकते हैं क्योंकि जब इनको किसी चीज की कोई जानकारी ही नहीं है ऐसी नामुकम्मिल जानकारी अगर सदन को न देते तो अच्छा था। यह ऐसा प्रतिरक्षा संबंधित मामला है कि कोई उत्तेजना यहां नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी मुकम्मिल सूचना मंगा कर यहां दें, ताकि उस पर कोई प्रश्न हम कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा लगता है कि आपका विश्वास अपनी फौज में नहीं है। जो सूचना फौज वालों ने दी वह उन्होंने दे दी। फौज का काम है सुरक्षा करना, इसलिये यह सब उनके पास भेज दिया गया। इस पर ज्यादा प्रश्न करना अनुचित है। क्योंकि यह सब कार्य फौज

ही करती है मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि उनको मैं कहूं कि फौज वाले इंक्वायरी करें और आप उनके सुपीरियर आफिसर हैं। यह चीज नहीं हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री महीलाल—

श्रीमन्, मेरी जानकारी है कि जो सूचना सरकार के पास आई है वह जिलाधीश द्वारा लिखकर नहीं आयी है बल्कि एस० पी० द्वारा लिख कर आयी है। क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलान की कृपा करेंगे कि जिलाधीश मथुरा के यहां से जो रिपोर्ट आयी है वह जिलाधीश की रिपोर्ट है या वहां क एस० पी० की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मेरे पास जो सवाल आते हैं, उनका जिन अधिकारियों से संबंध होता है, उन्हीं से सूचना प्राप्त करके उसका जवाब संबंधित अधिकारी हमारे यहां भेजते हैं। इस कस में जिलाधीश से जवाब मिला है और सूचना मंगा कर उन्होंने हमार पास भजी है साथ ही उनका कर्तव्य होता है कि संबंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करक हमारे पास सूचना भेजें।

श्री अध्यक्ष—

अब इसको समाप्त करें और आगे चलें। अब इलाहाबाद वाला मामला चलेगा। माननीय विरोधी दल क नेता इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। अध्यक्ष महोदय .....

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, माननीय मोती लाल जी, चीन को जाने वाले बिस्कुट के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहते हैं लकिन आपन एक भी प्रश्न करने की उस पर इजाजत नहीं दी। जो वक्तव्य दिया गया उसमें लिखा है कि नैपाल को जो सामान या खाद्य सामग्री जाती है उसमें बिस्कुट भी शामिल है जिस अखबार का हवाला दिया गया है उसमें लिखा है कि चीनी लोग अपनी खाद्य सामग्री नेपाल से खरीदते हैं और हमारा यह बिस्कुट जो वहां जाता है वह भी वहां की खाद्य सामग्री के साथ चीनी लोगों क पास पहुंच जाता है। लेकिन उसके बारे में भी आप कोई सवाल नहीं करने देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, इसलिये उ ने मैंने समाप्त कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह बहुत ही अहम मसला है और यह देशद्रोहिता की हद तक जाता है। इसलिये इस पर आप सवाल करने दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखें, बात यह है कि आप उस दायरे में चले गये। वे कहते हैं कि नैपाल को बिस्कुट जाता है। अगर उन्होंने यह सूचना दी है तो इस पर आप प्रश्न कर लें। आप हमें लिखित प्रश्न दें तो मैं उसका उत्तर दिलवा दूंगा। अगर इसको चैलेंज करेंगे तो उसके ऊपर विवाद हो सकता है लेकिन प्रश्न किसी ने पूछा नहीं और न इस पर चर्चा की इसलिये मैंने उनको समाप्त कर दिया उसको समाप्त करने के बाद विरोधी दल के नेता को मैंने बुलाया है, अब वे बोलेंगे।

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप एक माननीय सदस्य को बुलाते हैं। उसके बाद आपकी आज्ञा के विरुद्ध दूसरे माननीय सदस्य बोलना शुरू कर देते हैं और उनको आप सुनना शुरू कर देते हैं, जवाब देना शुरू कर देते हैं। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप यह आदेश दें कि आपकी आज्ञा के बिना कोई सदस्य बोले तो वह प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

इस पर चर्चा होनी चाहिये। कितना इन्कम्पलीट जवाब दिया गया है। अगर माननीय मुख्य मंत्री को अपने जवाब पर विश्वास है तो इस तरह का कथन किसी राष्ट्रप्रेमी मुख्य मंत्री का नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि आज इस प्रश्न पर चर्चा नहीं होगी। अगर आप इस विषय पर चर्चा नहीं कराना चाहते तो मैं वाक-आउट करता हूं।....

(श्री मोती लाल देहलवी, सदन त्याग कर चले गये।)

इलाहाबाद में श्री रामकृष्ण राय की गोली से मृत्यु तथा नगर महापालिका कर्मचारियों द्वारा मल्लाहों पर गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा—(क्रमागत)†

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने कल सी० आई० डी० की रिपोर्ट के सिलसिले में जो अपना वक्तव्य दिया उसके आरंभ में एक बात कही और वह बात उन्होंने इस आशय से और इस इरादे से कही कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट उनके हक में है, गवर्नमेंट के हक में है। हमारे जो आरोप हैं या जो कथन है वह बिलकुल असत्य है, क्योंकि सी० आई० डी० की रिपोर्ट है लिहाजा सही है और मेरे गृह मंत्री रहने का और चीफ़ मिनिस्टर के अनुभव का भी उन्होंने जिक्र किया कि आप तो जानते हैं कि सी० आई० डी० की रिपोर्ट कितनी सही होती है। यह रिपोर्ट आई है, सही है। ननु नच किये बिना इसको स्वीकार कर लिया जाय। मैं इसके सिलसिले में कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि सी० आई० डी० की रिपार्ट आमतौर पर काबिले-इत्मीनान होती है। जनता में यह विश्वास बना रहा है अंग्रेजों के जमाने में और बाद में भी बना रहा लेकिन अब वह विश्वास मिट रहा है कि कलेक्टर बेइंसाफ़ी नहीं करेगा। कलेक्टर में बड़ा विश्वास रहा गांवों के लोगों का कि कलेक्टर साहब हमारी बात सुनेंगे। जब किसी आदमी को शिकायत आर्डिनरी पुलिस से होती है तो तकाजा या डिमांड यह की जाती है कि सी० आई० डी० के जरिये जांच करा लें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्त और दूसरे माननीय मित्र जो उस तरफ़ बैठे हैं, से यह कहना चाहता हूं कि बहुत नहीं तो इतना है कि वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†११ अगस्त, १९६९ की कार्यवाही से।

विश्वास धीरे-धीरे उठता जा रहा है और करीब-करीब उठ चुका है। धीरे-धीरे अफ़सरों को, पुलिस को भी, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स को पोलिटिकल मोटिवेशन दिया जा रहा है। उनको यह सिखाया जा रहा है कि, बजाय इसके कि यह कहें कि सबके साथ निष्पक्ष रहो। कांग्रेस और गैर-कांग्रेस दलों के लोगों के साथ कोई इम्तयाज न हो और सबको एक दृष्टि से देखो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसे तरीके से यह बात की जा रही है कि कांग्रेस वालों के साथ दूसरा बरताव होगा और गैर-कांग्रेसी लोगों के साथ दूसरी तरह का होगा। यदि माननीय गुप्ता जी चाहें तो मैं उनके मकान या दफ्तर में जाकर अनेक इस तरह की बातें मैं बता सकता हूं लेकिन उसमें लम्बा समय लगेगा और अगर आप कहें तो यहीं पर दो तीन मिसालें दे सकता हूं। धीरे-धीरे यह बात हो गई है कि जहां तक गैर-कांग्रेसी लोगों का ताल्लुक है उनके लिये कानून कायदे पूरे तरीके से मानने की जरूरत नहीं है। मैं २-३ बातें बताए देता हूं। पहली बात तो यह है कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी की बात कही गई कि वह होगी लेकिन उससे पहले ही उन्होंने बयान पहले दे दिया और जो बयान आपने दिया सी० आई० डी० इन्क्वायरी, एक एक शब्द वैसा ही उसमें आ गया। जब कि बयान आपने पहले ही दे दिया तो फिर सी० आई० डी० इन्क्वायरी कराने से क्या फ़ायदा। रिपोर्ट उसी तरह की आनी थी ही, वह आ गई क्योंकि एक बात जब चीफ़ मिनिस्टर ने कह दी तो किस की हिम्मत है कि उनका वह समर्थन न करे और दूसरी बात कहे। ९ मई की पायनियर की रिपोर्ट है—

"By Our Staff Reporter, Lucknow, May 8. The C. I. D. enquiry into the firing in Tiliarganj a suburb of Allahabad yesterday will be completed within three or four days. Disclosing this to newsmen Mr. C. B. Gupta, Chief Minister, said that Mr. V. S. Jain, S.S.P. (CID) has proceeded to Allahabad to conduct the probe. He said that the question of ordering a judicial enquiry would arise only after the completion of the CID enquiry. The Chief Minister said that the police inspector had shot at Mr. Ram Krishna, Secretary of the City B.K.D. in self defence. Narrating the official version of the incidence, he said that Mr. Ram Krishan, who had built a house and encroached upon the road in 1966 had lost all appeals, even at the Commissioner's level, against the Municipal Corporation's objection to the construction of the house, but Krishna had threatened to shoot down any one who came to demolish the building. When Mr. Krishn came to know that the Corporation Squad had gone to demolish his building he hurried to the spot in a cycle rickshaw and fired with a gun two shots, one hitting his son and the other wounding a corporation overseer. When he took aim at the police inspector, the police officer fired in self defence and to save others and overpowered him. The condition of the overseer is stated to be serious, the Chief Minister added."

इसका तर्जुमा भी मैं किए देता हूं। तीन या चार दिन में इलाहाबाद के पास के तिलियरगंज की गोलीकाण्ड की रिपोर्ट, सी० आई० डी० इन्क्वायरी की पूरी हो जायेगी। पत्रकारों को बताते हुए मुख्य मंत्री जी ने बताया कि वी० सी० जैन, एस० एस० पी०, सी० आई० डी० इलाहाबाद जांच करने के लिये जा चुके थे। उन्होंने कहा कि जूडिशियल इन्क्वायरी का प्रश्न केवल सी० आई० डी० की जांच के बाद ही उठेगा। उन्होंने यह भी कह दिया कि पुलिस इंसपेक्टर ने राम किशन पर अपने बचाव में गोली चलाई थी जो कि बी० के० डी० के मंत्री थे। मामले का सरकारी वर्जन बताते हुए उन्होंने कहा कि राम किशन जिन्होंने एक मकान बनाया था और सड़क पर सन् ६६ में अतिक्रमण किया था और सारी अपीलें म्युनिसिपल कारपोरेशन के खिलाफ़, वह कमिश्नर के स्तर तक हार चुके थे। लेकिन राम किशन ने, जो भी मकान गिराने आयेगा उसको शूट करने की धमकी दी थी। जब श्री राम कृष्ण को मालूम हुआ कि मकान गिराने वाला कारपोरेशन का दल उनके मकान को गिराने गया है, वह एक साइकिल रिक्शा में वहां पहुंचे और एक बन्दूक से २ गोली उन्होंने चलाई, एक गोली उनके पुत्र के लगी और दूसरी

[श्री चरण सिंह]

एक कारपोरेशन के ओवरसीयर के लगी। जब उन्होंने पुलिस इंसपेक्टर के ऊपर निशाना साधा तो पुलिस आफ़िसर ने अपने बचाव में गोली चलाई ताकि सब बच जायं और इस तरह से उनको काबू में कर लिया। मुख्य मंत्री ने कहा कि ओवरसीयर की हालत नाजुक है। ओवरसियर की जो हालत थी वह बताई गई लेकिन उसकी जो हालत थी, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। एक्जेक्टली उन्हीं लाइन्स पर रिपोर्ट आई मऊनाथ भंजन की। हमने कहा कि इसकी जुडिशिएल इन्क्वायरी होनी चाहिए तो आपने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह तो पोयलटिकल रायट है और यह भी कहा कि चूंकि हबीबुर्रहमान साहब खून के धब्बे वाले कपड़े बांध कर आ गए इसलिए रायट हो गया। जहां पर १०-११ आदमी मरे हों और हजारों को चोटें आयीं हों, उसकी आपने जुडिशियल इन्क्वायरी न कराकर एक अधिकारी को भेज दी और जिसने यही रिपोर्ट भेज दी जो आपने कहा था। सी० आई० डी० के इंसपेक्टर, श्री जैन, की भी रिपोर्ट आ गई है। कहीं ऐसा हो सकता है कि सी० आई० डी० विभाग की रिपोर्ट चीफ़ मिनिस्टर की रिपोर्ट से अलग हो? आपने प्रिजुडिस और प्रिजज कर दिया है, इसलिए सी० आई० डी० की रिपोर्ट काबिले इत्मीनान नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी।

मान लीजिए कि आप बयान न देते और सी० आई० डी० की रिपोर्ट या पुलिस की रिपोर्ट या किसी की भी औफ़िशिएल रिपोर्ट को सही मानकर चलना था तो जनाब की क्या जरूरत है। लिहाजा यह मानकर चलना कि नीचे से जो रिपोर्ट आ गई, सही होगी, गल्ती होगी। आपको सोचना चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है वह सही है या नहीं। मान लीजिए एक लड़की अपनी असमत के सिलसिले में एक बयान देती है तो ज्यादा संभावना उसके बयान के सही होने की है बजाय एक इंसपेक्टर के जो उसके खिलाफ़ बयान देता है। ह्यूमन कन्डक्ट है कि अगर कोई अफ़सर अपने सबोर्डिनेट या अपने भाई की ताइद में कोई बयान देता है तो आपको सोचना चाहिये कि कहीं यह अपने सबार्डिनेट को तो नहीं बचाने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमेन वीकनेसेज ह केवल यह मानना कि जो भी रिपोर्ट आए सही होगी ठीक नहीं है। मुरादाबाद के बारे में कहा गया कि वहां के लोगों में बड़ी खुशी हुई कि ३ गुंडे मारे गये। लेकिन हुआ क्या कि यहां २ फ़रीक आपस में लड़े एक फ़रीक दूसरे फ़रीक के लोगों को और दूसरा फ़रीक पहले फ़रीक वालों को दोष देता है लेकिन जिन के वे लोग मारे गये, वे अफ़सोस कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की रिपोर्ट दे देना कि गुंडे मारे गये हैं, ठीक नहीं है। जिन पर अटेक किया गया है वह १ मरा। तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आपको देखना चाहिये था कि ३ हरिजन तैयारी करके हमला करते हैं। वे मर जाते हैं। और जिन पर हमला होता है उनमें से एक नहीं मरता है। तो आपको शक होना चाहिए। आपमें यह हवा पैदा कर दी गई है कि जो आपके मुखालिफ़ हैं दे आर चीप इन वैल्यू। उनकी उतनी कीमत नहीं है। श्री राम कृष्ण राय एक रेस्पान्सिबिल आदमी थे। वे सिटी बी० के० डी० के सेक्रेटरी थे। इन्होंने एम० पी० का भी इलेक्शन लड़ा है। इनकी विधवा भी एक बार इलेक्शन लड़ चुकी है। तो साफ़ जाहिर है कि रिस्पेक्टिबिल आदमी था उनके मरने पर जितनी पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी भी, उन्होंने मीटिंग की। ५० हजार आदमियों का जुलूस निकाला और जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग की। क्यों नहीं कराई और क्या जिद है जब सारी पार्टीज मांग कर रही है? क्या है सेल्फ़ डिफ़ेंस का कायदा? सब-इंसपेक्टर का पहला फ़र्ज है डिसआर्म करने का, न कि शूट करने का।

एक बात और है जिसे मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सी०आई०डी० इंस्पेक्टर को हक हासिल नहीं है कि वह कह दे कि यह काम सेल्फ डिफ़ेंस में हुआ है। सेल्फ डिफेंस में एक आदमी दूसरे की जान ले सकता है। यह कानून है कि सब-इंस्पेक्टर ही नहीं, मामूली आदमी भी अगर कोई कत्ल करना चाहता है तो सेल्फ डिफ़ेंस में वह किसी को मार सकता है। लेकिन कोई वाकया सेल्फ डिफेंस में हुआ, जिस आदमी ने गोली चलाई वह उसने सेल्फ डिफेंस में चलाई, पुलिस उसे तय नहीं कर सकती, उसे केवल जज या मैजिस्ट्रेट ही तय कर सकता है। पुलिस लोगों को गोली मारती रहे और दूसरे पुलिस आफिसर्स को भेजा जाता रहे और उनकी रिपोर्ट पर विश्वास किया जाय कि सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने

गोली चलाई तो डमोक्रेसी खत्म। इसीलिए मैजिस्ट्रेसी की जरूरत है, इसीलिए जुडीशिएल इंक्वायरी की मांग की जाती है। सी० आई० डी० के आफिसर को कोई हक हासिल नहीं था यह तय कराने का कि गोली जो चलाई गई और जिससे सब-इंस्पेक्टर ने रामकिशन को मारा वह सेल्फ डिफस में चलाई गई। हो सकता है कि सैल्फ डिफेंस में ही हो लेकिन उस सी०आई० डी० आफिसर को क्या, आई० जी० को भी यह अथारिटी नहीं है। क्या मुख्य मंत्री ने इन बातों को समझने तथा जानने की कोशिश की ? मल्लाहों का मामला भी सेल्फ डिफेंस में हुआ ? मैंने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। मैंने सर्वसुख सिंह से कहा कि बड़ा आदमी मारा गया है, देर क्यों की, सवाल करो, जुडीशिएल इंक्वायरी की मांग की थी। प्रेस में लिखकर दिया था, खत लिख कर भेजा था। मैं चुप हो गया। क्या किया जाय ? मैंने फिर इसे स्टडी किया। मल्लाहों के मामले में भी यही कहा गया कि सेल्फ डिफेंस में गोली चली।

अध्यक्ष महोदय, इसमें और वाकया देखिए। कमिश्नर ने अपील खारिज कर दी। १ अप्रैल, १९६९ को कमिश्नर ने अपने हुक्म में कहा है। इस आदेश के विरुद्ध श्री रामकिशन ने कमिश्नर, इलाहाबाद के यहां अपील की जो २४ अप्रैल, १९६९ को खारिज हो गई। कोई रिकार्ड सामने नहीं आया। अपील खारिज हुई उसमें यह लिखा है "श्री रामकृष्ण की अपील सं० २, धारा १५/२ पर विचार व निर्णय। इनकी अपील पर विचार किया गया और अपील अस्वीकृत की गई क्योंकि अनधिकृत निर्माण मास्टर प्लान में दी गई स्टेनली रोड की चौड़ाई के भीतर आता है। इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।" इस तरह से एक्स पार्टी हुआ। एक्स पार्टी के आर्डर को सेट एसाइड करने के लिये एप्लिकेशन दी गई लेकिन वह भी खारिज हो गयी। कमिश्नर आर० के० तलवार ने उसे एक्स पार्टी में खारिज कर दिया। मेरे दोस्त सर्व सुख सिंह ने कमिश्नर को होस्टाइल कहा, मैंने उनको रोक दिया। मुझे कुछ बातें मालूम हुईं। २४ अप्रैल, १९६९ को आर० के० तलवार, कमिश्नर ने जो लिखा है उसे सुनिए---

"The application was looked into at the meeting of 24th April, 1969. It was found that this case was not dismissed in default.

यह कमिश्नर कह रहे हैं कि इट वाज नाट डिसमिस्ड इन डिफाल्ट।

"It was duly considered by the C. A. and was decided on merits. Its decision will stand."

यह २४ अप्रैल को हुआ। २६ अप्रैल को हुक्म जाता है : "महोदय,.....

श्री अध्यक्ष---

थोड़ा समय का ध्यान रखिए।

श्री चरणसिंह---

मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। मैं अननेसेसरी एक बात भी नहीं कहूंगा। (उपर्युक्त विषय) आपकी अपीलों पर नियंत्रक प्राधिकारी की बैठक दिनांक पहली अप्रैल, तथा २४ अप्रैल, १९६९ को विचार किया गया और आपकी दोनों अपीलें खारिज कर दी गईं।" यह आर्डर सर्व होता है ४ मई को। (४ और ५ की छुट्टी थी) ६ तारीख को इस आदमी ने दरखास्त दी कि मुझे नकल दी जाय और ७ को डिमालिशन स्क्वाड पहुंच गया जब कि ला यह है कि जो नोटिस सर्व होती है उसके अन्दर कम से कम ७ दिन का मौका दिया जाता है उस आदमी को उस आडर को एग्जीक्यूट करने के लिये। सेक्शन ५५८ नगरमहापालिका अधिनियम का अगर देखें तो उसमें लिखा है :--

"Subject to the provisions of this Act and of the rules, bye-laws and regulations when any requisition is made under any provision of this Act of any rules or by any Mahapalika officer duly empowered in this behalf a reasonable period will be prescribed in such notice for carrying such requisition or order into effect and if within the period so prescribed such request or order....

[श्री चरणसिंह]

इसमें एक हफ्ते का टाइम दिया गया है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं गुप्ता जी की इत्तला के लिए, शायद उनके नोटिस में यह बात नहीं आई होगी कि चौथी मई को आर्डर सर्व होता है और ४ और ५ की डाक्टर जाकिर हुसैन साहब के इंतकाल की वजह से छुट्टी थी। ७ को स्क्वाड पहुंच जाता है। क्यों? कम से कम ११ तारीख तक का मौका उसको मिलना चाहिये था। यह मामूली बात नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? बिल्डिंग आफ आपरेशन ऐक्ट जिसके अन्तर्गत यह सुनवाई हुई है उसके सेक्शन १५ के मुताबिक गवर्नमेंट के यहां रिवीजन हो सकता है तीन महीने के अन्दर। तो रिवीजन फाइल कर दिया गया था। पहले फाइल करने का मौका ही कहां मिला था? डिपार्टमेंट से स्टे आर्डर हो गया कि अब आगे को मकान न गिराया जाय। जो स्टेट गवर्नमेंट की रिवीजनल पावर्स हैं उसमें यह दिया है--

"*Revisional powers of the State Government*—The State Government may, at any time either on its own motion or on application made to it in this behalf, call for the record of any case disposed of by the Controlling Authority for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit."

अब आपके यहां यह रिवीजन फाइल कर दिया गया और आपके यहां से स्टे आर्डर चला गया कि आग को कोई कार्यवाही न की जाय, जितना मकान गिर चुका है अब आगे को वह और न ढाया जाय। मतलब यह है कि उस शख्स को एक रेमेडी थी जिसका उसके मरने के बाद उसकी विधवा ने फायदा उठाया फिर आपके यहां से स्टे आर्डर चला गया। अगर यह डिमालिशन स्क्वाड न जाता और उसकी जान न जाती तो उसको एक मौका मिल जाता। मेरिट्स पर आप चाहे जो कुछ करते वह दूसरी बात थी लेकिन उसको एक मौका मिलता। अन्याय यह हुआ कि उस को ७ दिन का वक्त नहीं दिया गया और डिमालीशन स्क्वेड पहुंच गया। एक आदमी की जान ले ली गयी और जब हम जुडीशियल इंक्वायरी के लिये कहते हैं तो आप समझते हैं कि आप के अधिकारों में कमी आ जायगी। ऐडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ जायगा, चीफ़ मिनिस्टर की पावर्स में कुछ कमी आ जायगी यदि मुखालिफ़ लोगों की कोई बात मान ली जायगी। मैं माननीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि डिमाक्रेसी का यह नक्शा नहीं है। डेमोक्रेसी का तकाजा तो यह है कि अगर उनका कोई सहयोगी इस बात की मांग करता है कि इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिये, तो अपोजीशन की इस जायज मांग को मान लेना चाहिये।

अब यह कहा गया कि स्क्वाड वहां पहुंचा और उसने मकान को गिरा दिया। वहां गोली चली और वह मर गया। यह भी कहा गया कि बाप की गोली से लड़के को चोट आ गयी। दुनिया में मुमकिन सभी चीजें हैं लेकिन क्या माननीय मुख्य मन्त्री ने इस बात की पूरी तफतीश कर ली है कि बाप की गोली से लड़का जख्मी हुआ? कहते हैं बेलेस्टिक एक्सपर्ट ने बन्दूक और गोलियों तथा खाली कारतूसों की जांच की तो यह पता चला कि वह १२ बोर की बन्दूक के ही थे जो रामकृष्ण राय द्वारा चलायी गयी थी। अध्यक्ष महोदय, जो डिमालीशन स्क्वाड जाता है, मैंने सुना है, मुझे ठीक नहीं मालूम, अगर गलत हो तो माननीय सदस्य मुझे सही कर दें, तो कुछ बहादुर, जांबाज लोगों को, जिनके पास चाकू और शायद १२ बोर की गन वगैरह लिये होते हैं, उनको भी साथ में ले जाता है। उन लोगों में से किसी के पास भी १२ बोर की गन हो सकती है और उसके द्वारा भी उस लड़के को चोट लग सकती है। लेकिन यहां यही स्पष्ट कह दिया जाता है कि रामकृष्ण ने गोली चलाई और उसकी गोली से लड़के को चोट लगी। मल्लाहों के मामले में भी जो चोट लगी है वह १२ बोर की बन्दूक से लगी है। यह भी इमकान हो सकता है कि छोटा बच्चा है, बाप को मारने के लिये जा रहा है और बाप की गोली लग गयी हो। लेकिन मेरा चार्ज यह है और इस वाकये के बाद जो पब्लिक मीटिंग हुई उसका भी चार्ज यह है कि जब रामकृष्ण को गोली मार दी गयी, पहले तो गोली उसको मारनी ही नहीं चाहिये थी, उसके बाद उसको पीटा गया गोली लग जाने के बाद में उसको क्यों पीटा गया। गोली लग जाने के

बाद लाठी से उसका गला दबाया गया, इतने जोर से कि उसकी आंखें निकल आयीं और उसको लकड़ी के लट्ठे की तरह से ट्रक में फ़ेंक दिया गया। क्या किसी गवर्नमेन्ट के द्वारा ऐसा किया जाता? है? क्या किसी मुल्क में यह मुमकिन है कि किसी आदमी को गोली लग गयी हो, वह गिर गया और उस पर ऐसा जुल्म हो? आपकी रिपोर्ट से भी यह साफ़ जाहिर होता है। आपने तो वह रिपोर्ट पढ़ी ही थी। मालूम नहीं आप को वह चीज स्ट्राइक हुई या नहीं। पुलिस की रिपोर्ट यह है "अपने को तथा अन्य व्यक्तियों को बचाने का और कोई रास्ता नहीं देख कर सब-इंसपेक्टर ने अपने सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई और श्री रामकृष्ण आहत हुए। फ़िर उनको आकर नगर पालिका के कर्मचारियों ने घेर लिया। उनकी बन्दूक को छीन लिया।" जब गोली से वह आहत हो कर गिर गया और नगर महापालिका के लोगों ने उसको घेरा, इस समय वे कुछ उत्तेजित तो हो ही गये होंगे (जब कि यह रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट नहीं है, यह तो आप के यहां उसका प्रोसेसिंग हुआ होगा, इतनी सी बात तो आपके क्लर्क को उसमें लिख ही देनी पड़ी।) इससे मालूम यह होता है कि वह लोग उत्तेजित हो गये होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात खत्म कर दूंगा और मेरी तसल्ली हो जायेगी। अगर माननीय गुप्ता जी ने इसको पढ़ने के बाद उन कर्मचारियों के खिलाफ़, गोली लगने और उसके गिरने के बाद, उसको पीटा, मैं जानना चाहता हूं कि उनका कोई हुक्म फ़ाइल पर है, उनका चालान करने का या उनको सजा देने का। मुझे शिकायत इस बात की है कि यह बात आप की आंखों से ओझल क्यों होती है? किस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन चलेगा? श्री रामकृष्णराय की लाठी की चोटों के फ़लस्वरूप मृत्यु हो गई। इसमें जिक्र नहीं है कि वहां पर उसकी धर्मपत्नी भी आई थी और उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, उसके भी लाठी से चोटें आईं, उसके लिये नेचुरल था कि जब वह गिर गया था तो उसकी वाइफ़ उसको बचाने की कोशिश करती। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय सदन का लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त जिनको वहां के ज्यादा हालात मालूम हैं, वे बोलेंगे और मल्लाहों का मामला भी बाकी है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि सारे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी करायें और वह लोगों का कांफ़ीडेंस विन करना चाहते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, (माननीय मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर) मुझे अवसर मिल चुका है इसलिये पहले मैं बोल लूं। उसके बाद मुख्य मन्त्री जी बोलें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के बोलने के बाद इनको इकट्ठा बुलाइये।

श्री अध्यक्ष—

वह कुछ कहना चाहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आप इसको कितनी देर तक चलायेंगे। चूंकि कई बातें माननीय नेता विरोधी दल ने छेड़ी हैं, मुझे उनका उत्तर देना पड़ेगा। फ़िर कुछ ऐसी बातें हैं जो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से संबंधित हैं। इसलिये उन को भी उत्तर देना होगा। इसके लिये माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे। इसलिये मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कितनी देर तक आप इसको चलायेंगे जिससे मैं उसी तरह से जो मुझे बोलना है और मेरे साथी और सहयोगी स्वायत्त शासन मन्त्री को बोलना है और इधर के लोगों को भी बोलना है, वे सब अपना समय उसी तरह से ऐजडस्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

यह सात बजे खत्म होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा प्रस्ताव यह है कि जब तक खत्म न हो जाय तब तक सदन बैठे।

श्री महीलाल—

अध्यक्ष महोदय, साधारणतया इस पर ढाई घंटे तक चर्चा हो सकती है। यह ६ बजे से शुरू हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

पौने छः बजे के करीब शुरू हुआ है।

श्री महीलाल—

इसको स्वीकार करता हूं। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस पर पूरे सदन को दिलचस्पी है। इधर के लोग भी बोलेंगे और उधर से माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। इसलिये इस पर पूरा समय दिया जाय।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, बड़ा भारी अत्याचार हुआ है। इसलिये जब तक यह समाप्त न हो जाय तब तक चलता रहे। घंटे, दो घंटे देकर गुप्ता जी उसको बचाना चाहते हैं। यह नहीं होने वाला है। मैं इसको कबूल नहीं कर सकता हूं क्योंकि इस तरह का अत्याचार इलाहाबाद की जनता के साथ हुआ है। जब तक इसकी सफ़ाई न हो जाय तब तक चलना चाहिये और तब तक आप समय दें।

श्री अध्यक्ष—

इसका निपटारा कर देता हूं। कल शुरू हुआ था। कल सवा घंटे हुआ। मैंने कहा कि आज कंटीन्यु होगा। आज सवा घंटा हो जायगा, सात बजे तक। मैक्सिमम समय तक इस प्रश्न पर बहस जारी रहेगी। माननीय विरोधी दल के नेता ने कल कहा था कि कल लेना चाहिये, नहीं तो कल ही खत्म हो जायगा। सवा घंटे के बाद ज्यादा से ज्यादा सवा घंटे और बैठ जाते। सवा घंटे आज होगा। सात बजे बन्द होगा।

(शोर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने कृपा कर के मुझे समय दिया है।

श्री अध्यक्ष—

पांच मिनट आप बोलिए।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सदन के सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज सवाल इस बात का नहीं है, वह कार्यकर्ता बी० के० डी० का हो या किसी भी पार्टी का हो, प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि चाहे मल्लाहों का मामला हो या यह मामला हो, उसके अन्दर एक तरफ़ी सरकार की तरफ़ से ली गयी कि सेल्फ़ डिफ़ेंस में गोली चली। मैं चौधरी साहब के वक्तव्य का पूरी तरह से समर्थन करता हुआ कहता हूं कि सेल्फ़ डिफ़स की थियरी को बनाकर इस बात की तसदीक करेंगे कि सेल्फ़ डिफ़ेंस की बात तब लागू होती है जब . .

[श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि सरकार की तरफ़ से गली ली गयी। सरकार की तरफ़ से नहीं ली गयी। सरकार के पास जो सूचना आयी वह बताई गई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अगर सी० आई० डी० की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते तो दूसरी जांच होती।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने सी० आई० डी० की रिपोर्ट पढ़ कर सुना दी।

श्री चरण सिंह—

स्वीकार तो कर ली। मई में रिपोर्ट आ गई थी। आज तीन महीने हो गये। तीन दिन में आ जानी चाहिए, दस दिन में रिपोर्ट आ गयी होगी। तब से कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो दस्तावेज अभी माननीय चरण सिंह ने पढ़ कर सुनायी है उससे एक बात निश्चित हो गयी कि अभी नगर महापालिका के अधिकारियों को अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। अगर मान लीजिये कि अधिकार की सीमा के अन्दर जाना भी चाहें तो प्रीमेच्योर चीज थी जिस अधिकार को लेकर वहां गये और जिस प्रकार से गोली चलायी वह केस सेल्फ़ डिफ़ेंस के दायरे के अन्दर आता है या नहीं यह देखना होगा। कोर्ट में जब सेल्फ़ डिफ़ेंस को जज किय जाता है तो देखा जाता है कि ऐसे हालात पैदा हो गये थे कि सेल्फ़ डिफ़ेंस के अन्दर हमला करना आवश्यक था या नहीं। जो भी वक्तव्य सरकार की तरफ़ से आया है उससे जाहिर नहीं होता कि दरोगा को गोली चलाना आवश्यक हो गया था। तीसरी बात यह है कि जो वहां गोली चली और गोली चलने के बाद वह व्यक्ति मर गया, उसके गिरने के बाद जो उसको मारा पीटा, उसके लिए अन्याय से आगे अगर कोई शब्द हो, शब्द-कोश में तो उसका प्रयोग करना चाहूंगा। एक मुर्दे को मारने की कोशिश कांग्रेस सरकार ने की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक ऐसी घटना को जैसा कि चौधरी चरण सिंह ने कहा बहुत साधारण रूप से सी० आई० डी० के व्यक्ति ने जांच कर दी। सरकार तीन महीने से उसे तकिये के नीचे रख कर सो रही है, क्यों नहीं आज तक उस मामले को साफ कर दिया गया? एक प्रतिष्ठित आदमी के साथ अन्याय हुआ, घोर अन्याय हुआ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय स्वामी जी अपने आंकड़े दे रहे हैं, मेरा कहना यह है कि पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद वह बोलें। वह तो बेहरामून के हैं, इलाहाबाद के नहीं। वह तो अपनी फाइंडिंग दे रहे हैं। यह उस विषय को सुन लेते फिर आप अपनी फाइंडिंग देते।

श्री अध्यक्ष—

वह अपना मत प्रकट कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुझे दुःख है कि उनके सुनने की शक्ति भी खत्म हो गयी है। जो तथ्य आपने स्वीकार किये हैं और जो तथ्य माननीय चौधरी चरण सिंह ने कोर्ट्स के फैसले का आधार पर रखे

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

यानी जो ऐडमिटेड तथ्य हैं, उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं तो इन सब से स्पष्ट है कि वहां पर घोर अन्याय हुआ है और जो अन्याय करने वाले अधिकारी हैं वह दोनों जगह एक ही हैं। तो श्रीमन्, सरकार क्या इस बात पर विचार करेगी कि एक जुडीशियल इंक्वायरी इस मामले में हो तथा इसके दरम्यान वहां के प्रशासक को वहां से हटा दिया जाए ?

(व्यवधान)

श्री लक्षमण स्वरूप (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में सूचना देना चाहता हूं कि जब तक जुडीशियल इंक्वायरी नहीं होगी मैं इस सदन के किसी कार्य में भाग नहीं लूंगा।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर आप व्यवस्था दें, मुझे आप बोलने का मौका देंगे या नहीं ?

श्री महीलाल—

अब मुख्य मंत्री को बोलने दीजिए।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं इलाहाबाद नगर से चुन कर आया हूं तथा स्वर्गीय रामकृष्ण राय की शव यात्रा में भी गया था....

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष जी, अगर आप ७ बजे समाप्त करना चाहते हैं और पौन घंटा विरोधी दल के नेता को दिया है तो यह सही बात नहीं होगी। इससे सरकार की जो बात है वह पूरी तरह से सामने नहीं आ पाएगी। मैं भी पौन घंटा चाहूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आप ने एक मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया। हमें भी इस पर बोलने के लिए कम से कम एक घंटा दीजिए, नहीं तो यह चलेगा नहीं। जब हम लोग अपनी बात कर ल तो उनको बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

महीलाल जी ने कहा कि हम मुख्य मन्त्री जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए उनको इजाजत मैंने दे दी है।

(व्यवधान)

श्री लक्षमण स्वरूप—

मैं केवल न्यायिक जांच की घोषणा सुनना चाहता हूं।

श्री राम गोपाल संड—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, आप हम को कहते हैं कि हम बैठ जायं और आप कहते हैं तो हम बैठ जाते हैं। आप हम को बोलने का मोका नहीं देते हैं। मैं आप से यह गुजारिश करता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि जब तक इस विषय में चर्चा सन्तोषजनक रूप से न हो जाये आप इसको चलने दें। आप समय बढ़ा दीजिये और उसके लिये आप को अख्तियार है कि आप सारे नियमों को और कानूनों को निलम्बित कर दें। चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये आप नियमों को निलम्बित करके, यदि आवश्यकता पड़े तो इस चर्चा को रात भर चलायें।

श्री अध्यक्ष--

मैं सब को समय दूंगा लेकिन इस तरह से नहीं चल सकता है। मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। आप इसकी फिक्र न करें। अगर आज समाप्त नहीं होता तो यह जारी रहेगा ताकि दूसरों को सुनने का मौका मिल सके।

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--

मान्यवर, पहले सदन में यह बात हो चुकी है। मऊ वाली बात जिस दिन थी उस दिन माननीय विरोधी दलों का अपनी बात कहने का हक था लेकिन उस दिन माननीय जायसवाल साहब बजाय इसके कि हमारी बात सुनते वह अपनी बात कह कर और हमारा जवाब सुने बिना उठ कर चले गये। तो आप हम को भी तो सुनने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष--

यह बात सही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, यह तो बिलकुल उलटी बात आपके सामने आई। उलटा चोर कोतवाल को डांट रहा है, यह बात हो रही है। मऊ वाली बात जब चल रही थी तो आप ने मजबूर किया था कि हम उठ कर चले जायें और अब आप कह रहे हैं कि आप को बोलने नहीं दिया। यह तो उलटा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है।

एक सदस्य--

श्रीमन्, यह तो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैंने तो यह मुहावरा इस्तेमाल किया है।

श्री महीलाल--

यह तो लोकोक्ति है। यह संसदीय प्रणाली में जीवन डालती है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

आप हमारा निवेदन सुन लीजिये। यह व्यवस्था का सवाल है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि विरोधी पक्ष के कई सदस्य इस पर बोल रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके पक्ष के लोग भी बोलेंगे। सब सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। इस तरह से तो बात अधूरी रह जायगी। माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बयान देंगे। इसलिये सब की बातों को सुन कर ही सरकारी पक्ष के लोग बोलें और माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दें। आप यह व्यवस्था दें नहीं तो माननीय चरण सिंह जी बोल चुके हैं और जनसंघ के सदस्य भी बोले हैं और जायसवाल साहब भी बोल रहे हैं। जिसको आप बोलने के लिये कहें, वही सदस्य बोले नहीं तो व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न होती है।

एक सदस्य---

इस पर विचार करना चाहिये क्योंकि मुख्य मंत्री जी भी उत्तर देना चाहते हैं और स्वायत्त शासन मंत्री जी को भी उत्तर देना है।

श्री अध्यक्ष---

अगर आप चाहते हैं और ढाई घंटे से ज्यादा समय लेना चाहते हैं तो अगर आज समय नहीं मिलता तो जारी रहेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि यह नहीं हो सकता है कि एक तरफ के लोग बोलते रहें और दूसरी तरफ के लोगों को अपनी बात करने का मौका न मिले। यह नहीं हो सकता है। माननीय मख्य मंत्री जी को बोलना है। जब नेता, विरोधी दल बोल रहे थे तो आप शान्त रहे लकिन जब मुख्य मंत्री जी बोलने को खड़े हुये तो आप शान्त नहीं रहें और आप बोलत रहें, यह बात नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

हमारा आपसे अनुरोध है कि माननीय गुप्ता जी उत्तर देने से पहले सब की बातें सुन लें।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

समय बहुत कम आपने दिया है। अभी हमारे विरोधी दल के माननीय नेता और हमारे इलाहाबाद से आये हुये माननीय विधायकों ने माननीय स्वर्गीय रामकृष्ण राय जी की मत्यु के सम्बन्ध में और संगम पर हमारे निषाद भाइयों के ऊपर जो गोलीवर्षा की चर्चा उठायी है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं बहुत विनम्रता पूर्वक सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे कृपया धैर्य पूर्वक और शान्ति के साथ सुनें। माननीय नेता, विरोधी दल, माननीय नेता, जनसंघ नहीं हैं लेकिन उनके चीफ ह्वीप हैं और माननीय जायसवाल जी ने जो कुछ वहां पर प्रशासन है और वहां इलाहाबाद में जो प्रशासक हैं जिसके सम्बन्ध में इलाहाबाद शहर में दो राय हैं इनके सम्बन्ध में अपनी बात कही है। मैं इस पर किसी प्रकार की सफाई नहीं देना चाहता लेकिन इतना निवेदन करता हूं कि आप राजनीति के चश्मे को उतार कर प्रशासन के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें। जहां तक रामकृष्ण राय जी का सम्बन्ध है वे हमारे बड़े अच्छे साथी रहे हैं और ६ वर्ष तक कारपोरेशन के मेम्बर हमारे साथ रहे हैं। इतने सम्मानित सदस्य थे वे और वे पार्लियामेंट के मेम्बर का एलेक्शन लड़े थे लेकिन प्रश्न तो यह है कि माननीय रामकृष्ण राय जी का कार्य कहां तक अधिकृत था और कहां तक नियमानुकूल था, यह एक तरफ है और माननीय महमूद बट्ट, प्रशासक का कार्य कहां तक अधिनियम के अनुकूल या प्रतिकूल था यह दो प्रश्न हैं अगर इस पर देखें तो पूरा तथ्य सामने आ जायगा।

जिस दिन वह हत्याकांड हुआ मैं उस दिन लखनऊ में था, मुझे पता नहीं था और ९ तारीख को आपने कहा कि माननीय गुप्ता जी ने बयान दिया कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी हुई और उस पर आपको विश्वास नहीं है। मैं कहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल जब तक आप मुख्य मंत्री पद पर थे तब तक सी० आई० डी० पर आपको विश्वास था और अपने वहां से हटते ही आपका सी० आई० डी० पर से पूर्ण विश्वास हट गया। (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया था वह अखबारों में निकला, हूबहू वह सी० आई० डी० ने दिया। मैं सी० आई० डी० की बात नहीं कहना चाहता, जिस दिन यह घटना हुई मैं इलाहाबाद में उपस्थित नहीं था लेकिन जो लोग उसके बाद आये उन्होंने मुझ से वाकया बताया। इस घटना से तीन दिन पहले माननीय रामकृष्ण राय जी इलाहाबाद महापालिका में मुझसे मिले थे। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे मामले में क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारा केस कम्पाउंड नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता। मैं उन शब्दों को अब यहां नहीं कहना चाहता जो उन्होंने मुझसे उस वक्त कहे थे क्योंकि अब वे इस संसार में नहीं हैं लेकिन मैंने उनसे कहा था कि भाई इस मामले को निपटा लो तो अच्छा हो। उन्होंने जुलाई, सन् ६६ में वहां नक्शा बनाने के लिये नगरपालिका को दिया था लेकिन नक्शा बनने के पहले ही उन्होंने मकान की तामीर करा ली। मैं माननीय चौधरी साहब, माननीय नेता, जनसंघ और माननीय नेता, समाजवादी पार्टी से कहूंगा कि वे किसी भी निर्दलीय सदस्य को मुकर्रर कर दें वह इलाहाबाद में जाय और वह निष्पक्ष जांच करे और वहां के माननीय सदस्य जिनकी हत्या हुई और वहां के प्रशासक ने जो किया है उनकी बातों को देख ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं यक प्रशासक ने अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया है और जो कुछ किया है रामकृष्ण राय ने किया है। (व्यवधान)। सी० आई० डी० की बात छोड़ दीजिये। (व्यवधान)।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मगर जुडीशल इन्क्वायरी मानने में क्या एतराज है?

श्री धर्मवीर—

मैंने तो एक बहुत सीधा सा नुस्खा आपके सामने रखा है कि माननीय चौधरी साहब किसी निर्दलीय सदस्य को भेज दें और वह ईमानदारी के साथ रिपोर्ट पेश कर दे और तब वे ही इस पर फैसला कर लें। मैं इसे चौधरी साहब पर ही छोड़ता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है चौधरी साहब की शासन निष्ठा पर, और जिस प्रकार के शासन में वे विश्वास करते हैं उसकी दुहाई देते हुये कहता हूं कि चौधरी साहब जिन निर्दलीय सदस्य को चाहें भेज कर इसकी इन्क्वायरी करा लें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं एक प्रशासक की जिम्मेदारी की बात कहना चाहता हूं। राजनीतिक चश्मे को हमारे उधर के भाई उतार दें तो उनको मालूम होगा कि प्रशासक ने जितना है भी वहां पर काम किया है वह सब वहां के नागरिकों की भलाई के दृष्टिकोण से कार्य किया है जितने भी उधर के भाई इलाहाबाद के रहने वाले बोले हैं वे सब महमूद हसन बट को जानते हैं। वह मुझे चाहे जानते हों लेकिन मैं उनको पहचानता भी नहीं हूं लेकिन उन्होंने जितना भी काम इलाहाबाद में किया वह एक समान दृष्टि से काम किया है। नीचे से लेकर गरीब से गरीब और बड़े से बड़े आदमी को उन्होंने एक नजर से देखा है। न उन्होंने किसी अमीर को छोड़ा और न किसी रिक्शे वाले को छोड़ा। सब के साथ उन्होंने समानता का व्यवहार किया है। बहुत से राजनीतिक नेताओं को दुख हुआ लेकिन उसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ सकता है।

(व्यवधान)

मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि जब आपके बंगले पर महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ तब जांच नहीं कराई, विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ उनकी जांच नहीं कराई लेकिन आज जांच की बात करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति को भेजकर उसकी जांच करा सकते हैं। (व्यवधान) जो घटना इलाहाबाद नगरमहापालिका के अन्दर हुई है उस घटना का होना आवश्यक हो गया था, किसी प्रकार से उन्होंने वहां पर ज्यादती नहीं की है। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड—

मुझे कल ही रिपोर्ट मिली है सही घटना को बतलाना चाहता हूं, रामकृष्ण राय प्रयाग नगरमहापालिका में ७ वर्ष तक सदस्य रहे हैं। राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी बहन जी ने यहां पर सही घटना का बयान किया है कि नगरमहापालिका के प्रशासक को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिये था। धर्मवीर जी ने उन बहन जी के विचारों को प्रकट नहीं किया।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय, मैं इलाहाबाद की घटना के बारे में कुछ अधिक समय लेना चाहता हूं क्योंकि मैं सदन के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। नगरमहापालिका के प्रशासक महमूद बट

[श्री कन्हैया लाल सोनकर]

और डिप्टी प्रशासक बी० एन० सिंह जब से इलाहाबाद गये हैं वह बड़े-बड़े लोगों के बंगलों को सजाने में लगे हुए हैं। इलाहाबाद नगर से जो बेशुमार टैक्स आता है उसका उपयोग केवल सिविल लाइन्स को सजाने में वे लगा रहे हैं। इतने साम्प्रदायिक विचार का व्यक्ति तो आज तक प्रशासक के रूप में इलाहाबाद में नहीं गया है। इस व्यक्ति ने पत्थर गिरजा को सजाने के लिए पानी की तरह जनता का रुपया बहाया है। अगर यह कहा जाय कि ये दूसरे धार्मिक स्थान को भी सजा रहे हैं तो दूसरी बात है लेकिन सिविल लाइन्स में जो कि हनुमान निकेतन नाम का मन्दिर है उसके चारों तरफ, आस-पास कूड़े का अम्बार इन्होंने लगवा दिया है। तो एक पक्ष की ओर इनका काम ठीक नहीं हो रहा है।

एक सदस्य--

यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर--

इस मामले में चिरौंजी लाल जो कि गोली से मारा गया है वह व्यक्ति नगरमहापालिका का कर्मचारी था क्या ....

(व्यवधान)

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से गुजारिश करना चाहती हूं कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस भी यही है और इंसाफ का तकाजा भी है। जब जनाब नेता, विरोधी दल ने इतना लम्बा बयान देकर बहुत तफसील के साथ गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाये हैं तो गवर्नमेंट को भी इस बात का मौका आप दें कि जो इल्जाम लगाये गये हैं उनकी सफाई पेश कर सकें..

(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल सोनकर--

श्रीमन्, जिस समय वहां के ऊपर, मकानों के ऊपर मल्लाहों के द्वारा और नगर महापालिका के कर्मचारियों द्वारा ईंट पत्थर चल रहे थे उस समय महमूद बट साहब के सर के ऊपर भी एक ईंट लगी थी और यह चिरौंजीलाल नाम का व्यक्ति जो कि सादी वेश में लुंगी पहने हुए था महमूद बट का तरफ ईंट लेकर दौड़ा मल्लाहों को मारने के लिए और महमूद बट समझ नहीं पाये कि यह मल्लाह है या कर्मचारी और गोली चला दी। तो उसके गोली लगी है और इस बात के लिए इलाहाबाद के मल्लाहों ने लगभग ५ हजार की संख्या में उसी समय जाकर डी० एम० और सिविल सर्जन से मांग की थी कि गोली निकाल कर उसकी जांच की जाय। जो चिरौंजीलाल चपरासी मारा गया है उसके ऊपर ३०७ का केस चल रहा था। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, डाकुओं और लुटेरों को नगर महापालिका के प्रशासक महोदय अपने यहां लुटेरा फौज के रूप में भर्ती कर रखा है। हमारे माननीय नेता, विरोधी दल ने बहुत कुछ कहा है। ये उप-प्रशासक महोदय, श्री बी० एन० सिंह और अन्य उच्चाधिकारी के ऊपर ३९५ का केस भी चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अनुसार उन्हें उप-प्रशासक तथा अन्य को सरकारी कर्मचारी के रूप में बना रखा है? क्या यह सम्भव नहीं है कि जब किसी कर्मचारी के ऊपर ऐसा केस चल रहा हो उसको निलम्बित किया जाय? यह मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उसको क्यों नहीं निलम्बित किया गया?

श्रीमन्, नगर महापालिका में जितने भी कर्मचारी रख गये हैं, ट्रक के ऊपर जाने वाले कर्मचारी, वे कर्मचारी अधिकांश ऐसे हैं जो गोली, पिस्तौल, बन्दूक बगैर लाइसेन्स के रखते हैं, (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मल्लाहों के ऊपर लाइसेंसिंग आफिसर ने गोली

चलायी है तो क्या यह सही नहीं है कि वही गोली लगी हो ? मैं स्वयं दूसरे दिन मौके पर गया और जानकारी प्राप्त की कि महमूद बट साहब जैसे ही उतरे थे वैसे ही उन्होंने लाइसेन्स्ड पिस्तौल से फटाफट गोली चलाना शुरू कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि मल्लाह जो हैं वे सीधे साधे लोग हैं, डाकू नहीं हैं, बदमाश नहीं हैं। वहां पूरे भारतवर्ष के व्यक्ति तीर्थ-स्थान पर गंगा स्नान के लिए आते हैं। वहां कोई ह्वेल मछली नहीं थी जिसके लिए वे पिस्तौल रखे हुए थे। ये बड़े भोले भाले मल्लाह लोग थे जिन पर गोली चलायी गयी। मैं चाहूंगा कि इसकी जुडीशियल इंक्वारी करायी जाय। अगर उस इंक्वायरी में मेरी बात असत्य निकले कि नगर महापालिका के कर्मचारियों ने गोली नहीं चलायी है तो मैं सदन में कभी नहीं आऊंगा और इस्तीफा दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड—

पुलिस रिपोर्ट हमें कल ही मिली है। पांच मिनट का समय हमें भी बोलने को दें। ये लोग तो गांव के रहने वाले हैं, मैं इलाहाबाद नगर का रहने वाला हूं। कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको मौका दूंगा। अभी तो हम उठेंगे और यह परसों जारी रहेगा। कल तो चुनाव वगैरह है।

(व्यवधान)

(इसके बाद सदन ७ बजे अगले दिन के १०.३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ अगस्त, १९६९।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७० पर)

सर्वश्री शीतला प्रसाद सिंह, आदि के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में उल्लिखित जिलेवार सूची

१—देहरादून	..	७	३०—गाजीपुर	..	६१
२—सहारनपुर	..	१७	३१—बलिया	..	४७
३—मुजफ्फरनगर	..	८	३२—गोरखपुर	..	४३
४—मेरठ	..	५०	३३—बस्ती	..	५१
५—बुलन्दशहर	..	२५	३४—आजमगढ़	..	१०२
६—अलीगढ़	..	५०	३५—देवरिया	..	४४
७—मथुरा	..	२१	३६—नैनीताल	..	९
८—आगरा	..	१५	३७—अल्मोड़ा	..	११
९—मैनपुरी	..	३७	३८—गढ़वाल	..	२
१०—एटा	..	२०	३९—टेहरी-गढ़वाल	..	२
११—बरेली	..	४	४०—पिथौरागढ़	..	२
१२—बिजनौर	..	८	४१—चमोली	..	३
१३—बदायूं	..	१२	४२—उत्तर काशी	..	—
१४—मुरादाबाद	..	१३	४३—लखनऊ	..	८८
१५—शाहजहांपुर	..	१८	४४—उन्नाव	..	४७
१६—पीलीभीत	..	२	४५—रायबरेली	..	३६
१७—रामपुर	..	२	४६—सीतापुर	..	५३
१८—फ़र्रुखाबाद	..	४१	४७—हरदोई	..	५३
१९—इटावा	..	४४	४८—खीरी	..	८
२०—कानपुर	..	४८	४९—फ़ैजाबाद	..	६८
२१—फ़तेहपुर	..	३८	५०—गोंडा	..	११
२२—इलाहाबाद	..	६४	५१—बहराइच	..	१५
२३—बांदा	..	१८	५२—सुल्तानपुर	..	६३
२४—हमीरपुर	..	२३	५३—प्रतापगढ़	..	३४
२५—झांसी	..	१२	५४—बाराबंकी	..	१३
२६—जालौन	..	१२			
२७—वाराणसी	..	४३	कुल योग	..	१,५६७
२८—मिर्जापुर	..	७			
२९—जौनपुर	..	३८			

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६५ एल० ए०—१९७०—८७० ।